छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

पंचम विधान सभा **प्रथम सत्र**

शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी, 2019

(फाल्गुन 03, शक सम्वत् 1940)

[अंक 16]

छत्तीसगढ़ विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी, 2019

(फाल्गुन 3, शक संवत् 1940)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री अजय चन्द्राकर :- (सदन में सत्तापक्ष के सदस्यों की कम उपस्थिति पर) अध्यक्ष महोदय, हालत चिन्ताजनक बनी हुई है, आप देख लीजिए।

श्री दीपक बैज :- अजय भैय्या, आप लोग तो तीन लोग हो। सिर्फ तीन स्टंप हो।

अति पिछड़े वर्ग/विशेष रूप से संरक्षित जनजाति हेतु विभिन्न योजनाओं के तहत सुविधा

1. (*क्र. 1289) श्री धर्मजीत सिंह:- क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अति पिछड़े वर्ग/विशेष रूप से संरक्षित वर्ग के जनजातियों के लिये कौन-कौन सी योजनाओं में किस-किस तरह की छूट/सुविधा का प्रावधान है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : योजनाओं में दी जाने वाली छूट/सुविधाओं की जानकारी †[1] संलग्न परिशिष्ट में संलग्न है.

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के अति पिछड़े/विशेष रूप से संरक्षित वर्ग के जनजातियों के लिए योजनाओं की मांग, उनको जो छूट दी जानी है और जो सुविधा दी जानी है उसे पूछा हूं? मंत्री जी ने जवाब भी दे दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से पहले ये पूछना चाहता हूं कि जो पांच विशेष जनजाति के लोग हैं बैगा, पहाड़ी कोरबा, अबूझमाड़िया, कमार, बिरहोर, पंडो और भुंजिया जाति के लोग हैं जिनकी संख्या बहुत नगण्य है और पूरे प्रदेश में लगभग 2.5 लाख हैं, ये आबादी राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के रूप में जानी जाती है, इनकी आबादी दिनों दिन घट रही है। तो इनके संवर्धन और संरक्षण के लिए, इन अति पिछड़ी जातियों के सशक्तिकरण और विकास के लिए क्या आपने कोई प्राधिकरण बनाया है और यदि बनाया है तो कौन-कौन सी जाति का प्राधिकरण या परियोजना जो भी आप बनाये हैं कौन -कौन से जिले में कार्यरत है?

---

[1] परिशिष्ट "एक"

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है, वह हमारी भी चिन्ता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय ने तो प्रश्न किया है, चिन्ता तो वह जबरदस्ती व्यक्त कर रहे हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बीच में कहां से आ गये? प्रश्न धर्मजीत भैय्या का है उन्हें पूछने दीजिए ना। उसमें आपको सहयोग करने की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 07 अति पिछड़ी जाति हैं उनके विकास के लिए केन्द्र पोषित जनजातिय अभिकरण, उसमें पहाड़ी कोरबा विकास प्राधिकरण अंबिकापुर, पहाड़ी कोरबा बिरहोर विकास प्राधिकरण जशपुर, बैगा बिरहोर विकास प्राधिकरण बिलासपुर, बैगा विकास प्राधिकरण कबीरधाम, कमार विकास प्राधिकरण गरियाबंद और अबूझमाड़िया विकास अभिकरण नारायणपुर में ये संचालित हैं। ये तो केंद्रपोषित है और राज्य पोषित भी हैं उसमें गरियाबंद और सूरजपुर में भुजिया और पंडो विकास के लिए हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बैगा लोगों के लिए आपके पास राज्य पोषित कोई योजना है क्या?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न के उत्तर में है कि प्रदेश के सभी जिलों में स्थापना, तृतीय श्रेणी, गैर पालिक, चतुर्थ श्रेणी के पदों की अनुसूचित जनजातियों में 20 प्रतिशत तक के पदों में पूर्ति होती है। उसके अलावा पेयजल, सिंचाई, कौशल विकास, आंगनबाड़ी और उसके अलावा 11 हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने राज्य पोषित पूछा, केन्द्र पोषित तो बैगा प्राधिकरण बिलासपुर में है, कलेक्टर उसके अध्यक्ष होते हैं। आप राज्य पोषित कौन सी योजना बनाये हैं जब पंडो और दूसरे के लिए बनाये हैं तो बैगा लोगों के लिए क्यों नहीं बनाये हैं? ये राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाते हैं तो इनके लिए आप ये जो छूट बताये हैं ये पांचों-छहों सभी पिछड़ी जनजातियों के लिए सबके लिए लागू है। आप मुझे ये बतायें, चलिए मैं आप ही के प्रश्न को पूछता हूं। आपने लिखा है कि तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी एवं शिक्षाकर्मी भर्ती में विशेष छूट का प्रावधान है। पिछले दो साल में, और कम कर देता हूं कि पिछले एक साल में, और भी कम कर देता हूं कि पिछले छः महीने में कितने बैगा लोगों को जो बारहवीं पास हैं, जो संरक्षित बैगा जनजाति के लोग हैं, अन्य पंडो जनजाति या अन्य पिछड़ी जनजातियों की जो आपने सूची दी है उसमें से कितने बच्चों को आपने कहां-कहां नौकरी दी?

श्री अजय चन्द्राकर:- प्रश्न पूरा हुआ नहीं था और एडवांस में चिट आ गई?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जैसा उत्तर में दिया गया है कि टीचरशिप की जो पात्रता परीक्षा होती है उसमें जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें छूट रहती है। उसके तहत बिलासपुर में सहायक शिक्षक की भर्ती हुई उसमें 14 लोगों को नौकरी दी गई है, मुंगेली में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

11 लोगों को दिया गया है, राजनांदगांव में 6 बैगा लोगों को नौकरी दी गई है, कोरिया में, कबीरधाम में, सरगुजा पहाड़ी कोरबा में इन सब की मेरे पास सूची है उसमें दी गई है। सूरजपुर पंडोलो में 15 लोगों को दी गई है। कमार महासमुंद में दिया गया है। कुल मिलाकर ...।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आप उनको नौकरी कैसे देते है, ये प्रक्रिया बताईये। अगर कोई बैगा 12 वीं पास है या पंडो 12 वीं पास है, या कमार 12 वीं पास है, तो उनको नौकरी देने की प्रक्रिया क्या है ? कैसे वह नौकरी पा सकता है जब आपने लिखा है कि उसे किसी भी प्रकार के काम्पीटिशन में भाग नहीं लेना पड़ेगा, उसकी अर्हता भी कमजोर रहेगी तब भी उनको नौकरी में लेंगे, अंक भी 50 प्रतिशत रहेंगे तब भी लेंगे। आप इनको कैसे भर्ती करते हैं, इनकी प्रक्रिया को समझाईये।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, जैसी भर्ती का विज्ञापन आता है, ये लोग भी उसमें आते हैं। उसमें 20 प्रतिशत लोगों को बिना किसी टेस्ट की और बिना 50 प्रतिशत पासिंग मार्क में उसको पूरी छूट रहती है, 20 प्रतिशत लोगों के लिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, ये तो आप टेढ़ी प्रक्रिया बता रहे हैं। एक तो किसी भी बैगा क्षेत्र में स्कूल भी नहीं है, छपरवा में एक प्राईवेट स्कूल चलाते हैं, जिसको ठीक से चलने नहीं दिया जाता है। सुरी में बैगा लोग रहते हैं वहां पर भी सरकारी स्कूल नहीं है। उसके बाद बच्चे ले देकर पढ़ के आते हैं तो उनको नौकरी के लिए दुनिया भर के काम की टेंशन नहीं होना चाहिए। आपका नियम जब इतना सरल है, तो आप ये बतायेंगे क्या कि उन बच्चों को सीधे नौकरी कहां से और कैसे मिलेगी। वे 12 वीं पास का सर्टिफिकेट देंगे, जाति प्रमाण पत्र देंगे, हर ब्लाक में शिक्षकों की कमी है, 20 प्रतिशत से ज्यादा उनका कोटा भी बनता है। फिर भी आप 20 प्रतिशत ही उनके लिए रिजर्व करेंगे तो आप उनको नौकरी कब और कैसे देंगे ये निर्देश देंगे क्या ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात के निर्देश हैं कि जो विशेष पिछड़ी जनजाति है अगर नौकरी के लिए आते हैं तो उनको विशेष प्राथमिकता देते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, कल ही विधानसभा में मेरे पास डगनिया गांव के 12 बैगा बच्चे आये हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से चिट्ठी लिख के दिये हैं। मुझे तो आपका ये नियम कायदा मालूम नहीं था, मैंने पंचायत मंत्री जी से कलेक्टर के लिए लिखवाया है। अध्यक्ष महोदय, आपनी अनुमति से मैं ये कागज देना चाहता हूं, आन रिकार्डडेड है। ये राजकुमार बैगा, मंजू सिंह बैगा, राकेश कुमार बैगा, सतीश कुमार बैगा, अशोक कुमार बैगा, शिवकुमार बैगा, मिथलेश कुमार पुत्तल सिंह, रोहित कुमार बैगा, ये सभी बैगा हैं, अभी 12 वीं पास हैं। वनग्राम के रहने वाले हैं, इनको आप नौकरी देने की घोषणा करेंगे क्या, और कब तक करेंगे ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, मुझे उस लिस्ट को दे दीजिए। मैं पूरी प्रयास करूंगा कि उनको नौकरी दिया जाये।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, दिखवाने से तो हम लोग देख ही रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूं समझ लीजिए, बैगा या जो भी प्रिविटीव टाईप्स हैं, उनको विशेष प्रकरण मानकर नौकरी देने के लिए कोई निर्देश कलेक्टर को या आपके किसी विभागीय अधिकारी को दिया गया है क्या ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, विशेष प्रकरण मानकर इसको हम लोग करते हैं और निर्देश भी देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- कोई सरकारी निर्देश बने हैं क्या ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, जी बने हैं। निर्देश बने हुए हैं, अगर कोई बैगा जाति का या कमार जाति के जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके कैंडिडेट आते हैं तो उनको निर्देश हैं कि उनको पात्रता दी जाये। 20 प्रतिशत जिनती भी संख्या है, उसकी 20 प्रतिशत में कोई भी एजिबिलिटी टेस्ट होती है, उसमें भी उनको छूट रहती है। 50 प्रतिशत की जो बाध्यता है उसमें भी उसको पूरी छूट रहती है। इसके बाद भी हम लोग विशेष छूट करते हैं, जो 20 प्रतिशत रखा गया है उसको 25 प्रतिशत बढ़ा दिया जाये। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों को नौकरी मिले। जो भी इसमें गाईडलाईन दिया है, उसको कम भी कर सकते हैं और उनके विकास के लिए आवश्यकता पड़ी तो उसमें भी संशोधन कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आपके उत्तर में गाईड लाईन नहीं दिया गया है। एक गाईड लाईन मेरे को भी भेजवा दीजिए, एक विधायक जी को भी भेजवा दीजिए। अभी माननीय विधायक जी ने कहा कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र, मेरी जानकारी में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र एक ही जाति के लोगों को समझा जाता है, वह पहाड़ी कोरवा है। ये बाकी की जातियां भी दत्तक पुत्र में शामिल हो गये हैं ? कि एक ही जाति है?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। केवल पण्डो और कोरवा ही है इसमें बाकी लोगों को नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- पण्डो और कोरवा, ये दो दत्तक पुत्र है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको उस आदेश की कॉपी भिजवाईये। बैगा लोगों को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र बोला जाता है, उनकी आबादी विलुप्त हो रही है, कमजोर हो रही है, कम हो रही है और आप और आपके विभाग के लोग उनके संरक्षण की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें थोड़ा दो मिनट समय दे दीजिए। पेण्ड्रा गौरेला में एक विकास प्राधिकरण बनता है, बैगा विकास प्राधिकरण बनता है। अधिकारी अपने मन से वहां कुक्कुट पालन, चूजा,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मुर्गी देंगे, मक्का देंगे ये सब बेकार की स्किम बनाने की क्या जरूरत है? वहां आप उनके गांव में पानी नहीं दे सकते, उनके लिए अस्पताल, हाईस्कूल नहीं खोल सकते। आप तो शिक्षा मंत्री भी हैं। आप सुरही और छपरवा में सरकारी हाईस्कूल खोलेंगे क्या ? वहां 50 गांव के लोग बिना सरकारी स्कूल के पढ़ रहे हैं, माननीय मंत्री जी बताईये?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि इसमें जो उनके लिए सुविधा दी गई है। अगर उनके अधिक विकास के लिए कोई आवश्यकता पड़े तो हम नियमों में संशोधन कर सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं। जैसे पानी की व्यवस्था के संबंध में बोल रहे हैं। उनकी जो आवश्यकता है, आपसे बैठकर बात कर लेंगे कि उनकी क्या आवश्यकता है। हम अपने नियमों में संशोधन करते हुए, अधिक से अधिक उनको फायदा हो, उनको अधिक से अधिक रोजगार मिले या उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे, हम इस दिशा में पहल करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई नियम में संसोधन करने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ भी अंधा पीस रहा है और कुछ भी हो रहा है। इनके विभाग में करोड़ो रूपया आता है। उसको बंदरबांट करने की स्किम पहले बन जाती है। हम चूजा, दलिया, मक्का देंगे, ये सब बेकार की चीजें है, कृषि विभाग अपना काम कर ही रहा है। आप ये इसमें बेकार का पैसा क्यों खर्च करते हैं? जब इन अति पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए पैसा आया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। बाकल, बोकराकछार, सामरदसान, बाहुड़, जल्दा और कूबा, ये ऐसे 5-6 गांव हैं जिसे अचानमार टाईगर रिजर्व से बेदखल करके, खुड़िया के पास बसाया गया है। उनकी खेती के लायक जमीन ठीक नहीं है। वहां पर उनके सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। वे एक बोरा धान भी पैदा नहीं करते हैं, वहां पीने का पानी नहीं है, उनके बच्चों की शिक्षा का इंतजाम नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है, सोलर लाईट नहीं लगा है, वहां आंगनबाड़ी भी ठीक से नहीं बनी है, जब इतनी सब दुर्दशा में यही 6 गांव हैं तो बाकी लोगों की हालत क्या होगी आप समझ रहे हैं? आपने अपने उत्तर में भी दिया है कि हम सौर ऊर्जा लगायेंगे, पेयजल की व्यवस्था करेंगे, हम खेती का इंतजाम करेंगे। आप बैगा लोगों के खेत को बनाने के लिए कोई योजना लागू करेंगे क्या ? जहां उनकी बसाहट 70 प्रतिशत से ज्यादा है वहां पीने के पानी और सोलर लाईट का इंतजाम करेंगे क्या ? क्योंकि वहां पर बिजली का कनेक्शन हीं है। उनके बच्चों को नौकरी देने के लिए कलेक्टर को निर्देशित करेंगे क्या? कोई समय सीमा तय करेंगे क्या ? और ये संपूर्ण परियोजना में जो पैसा आता है। उसकी आप स्वयं या आपके उच्चाधिकारियों से समीक्षा करेंगे क्या ? ये बताईये तब उनको सुविधा मिलेगी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन जाति के लोगों के लिए उनसे पूछकर जो परिवार मूलक व्यवस्था हो सकती है, जो रोजगार मूलक व्यवस्था हो सकती है, उनके जो प्रतिनिधि लोग होंगे, उनसे पूछकर योजना बनायी जाएगी और कलेक्टर को निर्देश दिया जायेगा कि ऐसी पिछड़ी जातियों के लिए नौकरी में ...।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये समीक्षा कर लेंगे, उन्होंने बोल दिया। हो गया।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी समीक्षा करेंगे..।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कोई मिटिंग नहीं होती। आप बात को समझिये। कोई मिटिंग नहीं होती। सब मनमर्जी अधिकारियों के भरोसे में काम चलता है। जो वह चाहेंगे, उसमें अपना प्रावधान कर देते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय विधायक जी, वे समीक्षा करेंगे। आपको और हम दोनों को शामिल करेंगे।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी समीक्षा करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी यह आपके भी क्षेत्र में हैं। आपका जो पुराना संसदीय क्षेत्र है। उसमें बहुत से कोरवा और दूसरी जनजाति के लोग रहते हैं। आखिर मंत्री जी आप इसमें लिपापोती इसलिए मत करिये क्योंकि आपका समय, आपको मंत्री बने तो अभी केवल 60 दिन हुआ है ये दुनिया भर का जो फालतू काम हुआ है, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन आप दृढ़ता से ये तो बोलिए कि इन पांचों, छः जनजाति के लोगों के विकास के लिए आप पारदर्शी सशक्त और मजबूत माध्यम बनेंगे और अपने अधिकारियों को निर्देश देंगे कि इन बच्चों की नौकरी की समय सीमा बताईये, उनके आवेदन देने के 15-20दिन, एक महीने के बाद, उनको नौकरी मिलनी चाहिए..।

अध्यक्ष महोदय :-इस प्रश्न को 15 मिनट हो गये।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हाईस्कूल की मांग किया, आपने बोला नहीं। माने 10 हजार लोगों के बीच में एक भी सरकारी हाईस्कूल नहीं है, इससे बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती है? इसलिए मैं आसंदी से हस्तक्षेप चाहता हूं कि आप छपरवा, उसूरही में सरकारी हाईस्कूल खोलने की घोषणा करें।

अध्यक्ष महोदय :- मैने हस्तक्षेप किया है, समीक्षा करके बतायेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह वित्तीय मामले हैं, उसमें वह नहीं बोल सकते।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी बात माननीय धर्मजीत सिंह जी ने बोली है, उसका मूल्यांकन करेंगे, समीक्षा करेंगे और उसके विकास के लिए निर्देश भी देते हैं। आपने हाईस्कूल की बात कही है, वह भी हम लोग देखेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले में भी कमार जनजाति है, 6 हजार से ज्यादा लोग हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका बीमारी है या तो यह बहुत ज्यादा आवाज में बोलते हैं या धीरे बोलते हैं। हमें सुनाई नहीं दे रहा है कि क्या बोल रहे हैं। आवाज थोड़ी सी बढ़ाईए न।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष परिशिष्ट में है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों में से 20 प्रतिशत तक पदों की पूर्ति विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह जो भी नाम लिखा है, आप भी पढ़ रहे हैं मेरा यह प्रश्न है कि सरकारी भर्ती में मान लो हमने 3 प्रतिशत पद विकलांगों के लिए रखा है और यदि विकलांग नहीं मिलते हैं तो उसको खाली रखते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए वह पद नहीं मिलता तो वह खाली रहता है। अनुसूचित जनजाति के भीतर इन सालों में उन्होंने 20 प्रतिशत कहा है, कौन-कौन से पदों में 20 प्रतिशत देंगे और यदि वह उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो क्या उन अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए उसको खाली रखा जाता है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर में ही है जिला स्तरीय स्थापना में तृतीय श्रेणी (गैर कार्यपालिक) तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों मेमं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों में...।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह ठीक है, लेकिन यदि नहीं मिलते हैं तो क्या खाली रखे जाते हैं ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- उसमें 20 प्रतिशत विशेष पिछड़ी जनजाति के आरक्षित है।

श्री अजय चन्द्राकर :- यदि नहीं मिलते तो क्या उन 20 प्रतिशत पदों को खाली रखा जाता है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- जी, अगर नहीं मिलते हैं तो खाली रखा जाता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जांच का विषय है कि पंडों जनजाति या जो भी विशेष पिछड़ी जनजाति है उसके लिए 20 प्रतिशत पद खाली नहीं रखे जाते। यदि बता रहे हैं तो आप यह बता दें कि कितने पद अनुसूचित जातियों के लिए जिला में जो भी पद बतायें हैं, आप भी परिशिष्ट पढ़ रहे हैं, विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 20 प्रतिशत में संरक्षित पद कितने खाली हैं ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तो उद्भूत नहीं होता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने कहा कि खाली रखते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आपने ध्यानाकर्षण किया है, वह बता देंगे कि पिछले सालों में ऐसे कितने पद खाली रखे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि पद खाली नहीं रखे गये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपका प्रश्न समझ गया, मंत्री जी समझ गये, आपको बता देंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संरक्षित जनजाति के लोग हैं, बैगा लोगों को आये दिन पुलिस वाले, फारेस्ट वाले बिना किसी जुर्म के अंदर करते हैं। उसके पास पैसा भी नहीं है, आप बोलेंगे कि न्यायपालिका में जाने का रास्ता है तो उनके पास उतनी बुद्धि भी नहीं है और न उतना कोई जाता है। आप वहां के पुलिस के या फारेस्ट के जितने प्रकरण हैं, उसकी समीक्षा करा कर उन निर्दोष लोगों को बचाने के लिए कुछ प्रयास करेंगे ? क्योकि आज भी 50 से ज्यादा बैगा जेल में बंद हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सदस्य उस क्षेत्र में उन्हीं के साथ रहते हैं, उनके साथ बैठकर क्या बेहतर हो सकता है, हम उस पर पूरा प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :-वह बेहतर होगा। माननीय धर्मजीत जी, आप माननीय मंत्री जी के साथ में चले जाईए।

<u>अकलतरा विकासखंड के अंतर्गत के. एस. के. महानदी पावर संयंत्र से प्रभावित किसानों का भुगतान</u>

2. (*क्र. 341) श्री सौरभ सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर चाम्पा जिले के अकलतरा विकासखण्ड अंतर्गत के. एस. के. महानदी संयंत्र द्वारा किस-किस गांव के कितने प्रभावित किसानों की जमीन का बिना भुगतान किये उपयोग किया जा रहा है ? भुगतान कब तक किया जायेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम अमोंदा के 05, लटिया के 02, तरौद के 09, रोगदा के 03, पकरिया के 04 एवं नरियरा के 12 कुल 06 ग्रामों के 35 प्रभावित कृषकों के उपस्थित नहीं होने तथा आपसी विवाद होने के कारण भुगतान नहीं हुआ है. किन्तु उन अर्जित भूमि पर के.एस.के. महानदी कंपनी लिमि. नरियरा द्वारा उपयोग किया गया है. भुगतान के संबंध में समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है.

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न में मैने पूछा था कि प्रभावित किसानों की जमीन का बिना भुगतान किये उपयोग किया जा रहा है और प्रश्न में जो जवाब आया है, वह पूरी सूची है, अधिग्रहण में लंबित प्रकरण हैं, उसकी सूची है। अधिग्रहण अलग है वह 2010-2011 में हुआ है और उसके बाद यहां पर लिखा है कि 35 प्रभावित कृषकों के उपस्थित नहीं होने के कारण या आपसी विवाद के कारण उनकी जमीन का भुगतान नहीं हुआ है। मेरा जो मूल प्रश्न था कि जिनकी जमीन पर कब्जा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कर लिया है, उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है और इन्हीं अधिकारीगण द्वारा, यही तहसीलदार, कलेक्टर, पटवारी द्वारा प्रतिवेदन बनाकर दिया गया, मैं तारीख के साथ जानकारी बता दूंगा। जेठिया बाई टंडन, नरियरा।

अध्यक्ष महोदय :- छोड़िये न, माननीय मंत्री जी का उत्तर आने दीजिए।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसका जवाब दिया गया है। उसके बाद जो अतिक्रमण का मामला है, जो आपने 36 लोगों का कहा है, उसमें शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं हुआ है, निजी भूमि पर अतिक्रमण हुआ है और उसमें उनका मुआवजा भुगतान किया जायेगा। उसका मुआवजा भुगतान हम करा देगे, उसकी प्रक्रिया जारी है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 36 प्रकरण हैं, जेठिया बाई टंडन नरियरा।

अध्यक्ष महोदय :- नाम मत पढ़िये न। उनने कहा 36 प्रकरण हैं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं कि 36 प्रकरण हैं और इसलिये बता रहा हूं कि समय-सीमा की अवधि । ये जितने प्रकरण हैं 36 में से 3 प्रकरण का बता रहा हूं । एक व्यक्ति अनसूचित जाति का, एक व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का जिसका कलेक्टर ने खरीदी करने की परमिशन दी है । कलेक्टर ने सहत्तर गौंड़ पकरिया को परमिशन दी है दिनांक 12.12.2015 उसकी लड़की की शादी हो गयी और लड़की का बच्चा पैदा हो गया और पैसा नहीं मिला । श्री अनिल जैन 2 एकड़ 7 डिसमिल जमीन । दिनांक 26.05.2018 को उसी कलेक्टर ने बोला है कि इनके पैसे का प्रकरण बनाकर पैसे का भुगतान किया जाये । एक-तरफ इस तरह की जानकारी वही कलेक्टर देते हैं, माननीय मंत्री जी को जो गलत जानकारी दी जा रही है मैं उसके लिये बोल रहा हूं और मैं जो 36 प्रकरण बता रहा हूं, विशेषकर इन 3 प्रकरणों में, समय-सीमा पर उद्योगपति से भुगतान होगा कि नहीं होगा ? उद्योगपतियों की साजिश, कैसे उद्योगपति राजस्व अमले के साथ मिलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 3 प्रकरण हैं और जो 36 प्रकरण हैं उसकी जानकारी मैं आपको बता दूंगा । इसका समय-सीमा में भुगतान होगा कि नहीं होगा ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- आपने श्री अनिल जैन की जो अतिक्रमण की जमीन बतायी उसका भी भुगतान होगा और बाकी सभी का भुगतान किया जायेगा । कलेक्टर को निर्देश दे दिया गया है और अतिशीघ्र उसका भुगतान हम करा देंगे ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 6 ग्रामों की जो 35 कृषकों की अर्जित भूमि पर के.एस.के. महानदी कंपनी लिमिटेड

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नरियरा द्वारा उपयोग किया जा रहा है तो क्या इसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराकर आपसी विवाद को हल कराकर इनका भुगतान कराने का प्रयास करेंगे ?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, के.एस.के. रोगदा बांध को ले लिया है । विधानसभा की कमेटी बननी चाहिए, वह आदतन थोड़ा अपराधी प्रवृत्ति का है और वह संस्था, उसके जनरल मैनेजर को बंद करवाओ ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- के.एस.के. महानदी कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा उपयोग किया जा रहा है तो इनका जो भुगतान नहीं हो रहा है तो इनका भुगतान कराने की कृपा करेंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी, के.एस.के. पॉवर के जनरल मैनेजर को ही बंद करवा दो । आप तो कड़क हैं न । उसको बंद करवाओ, किसानों को पैसा नहीं दे रहा है ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, के.एस.के. पॉवर के बारे में पिछले समय भी, पिछले कार्यकाल में कई बार प्रश्न हुआ है और जो मैंने बताया कि जो भी भुगतान बाकी है, हम लोग अतिशीघ्र उसका भुगतान करा देंगे, जो भी है । चाहे नरियरा का या जहां का भी हो उसका भुगतान कर दिया जायेगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अब यह भी तो गलत है न कि किसान को अपनी जमीन का भुगतान कराने के लिये विधानसभा का सहारा लेना पड़े ऐसे उद्योगपतियों को 2-4 जगह जेल भेजिए । यह उनकी जागीर नहीं है, यह छत्तीसगढ़ के लोगों का है और यदि किसानों के साथ कोई भी उद्योगपति अन्याय करे तो उसको अंदर कराईये, जेल भिजवा दीजिये ।

श्री सौरभ सिंह :- समय-सीमा बता दें ।

अध्यक्ष महोदय :- जेल भेजने का कि भुगतान करने का ? (हंसी)

श्री सौरभ सिंह :- दोनों का बता दें । जेल का पहले बता दें और उसकी समय-सीमा बाद में बता दें ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिये समय-सीमा मत पूछिए । बताना संभव नहीं है लेकिन जल्दी भुगतान करा देंगे । कलेक्टर को निर्देश दे दिया गया है जल्दी भुगतान करा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री अजय चंद्राकर ।

<u>बस्तर संभाग में उद्योगों हेतु अधिग्रहित भूमि</u>

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

3. (*क्र. 35) श्री अजय चन्द्राकर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभाग में उद्योगों के लिए कितनी जमीन अधिग्रहित की गयी है ? वर्षवार बताए ? (ख) दिनांक 31-1-2019 तक कितने किसानों की कितनी जमीन लौटाई गई ? जिलावार विकासखण्डवार बतायें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) अधिग्रहित की गई भूमि का वर्षवार विवरण :—

क्र.	वर्ष	अधिग्रहित भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)
1.	2001	289.00
2.	2007	1416.00
3.	2008	185.35
4.	2010	318.74
5.	2012	0.42
6.	2015	53.20
	योग	2262.81

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रश्न पूछने से पहले एक लाईन कहूंगा कि जो आश्वासन आ रहे हैं उससे मंत्रिमण्डल को देखकर लगता है कि इनको कुछ बोलने का अधिकार नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप अपना प्रश्न करिये न ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पढ़ेंगे । आपसे भी आग्रह करूंगा कि 6 बार जमीन अधिग्रहण हुई है । वर्ष 2001 में भी इनके कार्यकाल में बस्तर में जमीन अधिग्रहण हुई है और उसके बाद इधर की सरकार ने जमीन अधिग्रहण किया है । आपने उत्तर में बताया है कि विकासखण्ड तोकापाल के 157 किसानों की इतनी हैक्टेयर जमीन और कुल मिलाकर 1526.21 हैक्टेयर जमीन लौटायी गयी है, अधिग्रहित जमीन 2262.81 हैक्टेयर जमीन है तो कितने किसानों की कौन-कौन से सन् की जमीन, कौन-कौन से सन् की 2001 से अब तक अधिग्रहण किया है तो कितने किसानों की कौन-कौन से सन् तक की जमीन लौटायी गयी ?

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न बड़ा विस्तृत है । आपके पास जानकारी है ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सन् भर पूछा है । 2000, 3000, 4000 कोई भी अब मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा । जितने सन् की इतने सन् की जमीन लौटायी गयी ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अधिकांश किसानों की जमीनें लौटा दी गयी हैं । जो कुछ बचे हुए हैं उनको भी लौटा दिया जायेगा क्योंकि उसमें कुछ किसी का फौती नहीं कटा है, उसमें कुछ-कुछ कारण है बाकी वह लौटा दी जायेगी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 700 समथिंग हैक्टेयर है, कुछ जमीन नहीं है तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न यह करना चाहूंगा चूंकि आपने नहीं बताया कि कौन से सन् तक तो केवल टाटा संयंत्र भर है या उससे बाहर भी जमीन यानी मेरा मूल आशय यह है कि उससे बाहर की भी जो जमीनें हैं, जो लगभग 700 हैक्टेयर जमीनें हैं क्या उनको भी आपने लौटाने का निर्णय लिया है ?

श्री जय सिंह अग्रवाल :- अभी आपने टाटा के बारे में पूछा है । मैं टाटा की जानकारी दे सकता हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने टाटा के बारे में नहीं पूछा है । मैंने पूछा है कि जितनी जमीन आपने लौटाई, 1526.21 हेक्टेयर जमीन लौटाई है, वह कौन-कौन से सन् की जमीन है ? आपने कितने किसानों को लौटाया है ? दूसरा प्रश्न, जिसमें आपने कहा कि टाटा के बारे पूछा । मैंने टाटा के बारे में नहीं पूछा, मैंने पूछा कि शेष जमीन भी आप कब तक लौटाएंगे ?

श्री जय सिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, शेष जमीन कौन सी पूछ रहे हैं, आप । पूरे बस्तर की पूछ रहे हैं क्या ?

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं । प्रश्नाधीन । 2262.81 हेक्टेयर जमीन सरकार ने अधीग्रहीत की है । 1526.21 हेक्टेयर जमीन आपने लौटा दी ।

श्री जय सिंह अग्रवाल :- जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरा यह पूछना है कि आप बाकी जमीन भी कब तक लौटा देंगे ? पहले मैंने पूछा कि आपने कौन-कौन से सन् तक की अधिग्रहीत जमीन लौटाई है, कितने किसानों की । केवल इतना ही पूछा है । दूसरा प्रश्न यह कि बाकी जमीन आप कब तक लौटाएंगे या नहीं लौटाएंगे ?

श्री जय सिंह अग्रवाल :- लौटाएंगे, क्यों नहीं लौटाएंगे । जब सभी किसानों की जमीन वापस होगी तो जो बची है, वह भी वापस की जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं कह रहा हूं कि जहां-जहां उद्योग नहीं लगाए गए हैं । उसी की जमीन तो आप वापस लेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा नहीं है । अध्यक्ष महोदय, आपसे थोड़ा सा संरक्षण चाहूंगा । बहुत सिम्पल प्रश्न है । अच्छा, मैं दूसरा प्रश्न कर देता हूं । 2262.81 हेक्टेयर जमीन सरकार ने अधिग्रहीत की । 1526.21 हेक्टेयर जमीन आपने लौटा दी । मैंने पहले पूछा कि कौन से सन् तक की अधिग्रहीत जमीनें कितने किसानों को लौटाई गई है । उसका उत्तर नहीं आया, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं । क्या शेष जमीनों को आप लौटाएंगे या नहीं लौटाएंगे, इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है और कब तक लौटाने का निर्णय लिया है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री जय सिंह अग्रवाल :- आप लोहंडीगुड़ा का पूछ रहे हैं या पूरे बस्तर का?

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रश्न में जो है । 2262.81 हेक्टेयर जमीन आपने अधिग्रहीत की । 1526.21 हेक्टेयर जमीन आपने लौटा दी ।

श्री जय सिंह अग्रवाल :- ठीक है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने यह पूछा था कि कितने किसानों को कौन-कौन से सन् की जमीन लौटाई है ? यदि उसका उत्तर नहीं है तो दूसरा प्रश्न यह है कि जो लगभग 700 हेक्टेयर बाकी जमीन है उसको भी लौटाने का निर्णय लिया है क्या, कब तक लौटाएंगे ? केवल इतना ही जानना चाहता हूं ।

श्री जय सिंह अग्रवाल :- जिन 25 किसानों की जमीन वापस नहीं हुई, उसके बारे में बोल रहे हैं क्या ?

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं सर, आपने जो उत्तर दिया है उसी के तहत पूछ रहा हूं । आपने 1526.21 हेक्टेयर जमीन लौटा दी । आपने 2001 से 2015 तक जमीनें अधिग्रहीत की थी । उसमें से 1526.21 हेक्टेयर जमीन अभी आपने लौटाई है तो कौन से सन् की जमीन कितने किसानों को लौटाई है ?

श्री जय सिंह अग्रवाल :- यह मैं आपको डीटेल जानकारी दे दूंगा । लेकिन बाकी जो आप बोल रहे हैं ।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- अध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान में पहली बार हमारे आदिवासियों को हमारी सरकार ने दो महीने के अंदर ही टाटा कंपनी ने जो जमीन ली थी, उसको वापस किया । इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है । आदिवासियों की जमीनों के बारे में पहली बार सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है । इनको दिक्कत हो रही है कि आदिवासियों को जमीन वापस क्यों दी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं ।

श्री कवासी लखमा :- यह जमीन तो टाटा की ही है ना ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, दूसरा छोटा सा प्रश्न है कि जो लगभग 700 हेक्टेयर जमीन बाकी है उसको भी आप लौटाएंगे क्या, अगर लौटाएंगे तो कब तक लौटाएंगे ?

श्री जय सिंह अग्रवाल :- देखिए, टाटा स्टील का जो प्लांट है । उसकी जमीन हमने लौटाई है । उन्होंने वापसी की मांग की थी और उसको संयंत्र नहीं लगाना था । बाकी जो जमीनें हैं, अगर पूरे बस्तर की भी बात करें तो अगर कोई भी संयंत्र नहीं लगा है और अगर वह वापस करने के लिए बोलते हैं तो उनकी जमीन किसानों को लौटाई जाएगी । इसके साथ-साथ अगर कोई उस जमीन का दुरूपयोग करता है तो भी हम कार्रवाई कर सकते हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि 1526.21 हेक्टेयर जमीन लौटा दी गई है । 701.60 हेक्टेयर अधिग्रहीत जमीन बाकी है । माननीय मंत्री जी बता दें कि यह जो लगभग 701 हेक्टेयर जमीन बाकी है, उसमें कितने में उद्योग स्थापित हो गया और कितने में उद्योग स्थापित होना शेष है ?

अध्यक्ष महोदय :- यह निश्चित प्रश्न है महाराज ।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, नहीं । यह जमीन वापसी का मामला है ।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने कह दिया ना कि वापस कर देंगे ।

श्री कवासी लखमा :- शिवरतन जी, यह जमीन आदिवासियों को वापस होना चाहिए या नहीं, यह बताओ । या फिर से टाटा को दे दें ? आपको तो बधाई देना चाहिए कि सरकार ने आदिवासियों की जमीन वापस दिलवाई है । उनको लाभ मिला है । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- पूरा 2200 हेक्टेयर लौटा दो । (व्यवधान) घोषणा करवा दो दादी ।

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, अभी तो शुरूआत हुई है । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- अगर जमीन आदिवासियों को वापस दी जा रही है तो इनको क्यों तकलीफ हो रही है ।

अध्यक्ष महोदय :- नेता जी, खड़े हैं, आप बैठ जाइए।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह प्रश्नकाल है और बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्य ने प्रश्न लगाया है और माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न करने के बाद में इस प्रकार से खड़े होकर प्रश्नकाल में व्यवधान उत्पन्न करना और वह भी मंत्री के द्वारा उत्पन्न करना उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :-चलिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप सारे जमीन वापस कर दें। शिवरतन जी वही पूछ रहे हैं। सारे जमीन वापस कर दें और जो भी वहां लगे हुए हैं, उन आदिवासियों की भी जमीन वापस कर दें। हमको आपत्ति नहीं है लेकिन मंत्री जी से जो प्रश्न पूछे है, उसका समुचित जवाब आना चाहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न बहुत सामान्य था, आपने विस्तृत कह दिया। जो 701 हेक्टेयर बाकी है, इसमें कितने में उद्योग स्थापित हो गया ? कितना शेष है मंत्री जी इसका जवाब दें। चलिए, मैं दूसरा प्रश्न कर लेता हूं। 2001 में 289 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया। ये 2001 में 289 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हुआ था, किस उद्योग के लिए लिया गया था और वह उद्योग लगा कि नहीं लगा। यह जानकारी दे दें।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- बस्तर क्षेत्र में जितनी भी जमीनें अधिग्रहण किये थे या आबंटित किये गये हैं, उसमें आपको टाटा स्टील की जानकारी दी गई है और उसके बाद कोई भी उद्योग मैंने पहले भी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कहा है कि अगर कोई उद्योग नहीं लगे हैं तो उसके बारे में आप बता दें। उस उद्योग की जो स्थितियां हैं, उसकी हम आपको अलग से जानकारी दे देंगे और जो...।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, माननीय मंत्री जी, एक मिनट आप अपने प्रश्न का उत्तर देखिए। आपने प्रश्न के उत्तर में जो दिया है एक नंबर में 2001 में 289 हेक्टेयर जमीन आपने अधिग्रहित की है। मैं खाली इसी की जानकारी चाहता हूं। इस 289 हेक्टेयर में उद्योग लगा कि नहीं लगा और उद्योग नहीं लगा तो क्या इसकी जमीन वापस करेंगे। मैं स्पेशिफिक पूछ रहा हूं। इसी का उत्तर दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, यह आपने राजस्व विभाग का प्रश्न पूछा है और अभी आप उद्योग विभाग का पूछ रहे हैं। दीपक बैज।

श्री जयसिंह अग्रवाल :-सुनिए न।

श्री शिवरतन शर्मा :- जवाबदारी तो राजस्व विभाग की है आपके भू राजस्व संहिता में यह व्यवस्था है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- उद्योग लगा है कि नहीं लगा है नहीं लगा है, उद्योग विभाग से आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन जमीन का जो अधिग्रहण हुआ है या आबंटन हुआ, उसकी जानकारी मैंने दे दिया।

अध्यक्ष महोदय :- दीपक बैज।

श्री शिवरतन शर्मा :- जमीन एक्वायर करने का काम राजस्व विभाग करता है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- ठीक है।

श्री शिवरतन शर्मा :- और भू-राजस्व संहिता में यह व्यवस्था है कि जो जमीन अधिग्रहित की गई और 5 वर्षों में जिस कार्य के लिए अधिग्रहित की गई है, वह काम नहीं किया गया है। उद्योग वापस नहीं लगाया गया है। जो जमीन वापस की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय :- उनने तो साफ-साफ बता दिया कि जहां-जहां संयंत्र नहीं लगे हैं...।

श्री जयसिंह अग्रवाल :-शर्मा जी।

अध्यक्ष महोदय :-मंत्री जी।

श्री जयसिंह अग्रवाल :-अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। जितनी चिंता आज आप व्यक्त कर रहे हैं अगर ये 15 सालों बाद की सरकार चिंता व्यक्त करती..।

श्री शिवरतन शर्मा :- देखिए, माननीय मंत्री जी इसमें भाषण मत दीजिए। मैंने स्पेशिफिक प्रश्न किया है। यह राजस्व विभाग की जवाबदारी है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मैं वही तो बोल रहा हूं। आप लोगों ने एक इंच जमीन लौटाया क्या ? नहीं-नहीं एक इंच के लिए। मैं वही तो...।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने 2001 में जमीन अधिग्रहित की तो उद्योग लगा है कि नहीं लगा है, यह आपका काम है। 5 साल में आपने जमीन वापस की। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पेशिफिक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा रहा है। इस पर भाषण दिया जा रहा है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- 2001 के बाद 2003 से 2007 तक आपकी सरकार थी। 15 सालों में आपने जमीन वापस की क्या ? माननीय अध्यक्ष महोदय, सुन लीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :-जमीन वापस करना चाहिए तो सारे लोगों की जमीन वापस करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय धरमलाल कौशिक जी, आप अपना प्रश्न करिए।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- उद्योग विभाग से जानकारी लेकर उसकी समीक्षा करके हम पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करा देंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, सामान्य प्रश्न था। पूरक प्रश्न की जानकारी आपको उपलब्ध करानी चाहिए। जब आपसे प्रश्न किया गया तो इस प्रकार के प्रश्न तो आयेंगे ही।

<u>बस्तर जिले के अंतर्गत कोटवार, पटेल मांझी एवं चालकी के स्वीकृत एवं रिक्त पद</u>

4. (*क्र. 1307) श्री दीपक बैज : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले के अंतर्गत कोटवार, पटेल मांझी एवं चालकी के कुल कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ? उक्त स्वीकृत पदों के विरूद्घ कितने पदों को भरा गया है व कितने पद रिक्त है ? रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ? (ख) वर्तमान में कोटवार, पटेल मांझी एवं चालकी को कितना मानदेय या प्रोजेक्ट राशि दिया जा रहा हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जिला बस्तर के अर्न्तगत कोटवार पटेल, मांझी एवं चालकी के स्वीकृत भरे एवं रिक्त पद की जानकारी प्रपत्र "अ" में † संलग्न है. रिक्त पदों के भर्ती की कार्यवाही राजस्व न्यायालय में प्रचलित है. (ख) वर्तमान में कोटवार, पटेल, मांझी एवं चालकी को नियमानुसार मानदेय/सम्मान निधि के संबंध में जानकारी प्रपत्र "ब" में †[2] संलग्न है.

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि बस्तर जिले के अंतर्गत कितने कोटवार, कितने पटेल, कितने मांझी और कितने चालकी के पद स्वीकृत हैं और रिक्त हैं। उसमें से माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है कि कोटवार के 13 और पटेल के 144 और मांझी के 20 और चालकी के 4 पद हैं और बाकी भरने की प्रक्रिया राजस्व न्यायालय में चल रही है। मैं

[2] परिशिष्ट "दो"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उक्त रिक्त पदों की भर्ती राजस्व न्यायालय में चल रही है। उक्त प्रकरणों का कब तक निराकरण किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न संख्या 4, माननीय मंत्री जी।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, जिला बस्तर के अंतर्गत कोटवार, पटेल, मांझी और चालकी भरे एवं रिक्त पद की जानकारी परिशिष्ट अ में संलग्न है। रिक्त पदों की कार्यवाही राजस्व न्यायालय में प्रचलित है और (ख) वर्तमान में कोटवार, पटेल, मांझी एवं चालकी को नियमानुसार मानदेय/सम्मान निधि के संबंध में जानकारी परिशिष्ट ब में संलग्न है आपको इसकी बाकी जो आपको...।

श्री दीपक बैज :- इसकी जानकारी दे दिये हैं माननीय मंत्री जी। परिशिष्ट में पूरा है। जानकारी दे दिये हैं। मेरा प्रश्न यह है कि बाकी जो मामले हैं, वे राजस्व न्यायालय में चल रहे हैं। उसमें मेरा जानने का आशय है कि उक्त प्रकरणों का कब तक निराकरण करायेंगे ?

श्री जय सिंह अग्रवाल :- जल्दी निराकरण करा देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय विधायक जी, क्या राजस्व न्यायालय में मंत्री जी की चलती है ? (हंसी)

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष जी, अब वह तो मंत्री जी ही बता पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- तो आप कैसे पूछ सकते हैं कि कितने समय में निराकरण होगा।

श्री दीपक बैज :- जी, वह तो उनका ही है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री धरम लाल कौशिक जी।

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही प्रश्न हुआ है। मेरा अगला प्रश्न यह है कि ऐसे कितने कोटवार हैं, जिनके पास सेवा भूमि नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है ? क्या उनके लिए सेवा भूमि उपलब्ध करायेंगे ?

श्री जय सिंह अग्रवाल :- सेवा भूमि की कितनी संख्या है, उसकी जानकारी नहीं है। आपको उसकी अलग से जानकारी दे दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय :- श्री धरम लाल कौशिक।

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 ही प्रश्न हुए हैं। उत्तर तो आने दीजिये।

श्री जय सिंह अग्रवाल :- दीपक जी, न्यायालय में जो प्रकरण चल रहे हैं, उसकी सुनवाई जल्द हो, इसके लिए निर्देश दे देंगे।

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटवार, पटेल, मांझी एवं चालकी को सेवा भूमि दिए गए ? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि कोटवार, मांझी, पटेल और चालकी की मानदेय बढ़ाने के लिए सरकार

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

विचार कर रही है क्या ? कोटवार, पटेल, मांझी एवं चालकी ये गांव के प्रमुख हैं और सरकार के सूचनओं के आदान-प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके लिए जो मानदेय दिया जा रहा है, वह वास्तव में कम है। तो मेरा यही कहना है कि क्या उनको सेवा भूमि उपलब्ध करायेंगे? क्या उनका मानदेय बढाने के लिए विचार कर रहे हैं ?

श्री जय सिंह अग्रवाल :- उनके मानदेय बढ़ाने पर विचार किया जायेगा। सेवा भूमि का मैंने बता दिया।

<u>प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी</u>

5. (*क्र. 1135) श्री धरमलाल कौशिक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017-18 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश में कुल कितने मेट्रिक टन धान की खरीदी की गई है, जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) इस वित्तीय वर्ष में 30-01-2019 की स्थिति में समर्थन मूल्य पर प्रदेश में कुल कितने मेट्रिक टन धान की खरीदी की गयी है ? जिलेवार जानकारी देवे ं? (ग) क्या सभी किसानों जिनका धान इस वित्तीय वर्ष में लिया गया है, उनको भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो प्रति क्विंटल भुगतान किस दर पर किया गया है ? (घ) क्या वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश में क्रय किये गये धान हेतु अतिरिक्त बोनस भुगतान का प्रावधान किया गया है ? यदि हां, तो भुगतान कब तक किया जायेगा ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) एवं (ख) की जानकारी ++[3] संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ग) खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में 1 नवम्बर 2018 से 21 जनवरी 2019 तक मोटा धान रु. 1750 प्रति क्विंटल, पतला धान रु. 1770 प्रति क्विंटल की दर से एवं प्रोत्साहन बोनस रु. 300 प्रति क्विंटल की दर से किसानों को भुगतान किया गया है. दिनांक 21-01-2019 के पश्चात् धान विक्रय करने वाले किसानों को रु. 2500 प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया है. 01 नवम्बर 2018 से 21 जनवरी 2019 तक क्रय किए गए धान के रु. 2500 प्रति क्विंटल की दर से भुगतान योग्य अंतर की राशि क्रमशः मोटा धान हेतु रु. 450 एवं पतला धान हेतु रु. 430 प्रति क्विंटल की दर से किसानों को भुगतान किया जा रहा है. (घ) खरीफ विपणन वर्ष 2013-14 में रुपये 300 प्रति क्विंटल की दर से बोनस का भुगतान किसानों को किया जा चुका है. वर्ष 2014-15 के बोनस का प्रावधान नहीं किया गया है.

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारी समिति के द्वारा धान की खरीदी की जाती है। इस धान खरीदी में 01 नवम्बर, 2018 से 21 जनवरी, 2019 तक का जो भुगतान हुआ है,

---

[3] परिशिष्ट "तीन"

अप्राधिकृत/प्रकाशन के लिये नहीं

वह मोटा धान का 1750 रूपये प्रति क्विंटल और पतला धान का 1770 रूपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया है एवं 300 रूपया बोनस दिया गया है। उसके बाद जो 2500 रूपये प्रति क्विंटल की दर से जो अंतर की राशि है। तो मैंने यह जो अंतर की राशि है, उसके सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ऐस कितने किसान हैं, जिनको अभी तक अंतर की राशि प्रदान नहीं की गई है, उसकी संख्या बताने का कष्ट करेंगे ?

डॉ0 प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुल धान की खरीदी हुई थी, उसमें अभी किसानों को जो भुगतान हुआ है ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग इसका उत्तर कक्ष में जाकर विस्तृत रूप से नहीं सुनेंगे। विधान सभा में ही सुनेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- ओ0के0।

डॉ0 प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी जानकारी अलग से दे दूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका आन्सर यही आना चाहिए। फिर प्रश्न लगाने का क्या औचित्य ? यह कोई ऐसा विषय नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह तो बहुत सरल सा प्रश्न है। कितने किसानों को भुगतान हुआ और कितने को नहीं हुआ। इसमें कक्ष में, बाहर, अंदर जाने की क्या जरूरत है ?

अध्यक्ष महोदय :- विधायक जी, प्रश्न सरल हो सकते हैं, मगर उत्तर कठिन हुआ तो ?

श्री अजय चन्द्राकर :- कुछ कठिन नहीं है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्न का उत्तर आ जाए फिर मैं दूसरा प्रश्न करूं। अच्छा, इस प्रश्न का सरल जवाब है। आपने भुगतान किया, आपने कहा कि हमने भुगतान प्रारंभ कर दिया है। अगर आपने भुगतान प्रारंभ कर दिया है तो कितने किसानों को भुगतान कर दिया है। अगर भुगतान प्रारंभ नहीं किए हैं , किया जा रहा है, लिखा है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि कितने किसानों का भुगतान हो गया है और कितने का भुगतान नहीं हुआ है। मैं संख्या पूछ रहा हूं, नाम नहीं पूछ रहा हूँ।

डॉ0 प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो धान बेचने वाले किसान हैं, वे 15 लाख 71 हजार हैं। जिन किसानों का भुगतान हो गया है, 19, 718 है। शेष भुगतान 01 लाख 80 हजार किसानों का भुगतान अभी नहीं हो पाया है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो भुगतान नहीं हुए हैं, इनको भुगतान कराने का कब तक सुनिश्चित करायेंगे ? आप तारीख बतायेंगे, समय बतायेंग ? और अभी तक भुगतान क्यों नहीं हुआ है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ0 प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग ये भुगतान जल्दी करायेंगे। अभी समय सीमा बताना संभव नहीं है लेकिन भुगतान कर दिया जायेगा।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही तो पूछ रहा हूं कि कब तक होगा और अभी तक क्यों नहीं हुआ है ? कब तक का भुगतान हो जायेगा ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समय-सीमा बताना संभव नहीं है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये बताईए कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है, जब पैसे की व्यवस्था हो जाएगी तो भुगतान करेंगे, आप ये भी बता दीजिए तो भी हम संतुष्ट हो जाएंगे और यदि पैसा आपके पास में डिपॉजिट है, आपने बैंक को पैसा भेज दिया, इसका मतलब ये है कि पैसा रहने के बाद भी बैंक कि अधिकारियों के द्वारा या और किसी के द्वारा किसानों को भुगतान नहीं किया जा रहा है तो ये किसानों के साथ में ठीक नहीं हो रहा है इसलिए आप उसको सुनिश्चित करें ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका भुगतान कर दिया जायेगा, ये मैं बोल रहा हूं ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कब किया जाएगा, वही तो मैं बोल रहा हूं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 19 हजार किसानों का भुगतान कर दिया गया है, 1 लाख, 80 हजार किसानों का भुगतान बाकी है तो 15 लाखों किसानों में बाकी 13 लाख किसानों की क्या स्थिति है, जरा ये बता दें ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी लोगों का भुगतान हो गया है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके कथनानुसार 13 लाख किसानों का बचत राशि का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है तो 13 लाख किसानों का भुगतान कब तक हो जायेगा ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि 1 लाख, 80 हजार किसानों का भुगतान नहीं हुआ है, यह मैंने कहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ ही नहीं रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री केशव चंद्रा ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि मोटे धान के लिए 450 रूपए और पतला धान के लिए 430 रूपये अतिरिक्त भुगतान करेंगे तो पतला धान के लिए 430 रूपये क्यों देंगे, क्या आप दोनों धान को बराबर रेट में लेंगे, पतले धान का फायदा नहीं देंगे, उनको आप 450 क्यों नहीं दे रहे हैं ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एम.एस.पी. था, वह मोटा सरना धान के लिए 1750 था और पतला धान के लिए 1770 रूपये था । उसमें 300 रूपये बोनस देकर उसमें 450 और 430 मिला देंगे तो इसका योग 2500 आता है और हम 25 सौ भुगतान कर रहे हैं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 25 सौ रूपये में आप मोटा धान भी ले रहे हो, पतला धान भी ले रहे हो तो पतला धान का क्या मतलब है ? आप मोटे धान के लिए 450 रूपए और पतला धान के लिए 430 रूपये दे रहे हो तो मोटे और पतले धान का 25 सौ रूपये हो गए...।

अध्यक्ष महोदय :- चंद्रा जी, पूरक प्रश्न में दो-दो प्रश्न नहीं पूछ सकते।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने किसान पतला धान बेचे हैं, उनके 20 रूपये का मामला है, 20 रूपये का अंतर है । सरकार ये तय करे कि आप उनको 20 रूपये देंगे या नहीं देंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई नया प्रश्न नहीं कर रहा हूं, माननीय मंत्री जी ने जो कहा, उसका रिकॉल ही हो रहा है । कितने किसानों ने धान बेचा ? धान खरीदी की अवधि समाप्त हो चुकी है, उसमें कितने लोगों को जो अतिरक्त पैसा, 430 या 450 देंगे, उनमें कितने किसानों को 430 और 450 रूपये दे दिया गया और कितने किसानों राशि को कब तक देंगे ? क्योंकि वे कह रहे हैं कि 16 हजार किसानों को दिया जाना बाकी है । वह ऐसा नहीं है, आप उसको फिर से बता दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- शिवरतन जी, आप प्रश्न करें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, अभी उत्तर नहीं आया है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर दे रहा हूं, आप सुनिए तो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सुन रहा हूं, मैं तो अध्यक्ष जी की ओर मुखातिब हूं, आप मेरी ओर क्यों मुखातिब हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप एक साथ उत्तर दीजिए ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :-अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय :- वे एक साथ उत्तर देंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सही नहीं है, आप रिकार्ड निकलवाकर देख लीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बृजमोहन जी ने और अजय चनद्राकर जी ने एक ही प्रश्न किया कितने किसानों को भुगतान किया गया, कितने किसानों का भुगतान बाकी है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आप अपना प्रश्न करें, उनके प्रश्नों का भी उत्तर आयेगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि आपने अपने जवाब में लिखा है कि खरीफ वर्ष 2014-15 के लिए बोनस देने का प्रावधान नहीं किया गया है । इन्होंने अपने जन घोषणा-पत्र में खरीफ वर्ष 2014-15 और 2015-16 के बोनस की राशि देने की घोषणा की थी और आज माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि उसका प्रावधान नहीं किया गया है। पूरे प्रदेश में ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि हम 25 सौ रूपये भुगतान दे रहे हैं और यहां 13 लाख किसानों की जानकारी देने में अक्षम हैं कि किसानों को पेमेंट मिला कि नहीं मिला और बोनस का प्रावधान नहीं किया गया है ? माननीय मंत्री जी, आप मुझे यह बता दीजिए कि 2014-15 और 2015-16 के शेष बोनस की जो राशि है, उसको देने के लिए प्रावधान कब तक कर देंगे और कब तक किसानों को पैसा दिलवा देंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत जी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेशिफिक प्रश्न किया है..।

अध्यक्ष महोदय :- वे एक साथ प्रश्न का उत्तर देंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, वे सभी प्रश्नों को क्लब करके पूछवा रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वे उत्तर दें कि दो साल का बोनस देंगे कि नहीं देंगे ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मेरे प्रश्न में है, उत्तर दिलवा दें ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं कब बोल रहा हूं कि वे उत्तर नहीं देंगे, एक साथ देंगे ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

अध्यक्ष महोदय:- वे सभी प्रश्नों का एक साथ उत्तर देंगे ।

(श्री धर्मजीत सिंह, श्री शिवरतन शर्मा, श्री अजय चन्द्राकर के एक साथ खड़े होने पर)

श्री रविन्द्र चौबे :- आसंदी ने व्यवस्था दी है कि सभी का प्रश्न एक साथ आ जाए उसके बाद मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभी का प्रश्न आ जाए और उत्तर एक का भी नहीं आ रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, आपने अवर दिया, सबका प्रश्न ले लीजिए, उसके बाद वह उत्तर देंगे ना।

श्री शिवरतन शर्मा :- यहां याद भी रहेगा तब। वह तो कर नहीं रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सरल प्रश्न का बहुत सरल उत्तर आना चाहिए था। मंत्री जी से सिर्फ यह पूछा गया है कि कितने किसानों से आप धान खरीदे, कितने को आप भुगतान

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

किए कितने को नही किए? अब आप नहीं किए हैं तो आप कारण बताईये कि आपने उनका भुगतान क्यों नहीं किया? आपके पास पैसा नहीं है क्या, आपके पास सिस्टम नहीं है क्या, आपके पास बैंक नहीं है क्या, आपके पास हिसाब नहीं है क्या ? इन सब चीजों को आप बताईये ना, कारण सहित जवाब दीजिए?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, माननीय मंत्री जी संयुक्त उत्तर दे रहे हैं। आप सुनिए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धान बेचने वाले किसानों की संख्या 15 लाख 71 हजार है और किसानों का भुगतान 19 हजार 718 करोड़ भुगतान किया गया है। हमने 2500 रूपये में जो धान की खरीदी करने की घोषणा की थी और आप लोगों ने जो बोनस नहीं दिया उस सबका हम लोग करेंगे और जो आप लोग बोनस नहीं दिये, वह हमारा कमिटमेंट है हम उनको बोनस देंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आ ही नहीं रहा है। पहले प्रश्न से लेकर अभी तक एक भी प्रश्न का जवाब नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक-एक सवाल तीन-तीन, चार-चार लोग पूछेंगे तो कैसे उसका उत्तर आयेगा ? तीन-तीन, चार-चार लोग एक साथ खड़े हो जायेंगे तो कैसे जवाब आयेगा?

अध्यक्ष महोदय :- कौशिक जी, वह पूरा जवाब दे रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऊपर से शर्मा जी बोलते हैं कि दिमाग ऐसे। आदिवासी मंत्री की आप बेईज्जति करना चाहते हैं क्या ?

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने कभी बेईज्जति करने की बात नहीं की। मैंने कहा कि आप नोट नहीं कर रहे हैं तो आपको याद रहेगा क्या? ये घोर आपत्तिजनक है।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, यह घोर आपत्तिजनक है। गलत परंपरा डालने का प्रयास न करें। अध्यक्ष महोदय, आप माननीय सदस्य को प्रताड़ित करें। ये जो अपमान वाली बात है, यदि हम प्रश्न करें और मंत्री का अपमान है तो हम प्रश्न नहीं करेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- मंत्री जवाब देने में सक्षम नहीं है इसलिए किस्सा बदल गया।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हमारे मंत्री जी की सक्षमता पर प्रश्न चिन्ह मत लगाईये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ये गंभीर विषय है और माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से आरोप लगाये यह गंभीर आपत्तिजनक है। इस सदन के सभी सदस्य सम्माननीय हैं, कोई जाति नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- हमारे आदिवासी मंत्री के खिलाफ आप इस तरह की बात कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज, आप लोग बैठिए, मैं खड़ा हूं। माननीय भगत जी, इसमें अनावश्यक जाति का नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं समझ रहा हूं कि जो एक घंटे का प्रसारण हो रहा है वही बहस का कारण ज्यादा बन रहा है। उसमें ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सदस्य लोग प्रश्न करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उत्तर मिले। वही चार-पांच लोग एक ही प्रश्न को दोहराते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, अगर आप उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आपके पास अन्य प्रक्रिया है, आप आधे घंटे की चर्चा मांग लीजिए। मैं कहां बोल रहा हूं मगर आप उनकी बात सुन लीजिए यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो बात कर लीजिए। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन-तीन, चार-चार लोग एक साथ प्रश्न करेंगे तो सबका एक साथ उत्तर कैसे आयेगा। ये जानबूझकर घेरने की बात है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत आपत्तिजनक आरोप है। तीन-चार लोग हम लोग अपनी इच्छा से नहीं पूछे। आपकी अनुमति हुई आपने एक-एक करके सबको अवसर दिया है और आप रिकार्ड दिखवा लीजिए यदि कोई जातिसूचक बात शिवरतन शर्मा जी ने की होगी, अगर उन्होंने कोई आपत्तिजनक बात कही है तो वह खेद प्रकट करेंगे और यदि उन्होंने आपत्तिजनक बात नहीं की है तो माननीय सदस्यों को खेद व्यक्त करना चाहिए। इस तरह का असम्मानजनक आरोप लगाकर विषय से भटकाने की जरूरत नहीं है। हमको पूछने का अधिकार है हम पूछेंगे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- धर्मजीत भाई, आपके लिए नहीं है, वह बाकी लोगों के लिए है।

अध्यक्ष महोदय :- जो भी आपत्तिजनक बात होगी मैं उसे कार्यवाही से निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

अजय चन्द्राकर :- यह सदन का अपमान है। सभी खेद व्यक्त करें, ये नई परंपरा की शुरूआत हुई है।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं जो पूछा हूं उसी को दोहराया हूं, एक भी प्रश्न का जवाब नहीं आया। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सदस्य सिर की तरफ इशारा करके कर रहे हैं।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- दबाव की राजनीति नहीं चलेगी।

श्री मोहन मरकाम :- ये घोर आपत्तिजनक है कि आप लोग इतने सारे लोग टेबल ठोंक-ठोंककर बोल रहे हैं। आप प्रश्न पूछिये मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। आप टेबल ठोंक-ठोंककर बोलेंगे?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पूरे प्रश्न में दो ही प्रश्न महत्वपूर्ण रूप से आये हैं। एक प्रश्न ये आया है कि 2500 रूपये का भुगतान कितने किसानों का बाकी है, ये संख्या मंत्री जी स्पष्ट कर दें। दूसरे प्रश्न में मंत्री जी ने कहा है कि 2014-15 के लिए बोनस देने के लिए बजट प्रावधान नहीं किया गया है। ये बजट प्रावधान कब तक कर देंगे, इसकी जानकारी मंत्री जी सदन को दे दें। कुल दो ही प्रश्न आये हैं सब के मिला करके।

अध्यक्ष महोदय :- आप उनके सवालों का जवाब सुनिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका बजट में प्रावधान किया गया है। 14 लाख 30 हजार किसानों ने धान बेचा और 12 लाख 50 हजार किसानों का भुगतान हो गया है। 1 लाख 80 हजार की अंतर की जा राशि है वह 374 करोड़ रूपये ये देना बाकी है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, सही तो बता रहे हैं, गलत कहां बता रहे हैं। अभी संख्या बता रहे हैं उसके बाद भी प्रश्नचिंह लगा रहे हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी के प्रश्न के उत्तर में अंतर आ गया। दूसरा 2014-15 के बोनस की व्यवस्था...।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय श्री शिवरतन शर्मा जी, प्रश्न का उत्तर संशोधित नहीं होता क्या ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, संशोधित करने का अधिकार है, पर बताना चाहिए। उसकी संशोधन की प्रक्रिया है। लाखों किसानों से जुड़ा हुआ मामला है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। उसके बाद में इस प्रकार से सदन में जवाब के बजाय अन्य बातों को उठा करके खेद ...।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खेद व्यक्त कराईये।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, इसमें खेद व्यक्त करवाना चाहिए। रिकार्ड दिखवा करके खेद व्यक्त करवाना चाहिए। हम यदि प्रश्न पूछे और मंत्री जवाब न दे उसके बाद जाति सूचक की बात करे ये घोर निंदनीय विषय है। (व्यवधान) एक भी प्रश्न का जवाब नहीं आया है। ये किसानों का मामला है। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आया है, इसके विरोध में हम बहिर्गमन करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

समय :
11:52 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में</u>

(माननीय सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिव कुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहिर्गमन के सिवाय दूसरा कोई काम ही नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, बहिर्गमन करने दो।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है न।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, बृजमोहन भैय्या आप तो बहिर्गमन करने वाले थे।

श्री दीपक बैज :- अध्यक्ष महोदय, श्री बृजमोहन भैय्या तो बाहर गये ही नहीं।

श्री शिव कुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री बृजमोहन अग्रवाल जी आप तो बहिर्गमन करने वाले थे। इन लोग तो बहिर्गमन बोल के बाहर नहीं गये हैं। श्री बृजमोहन अग्रवाल जी बोलने के बाद भी हमारे तरफ हैं।

अध्यक्ष महोदय :- एक घंटे का समय आप लोग क्यों खराब करते हो।

<u>जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक राजनांदगांव द्वारा फर्जी ऋण वितरण के दर्ज प्रकरण</u>

6. (*क्र. 1319) श्री इन्द्रशाह मण्डावी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक राजनांदगांव के सेवा सहकारी समिति कुरूवा जिला कबीरधाम में फर्जी ऋण वितरण किए जाने पर पुलिस थाना स. लोहारा में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी ? (ख) यदि हां, तो किन-किन लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी शामिल पाए गए थे ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां. (ख) निम्नलिखित लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है :—

क्र.	व्यक्ति का नाम	पद नाम
(1)	(2)	(3)
1.	रामदयाल मंडावी, आ. रंजन सिंह मंडावी	शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

2.	गजराज सिंह नेताम, आ. दयासिंह नेताम	पर्यवेक्षक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव
3.	घनाराम नागवंशी, आ. ररूराम नागवंशी	समिति प्रबंधक, सेवा सहकारी समिति, कुरूवा
4.	रामखिलावन, आ. श्यामलाल मरावी	ग्राम पवनतरा, थाना-स. लोहारा
5.	दुर्गाराम श्रीवास, आ. उदय श्रीवास (मृत)	ग्राम कुरूवा, थाना-स. लोहारा
6.	नामदेव, आ. भीमलाल साहू	ग्राम सिंहनपुरी, थाना-राजनांदगांव
7.	हुकूमचंद, आ. श्यामलाल यादव	ग्राम रेंदाखाम्ही, थाना-स. लोहारा
8.	प्रेमलाल आ. कचरू गोंड़	ग्राम मेण्ड्रानवागांव, थाना-स. लोहारा
9.	बरसन आ. मिलन सिंह	ग्राम सोनझरी, थाना-स. लोहारा
10.	सत्यनारायण, आ. लक्ष्मण प्रसाद दुबे	ग्राम कुरूवा, थाना-स. लोहारा
11.	बारेलाल, आ. शोभा साहू	ग्राम कामनबोड, थाना-स. लोहारा
12.	मानदास उर्फ मानिकदास, आ. बिसम्भर दास मानिकपुरी.	ग्रामपवनतरा,थाना-स. लोहारा
13.	थनवार, आ. अनंतराम जायसवाल	ग्राम चांदनी चौक, स.लोहारा थाना-स. लोहारा
14.	यशवंत, आ. लक्ष्मण प्रसाद दुबे	ग्राम शांतिनगर, स. लोहारा थाना-स.लोहारा
15.	प्रमोद, आ. लक्ष्मण दुबे	ग्राम कुरूवा, थाना-स. लोहारा
16.	रामदुलार, आ. भगेला साहू	ग्राम कुरूवा, थाना-स. लोहारा

श्री इन्द्रशाह मंडावी :- अध्यक्ष महोदय, फर्जी वितरण के मामले में सेवा सहकारी समिति कुरूवा दारा एफ.आई.आर दर्ज किया गया है। उसमें जो महत्वपूर्ण साक्ष्य है उसको कोर्ट में मृत घोषित किया गया है। उसके बाद उसको सुपरवाईजर से शाखा प्रबंधक के रूप में प्रमोशन दिया गया है। क्या इसके ऊपर कोई जांच होगी ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समिति कुरूवा में जो दोषी पाये गये थे उसको निलंबित किया गया है। उसके बाद इन लोग कोर्ट में गये थे, अभी मामला कोर्ट में लंबित है ।

श्री इन्द्रशाह मंडावी :- अध्यक्ष महोदय, कोर्ट में उसको मृत घोषित किया गया है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, फिर से कोर्ट में गये हैं।

श्री इन्द्रशाह मंडावी :- अध्यक्ष महोदय, उसका एविडेंस मेरे पास है। मैं अभी नहीं लाया हूं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार लंबित है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री इन्द्रशाह मंडावी :- अध्यक्ष महोदय, मृत घोषित किया गया है, उसके बाद में प्रमोशन किया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री इन्द्रशाह मंडावी जी, जो आपके पास विशेष जानकारी है, मंत्री जी को दीजिए।

प्रदेश में संचालित पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यालयों से प्राप्त राजस्व

7. (*क्र. 1311) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिलों में कितने-कितने पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यालय संचालित हैं ? इन कार्यालयों से वर्ष 2018-19 में 12 दिसम्बर, 2018 तक राज्य शासन को कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ? जिलावार जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : प्रदेश के जिलों में 98 उप पंजीयक कार्यालय एवं 21 जिला पंजीयक कार्यालय संचालित हैं. इन कार्यालयों से वर्ष 2018-19 में 12 दिसंबर 2018 तक राज्य शासन को रु. 6,02,39,11,851 का राजस्व प्राप्त हुआ है. जिलावार राजस्व प्राप्ति की जानकारी परिशिष्ट पर †[4] संलग्न है.

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उप पंजीयक और पंजीयक के कितने रेगुलर भर्ती हैं और कितने प्रभारी बने हुए हैं। साथ में पंजीयन के बाद में आटोमेटिक इसको कंप्यूटरीकृत करने का आपको 602 करोड़ रूपये 10 महीने में मिल रहे हैं। उसके बाद भी कम्प्यूटरीलाइजेशन नहीं हो रहा है। आटोमेटिक इसका नामांतरण हो जाये इसकी प्रक्रिया आप कब तक पूरी करेंगे।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें ऑटोमेटिक प्रक्रिया चल रही है। मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूँ और 602 करोड़ रूपये जो भुगतान हो रहे हैं। उसमें आई.टी. साल्युशन को इसका काम दिया गया है, जो लगातार हर कार्यालय में जारी है और समुचित ढंग से चल रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। इसमें आपने बताया है कि 98 उप पंजीयक हैं, 21 जिला पंजीयक हैं। इसमें रेग्युलर कितने हैं और प्रभारी कितने हैं ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 21 पंजीयन जिला कार्यालय है। 98 उप कार्यालय है। 20 पदेन है और जो संख्या कम है वहां कुछ जगह तहसीलदारों को जवाबदारी दी गई है

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

4 † परिशिष्ट "चार"

और 78 विभागीय हैं, 20 पदेन हैं। इसमें जहां जहां कमी है वहां तहसीलदारों को भी कुछ जगह जवाबदारी दी गई है कुछ जगह प्रभारी को जवाबदारी दी गई है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। ये प्रभारी की प्रथा खत्म करके, तहसीलदारों के पास में इतनी फुर्सत नहीं है और यदि पंजीयक, उप पंजीयक, इससे सरकार को नुकसान होता है रेवेन्यू का लॉस होता है और गांव वाले घूमते रहते हैं और उनका पंजीयन नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आप पंजीयन की व्यवस्था प्रॉपर हो, इसके लिए रेग्युलर अधिकारी रखने के लिए आप कब तक व्यवस्था कर देंगे? आप रेग्युलर पंजीयक और उप पंजीयक की व्यवस्था कब तक कर देंगे?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले लम्बे समय से इसमें कोई भर्ती नहीं हुई है। इसलिए पिछले कार्यकाल में प्रभारी, बहुत सी जगहों पर बाबूओं को भी चार्ज दिया गया है। अगर पहले भर्ती कर ली गई होती तो ये समस्या नहीं आती। लेकिन हम लोग उसकी समुचित व्यवस्था जल्द करेंगे और आगे चलकर कोई समस्या नहीं आएगी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कब तक करेंगे और सभी तहसीलों में पंजीयन की व्यवस्था हो, ये व्यवस्था कब तक पूरा करेंगे?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी तहसीलों में पंजीयन की व्यवस्था है और जहां-जहां प्रभारी रखे हैं वहां इसमें आगे और भर्ती की प्रक्रिया करेंगे और इसके बाद ये समस्या नहीं रहेगी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैंने जो बात कहीं कि आपको इतना पैसा आ रहा है। आज नामांतरण में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, आप उसको कम्प्यूटरीकृत करके, कि ऑटोमेटिक नामांतरण हो जाएगा और ये कम्प्यूटरीकरण की कार्यवाही पिछले 10 सालों से चल रही है। वह पूरी नहीं हो रही है तो कम्प्यूटरीकरण की कार्यवाही और ऑटोमेटिक नामांतरण की कार्यवाही कब तक प्रारंभ कर देंगे? इसके बारे में कृपया जानकारी दे दें?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इसमें सेटअप में प्रस्तावित कर रहे हैं और इसके बाद जैसे ही स्वीकृति प्राप्त होगी, हम जल्द से जल्द करेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कब तक?

अध्यक्ष महोदय :- कब तक का जवाब तो आप भी जानते हैं। श्री आशीष कुमार छाबड़ा

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। ये प्रक्रिया चल रही है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रक्रिया चल रही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रक्रिया चल रही है। इसमें आपको करना कुछ नहीं है। केवल निर्देश देकर कम से कम रायपुर, बिलासपुर, जो संभागीय स्थान अंबिकापुर हैं, वहां

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

का कम्प्यूटरीकरण करके, नामांतरण में जो भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। ये ऑटोमेटिक नामांतरण हो जाएगा और इसमें भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। इसमें आपको केवल एक निर्देश देना है, आपको एक मिटिंग लेना है और मुझे लगता है कि 30 दिन के अंदर इसकी व्यवस्था हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, विभाग की मिटिंग कीजिए और यथाशीघ्र पूरा करने की कोशिश करिये।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये काम 20 दिनों में हो सकता है, आप इसको पूरा करवा सकते हैं।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले भी ...।

<u>बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के शालाओं का उन्नयन</u>

8. (*क्र. 1191) श्री आशीष कुमार छाबड़ा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 से जनवरी, 2019 की स्थिति में कितने प्राथ. शालाओं का मिडिल में , कितने मिडिल का हाई स्कूल में एवं कितने हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किया गया है ? विकासखंडवार जानकारी प्रदान करें ? (ख) क्या प्रश्नांश "क" में उन्नयन किए गए सभी शालाओं में स्वीकृत मापदण्ड के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं तो कितने में नहीं तथा कब तक कर दी जावेगी ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2014 से जनवरी 2019 तक की स्थिति में किसी भी प्राथ. शाला को पूर्व माध्य. शाला में उन्नयन नहीं किया गया, वरन वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक की स्थिति में 06 पूर्व माध्य. शालाओं को हाईस्कूल एवं 07 हाईस्कूलों को हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किया गया है. विकासखण्डवार जानकारी ††[5] संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) जी नहीं. प्रश्नांश "क" में उन्नयित समस्त शालाओं में शिक्षकों की पदोन्नति एवं सीधी भर्ती के माध्यम से पद पूर्ति कर दी जावेगी, निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्कूल शिक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला है। मैंने माननीय मंत्री जी से जानकारी चाही थी कि बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 से जनवरी, 2019 की स्थिति में कितने प्राथ. शालाओं का मिडिल में , कितने मिडिल का हाई स्कूल में एवं कितने हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किया गया है ? विकासखंडवार जानकारी प्रदान

[5] परिशिष्ट "पांच"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

करें ? इसमें जो जाब आया है, माननीय मंत्री जी मैं चाहूंगा कि शिक्षाकर्मियों की भर्ती जो रूकी है, वह कब तक पूर्ण कर दी जायेगी ? क्योंकि अधिकतर स्कूलों में भर्ती नहीं हो पायी है, वहां शिक्षक नहीं है, पढ़ाई प्रभावित हो रही है तो मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 15 हजार शिक्षकों की भर्ती होगी और जल्द ही उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद जहां-जहां कमी है, उसका युक्तियुक्तकरण करके, पुन: स्थापना कर दी जायेगी।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी एक चीज और जानना चाहूंगा कि स्कूल में जो बुनियादी सुविधाएं बच्चों को दी जानी चाहिए, क्या मापदण्ड के अनुसार सभी स्कूलों में दी जा रही है, जैसे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में 80 प्रतिशत स्कूलों में पूर्व सरकार के द्वारा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं दी गई थी और न ही कोई खेल का मैदान है। क्या नई सरकार आने के बाद हम इसको पूर्ण कर पायेंगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां सुविधा नहीं है जैसे पानी का हो, शौचालय का हो, हम लोग सब पूरा करेंगे और जहां-जहां खेल के मैदान हैं और सुनिश्चित करेंगे कि वहां खेल के मैदान हों।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा में जल्द हो जाएगा। वहां आहाता भी नहीं है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां भवन तो बन गये हैं लेकिन आहाता नहीं है और आहाता के नाम से असामाजिक तत्व स्कूल में प्रवेश कर जाते हैं और बच्चों के साथ छेड़छाड़ करते हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका प्रस्ताव दें दें, हम उसको जुड़वा लेंगे। हम आहाता करवा देंगे। वह हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय :- श्री दलेश्वर साहू।

प्रश्न संख्या :- 09 XX XX

अध्यक्ष महोदय :- अभी दलेश्वर साहू जी प्रश्न करने वाले थे। प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:00 बजे **पृच्छा**

श्री कुलदीप जुनेजा (रायपुर नगर उत्तर) :-माननीय अध्यक्ष महोदय, बच्चों के लिए पबजी, फोरनाईट, पिटमेन, पोकगैन गो, ग्रैण्ड थेपर, आटो, गोण्ट आफर जैसे वीडियो गेम बहुत खतरनाक हैं, ये बच्चों के दिमाग पर बहुत बुरा असर डालते हैं, निगेटीव प्रभाव उत्पन्न करते हैं। शासन को इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। मध्यप्रदेश सरकार ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष जी, बिलासपुर की अरपा नदी को रेत माफियाओं के द्वारा बुरी तरह से खोखला किया जा रहा है, खोदा जा रहा है और बिलासपुर की अरपा नदी सूख चुकी है। मिट्टी आ गई है, वहां रेत बची ही नहीं है। सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, रेत माफिया से बिलासपुर को बचाने के लिए, वहां का जल स्तर बढ़ाने के लिए मैंने मांग की है कि वहां के रेत माफियाओं के ऊपर शिकंजा कसा जाये। उसके लिए मैंने ध्यानाकर्षण भी दिया है। उसको कृपा करके स्वीकार करेंगे और चर्चा करायेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सुकमा जिले के गांव कोडेलगुरा में 2 फरवरी को फोर्स के द्वारा फायरिंग की गई, उसमें पोडियम सुक्की नामक 4 बच्चों की मां एक आदिवासी महिला मारी गई, कलमू देव घायल है। पुलिस उसको नक्सली मुठभेड़ बता रही है और प्रदेश के मंत्री आदरणीय का सार्वजनिक रूप से स्टेटमेंट आया है कि फर्जी मुठभेड़ है। एक तरफ सरकार कह रही है मुठभेड़ है और दूसरी तरफ मंत्री जी कह रहे हैं कि यह फर्जी मुठभेड़ है, इस विषय में हमने ध्यानाकर्षण लगाया है, इसको स्वीकार करके चर्चा करायें ताकि मृतक परिवार को कुछ सहायता मिल सके।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- प्रदेश में 60-65 जितने दिन हुए हैं, उसमें एक ही विभाग एक्शन में है और वह पुलिस विभाग है। दूसरा कोई विभाग एक्शन में नहीं है। चूंकि जन घोषणा पत्र या किसी में भी नक्सल नीति के बारे में कोई स्पष्ट बात नहीं कही गई, प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या के बारे में कोई बात नहीं कही गई। 60 दिन निकलने के बाद भी, जिसका उल्लेख शिवरतन शर्मा जी ने किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी मंत्री हम लोगों की बातों को सुन नहीं रहा है। शून्यकाल किसलिए है ? हर मंत्रियों के पास बाजार लगा हुआ है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- मैं लिख रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको निर्देश करना चाहिए, हर मंत्री के पास में बाजार लगा हुआ है, शून्यकाल महत्वपूर्ण विषय है। मंत्रियों को सुनकर इसका जवाब देना चाहिए और

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आप देख लीजिए की कैसा बाजार लगा हुआ है। यह विधानसभा की गरिमा को पूरी तरह सत्यानाश कर रहे हैं।

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- मेरे पास कोई बाजार नहीं है। मैं बराबर नोट कर रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- चलिये आपको धन्यवाद। परन्तु माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा की गरिमा लगातार तार-तार हो रही है और आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। शून्यकाल जैसा महत्वपूर्ण विषय में हर मंत्री को सुनकर उसको कागलीजियेन्स लेना चाहिए, परन्तु एक भी मंत्री कागलीजियेन्स लेने के लिए तैयार नहीं है। और आपको इसमें निर्देश जारी करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय विधायक गण शायद नये-नये हैं इसलिए उनको ये जानकारी नहीं है, मगर माननीय मंत्रीगण जो पुराने हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जब चर्चा चल रही हो तो पास में विधायकों को न बैठायें, उनसे चर्चा न करें, अपने कक्ष में बुला लें।

श्री धर्मजीत सिंह :- कुलदीप जुनेजा जी आप तो सीनियर विधायक हो, फिर भी ऐसा करते रहते हैं, अध्यक्ष जी को बोलना पड़ रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो बात कह रहा था कि ठोस नक्सल नीति के अभाव में प्रदेश के जिम्मेदार मंत्री ही उस मुठभेड़ को या पुलिस की कार्यवाही को फर्जी बता रहे हैं और मुआवजा की मांग रहे हैं, यह बात समाचार पत्रों में आई है। यदि यह घटनाएं बढ़ीं तो पुलिस का मनोबल गिरेगा या निर्दोष मारे जायेंगे। कांग्रेस के जिम्मेदारी मंत्री ने अपनी बात कही है, हमने स्थगन, ध्यानाकर्षण दोनों दिया है, आपसे आग्रह है कि सारे काम रोक कर उसमें तत्काल चर्चा कराई जाये।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नक्सलवाद इस प्रदेश का नासूर है, उस पर इस सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। सरकार उस पर कोई गंभीरता से नहीं ले रही है और मात्र फर्जी मुठभेड़ में गरीब आदिवासियों कों, निरीह महिलाओं को मार करके समाचार पत्रों में, मीडिया में प्रसारित किया जाता है कि हमने नक्सलियों को मारा है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं नक्सलवाद जैसे गंभीर विषय पर सरकार गंभीर हो। कोई स्पष्ट नीति बनाये कि इस सरकार के द्वारा नक्सलवाद का उन्मूलन कैसे होगा। हम लोगों ने स्थगन और ध्यानाकर्षण दिया है, उस पर आप विचार करके चर्चा करायें।

समय :
12:05 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में 14 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-22 (6) के तहत् शामिल किया गया है । इनमें से क्रमश: प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जायेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे । उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा जाना जावेगा । लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा ।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

अध्यक्ष महोदय :- पहले क्रमांक (1) से (2) तक की सूचनाएं ली जावेगी । श्री कुंवर सिंह निषाद ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विषय को उठाये थे वह वास्तव में इतना गंभीर है कि इस सदन में जो माननीय मंत्री हैं उनके द्वारा यह विषय उठाया गया । मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया कि फर्जी मुठभेड़ का जो मामला और उसके बाद में एक-तरफ उनको जो नक्सलवाद बताकर गतिविधि चूंकि यह अत्यंत गंभीर मामला है तो हम लोग चाहते थे कि यदि उसमें आप चर्चा करायेंगे तो सारे तथ्य आयेंगे और सारे तथ्य के साथ में हम इस बात को रखेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बिल्कुल करा लेंगे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिये स्थगन ले लेंगे वैसे एक भी स्थगन आपने नहीं लिया है, एक स्थगन ले लेंगे । चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, मंत्री का मामला है । मंत्री जी इस विषय में गंभीर हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- बजट सेशन में स्थगन लेने की प्रक्रिया नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आदिवासी महिला की मौत पर पूरा सत्तापक्ष मौन है । 4 बच्चों की एक मॉं, निरीह महिला मारी गई । (व्यवधान) और आदिवासियों के हितों की बात करते हैं, एक निरीह आदिवासी महिला मारी गई । (व्यवधान)

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहला तो यह कि ये इतने साल शासन किये, कितनी मुठभेड़ हुए, क्या कभी इन्होंने उसकी जांच की ? आपके 15 साल के शासनकाल में कितने मुठभेड़ हुए ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(1) प्रदेश में स्वाईन फ्लू की बीमारी से अनेक व्यक्तियों की मौत होना

सर्वश्री कुंवर सिंह निषाद (गुंडरदेही), श्री शिवरतन शर्मा, श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है -

बालोद जिले में स्वाईन फ्लू से पीड़ित 47 साल के व्यक्ति की मौत हो गई । प्रकाश नशीने की तबीयत 20 जनवरी को अचानक बिगड़ी और सर्दी-खांसी की शिकायत हुई । उसके बाद ईलाज के लिये 22 जनवरी को दुर्ग ले गए पर सर्दी-खांसी ठीक नहीं होने पर 24 जनवरी को प्रकाश नशीने को बालोद के किलकारी निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां चिकित्सक ने मामला सैंसेटिव मिलने की वजह से उसे रेफर कर दिया गया । उसके बाद 30 जनवरी को भिलाई के सेक्टर-9 अस्पताल में भर्ती हुए, जहां चिकित्सकों ने रिपोर्ट दी कि प्रकाश नशीने की मौत स्वाईन फ्लू से होने की पुष्टि हुई है । पूरे प्रदेश में स्वाईन फ्लू से 10 लोगों से अधिक की मृत्यु हो चुकी है । स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक श्री महेंद्र जंघेल, भिलाई की श्रीमति शकुन साहू, खैरागढ़ शिक्षक श्री गजेंद्र डाखरे आदि की स्वाईन फ्लू से मौत हो चुकी है। इसके पश्चात् भी शासन की इससे निपटने की जो तैयारी होनी चाहिए वह नहीं है। पीड़ित निजी अस्पतालों में जाने के लिये बाध्य हैं । जन-सामान्य में स्वाईन फ्लू के बारे में जागरूकता लाने हेतु किसी प्रकार की तैयारी नहीं की गई है । स्वाईन फ्लू बीमारी से होने वाली मौती की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है । इसकी रोकथाम उपचार आदि हेतु शासन-प्रशासन उदासीन है । जिससे शासन एवं प्रशासन के प्रति जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा सम्माननीय सदस्यों का, सम्माननीय कुंवर सिंह निषाद, माननीय शिवरतन शर्माजी, श्री अजय चंद्राकर जी जिन्होंने एक संवेदनशील विषय पर ध्यानाकर्षण लाया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि बालोद जिले में स्वाईन फ्लू से पीड़ित 47 साल के व्यक्ति की दुखद मृत्यु हो गई है । श्री प्रकाश नशीने की तबीयत 20 जनवरी को अचानक बिगड़ी और सर्दी-खांसी की शिकायत हुई । उसके बाद ईलाज के लिये 22 जनवरी को दुर्ग ले गये पर सर्दी-खांसी ठीक नहीं होने पर 24 जनवरी को श्री प्रकाश नशीने को बालोद के किलकारी निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां चिकित्सक द्वारा मामला सैंसेटिव मिलने की वजह से उसे रेफर कर दिया गया। उसके बाद 30 जनवरी को भिलाई के सेक्टर-9 अस्पताल में भर्ती हुए जहां चिकित्सकों ने रिपोर्ट दी कि श्री प्रकाश नशीने की मौत स्वाईन फ्लू से हुई है । यह भी सही है कि स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक श्री महेंद्र जंघेल भिलाई की श्रीमति शकुन साहू, खैरागढ़ के शिक्षक श्री गजेंद्र डाखरे की मृत्यु स्वाईन फ्लू से

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

Uncorrected and unedited/Not for Publication February 21, 2019

हो चुकी है । किंतु यह सत्य नहीं है कि पूरे प्रदेश में स्वाईन फ्लू से 10 लोगों से अधिक की मृत्यु हो चुकी है । सत्य यह है कि प्रदेश में स्वाईन फ्लू से बचाव हेतु किये गये विभिन्न प्रयासों के बाद भी प्रदेश में सात लोगों की स्वाईन फ्लू से दुखद मृत्यु की पुष्टि हुई है यह सत्य नहीं है कि इसके पश्चात भी शासन की इससे निपटने की जो तैयारी होनी चाहिए, वह नहीं है । शासन द्वारा स्वाईन फ्लू से बचाव के लिए सभी संभव उपाय किये गये हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश में स्वाईन फ्लू के मरीजों के निदान एवं उपचार हेतु शासकीय अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है । स्वाईन फ्लू की जांच हेतु मेडिकल कॉलेज रायपुर तथा जगदलपुर के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जांच की सुविधा उपलब्ध है, इसके अलावा भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर में भी जांच की सुविधा उपलब्ध है । स्वाईन फ्लू के मरीजों के सर्वेलेंस के लिए सभी जिला चिकित्सालय तथा जिला सर्वेलेंस इकाई को प्रशिक्षण दिया गया है । प्राथमिक उपचार एवं रोकथाम हेतु पर्याप्त मात्रा में दवाईयां एवं अन्य संसाधन उपलब्ध हैं । स्वाईन फ्लू की दवाईयां सभी शासकीय चिकित्सालयों में नि:शुल्क उपलब्ध कराई गई है । संभावित मरीजों की जांच के लिए जिला चिकित्सालय एवं चिकित्सा महाविद्यालय के सेम्पल एकत्र कर जांच, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर एवं जगदलपुर में नि:शुल्क किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त निजी चिकित्सालय में ईलाज कराने वाले मरीजों हेतु न्यूनतम जांच दर निर्धारित की गई है । इसके लिए तीन निजी पैथालॉजी लैब को अधिकृत किया गया है ।

यह कहना सही नहीं है कि निजी चिकित्सा संस्थानों में स्वाईन फ्लू के मरीजों की संख्या दिनोंदिन बढ़ रही है, यहां तक कि स्वाईन फ्लू के मरीजों की जांच निरीक्षण करने वाले चिकित्सा कर्मी भी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, अपितु स्वाईन फ्लू के मरीजों की जांच, निरीक्षण करने वाले चिकित्सा कर्मियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बचाव संबंधी व्यक्तिगत सुरक्षा उपयों को करने तथा संभावित लक्षण पाये जाने पर स्वाईन फ्लू की पुष्टि हेतु आवश्यक जांच निर्देशित किया गया है । अभी तक किसी स्वास्थ्य कर्मी का स्वाईन फ्लू की रिपोर्ट धनात्मक नहीं आई है। प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में स्वाईन फ्लू के मरीजों के उपचार में संलग्न स्टाफ के बचाव हेतु वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है ।

यह सही नहीं है कि जन-सामान्य में स्वाईन फ्लू के बारे में जागरूकता लाने हेतु किसी प्रकार की तैयारी नहीं की गई है । अपितु प्रदेश की जनता में स्वाईन फ्लू के प्रति जागरूकता के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनेक प्रयास किये गये हैं । जिसके अंतर्गत स्वाईन फ्लू से बचाव एवं रोकथाम हेतु राज्य के समाचार पत्रों में एक चौथाई पृष्ठ पर नियमित रूप से विज्ञापन प्रकाशित किया गया है । स्वाईन फ्लू से संबंधित प्रचार-प्रसार हेतु प्रदेश के प्रमुख टी.व्ही. चैनल्स एवं रायपुर-बिलासपुर के रेडियो चैनल्स में रोडियो जिंगल के अतिरिक्त रेल्वे स्टेशन के टी.व्ही. में एक माह हेत स्वाईन फ्लू से संबंधित जानकारी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रसारित की जा रही है । स्वाईन फ्लू से बचाव एवं रोकथाम हेतु राज्य के जिला रायपुर में 05 प्रमुख स्थानों एवं बिलासपुर में 15 स्थानों, विशेषकर जहां आम लोगों का आवागमन अधिक रहता है जैसे रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड, मॉल, शहर के प्रमुख चौक-चोराहे को चिह्नित कर होर्डिंग एक माह हेतु लगाये गये हैं । रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट एवं परिवहन विभाग के माध्यम से ए-4 साइज, सिंगल साईड मल्टीकलर प्रिंटेड 10,000 नग स्टीकर के माध्यम से जनजागरूकता हेतु प्रचार-प्रसार किया जा रहा है । बाहय रोगी विभाग में आने वाले मरीजों एवं परिजनों की जागरूकता हेतु बैनर एवं पोस्टर प्रदर्शित किये जा रहे हैं । सभी सैम्पल कलेक्शन स्थान/कक्ष पर जानकारी हेतु फ्लैक्स लगाया गया है ।

जिला चिकित्सालयों में एवं चिकित्सा महाविद्यालय के अस्पतालों में आईसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की गई है । प्रदेश के सभी 6 चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बद्ध सभी चिकित्सालयों में स्वाईन फ्लू बीमारी के उपचार हेतु सभी व्यवस्थाएं की गई हैं । सभी स्थानों पर स्वाईन फ्लू के संभावित मरीजों की जांच की व्यवस्था उपलब्ध है, जिसमें जीवन रक्षक उपकरण (वेंटीलेटर) इत्यादि उपलब्ध करा दिये गये हैं । इस दिशा में त्वरित सर्वेलेंस कार्य हेतु जिला एवं विकासखंड स्तर पर स्वाईन फ्लू के बचाव, रोकथाम व नियंत्रण हेतु कॉम्बेक्ट टीम का गठन किया गया है ।

अत: राज्य शासन द्वारा स्वाईन फ्लू के निदान एवं उपचार एवं जागरूकता हेतु की गई व्यवस्था से जनता द्वारा राहत महसूस की जा रही है तथा उनमें राज्य शासन के प्रति किसी प्रकार का रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त सदस्य, नागरिक, मीडिया कोई भी ऐसी जानकारी देती है, जहां कार्यवाही करने की आवश्यकता हो तो शासन, विभाग अवश्य करेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- निषाद जी। कुछ प्रश्न पूछेंगे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सम्माननीय, मैं जवाब से संतुष्ट हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि फिर भी प्रशासनिक स्तर पर थोड़ा सा फिल्म के माध्यम इनका प्रचार-प्रसार, से किया जाना चाहिए। समाचार पत्रों में तो प्रकाशित हो रहे हैं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- करवाएंगे और करवाएंगे।

अध्यक्ष महोदय :- शिवरतन शर्मा जी, आप कुछ पूछेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, स्वाइन फ्लू पूरे छत्तीसगढ़ में गंभीर रूप ले चुका है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वयं स्वीकार किया है कि 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। माननीय मंत्री, जी वास्तव में इससे ज्यादा मृत्यु हुई है। आप अगर जानकारी लेंगे तो इससे मृत्यु ज्यादा हुई है। आज भी समाचार पत्र में नगबद पटेल कोरबा का व्यक्ति यहां शादी में आया था। उसकी मृत्यु की समाचार छपा है। उसकी पत्नी भी स्वाइन फ्लू के चलते एडमिट है। माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभी जिला चिकित्सालयों में आइसोलेशन वार्ड की हमने व्यवस्था की है। जिला अस्पतालों की क्या हालत है? यह आपसे भी छिपा हुआ नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था कर दी। सारे जिला चिकित्सालयों में विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और दूसरा आपने प्रचार-प्रसार के लिए होर्डिंग लगाने की बात की और क्वार्टर पेज का विज्ञापन छापने की बात आपने इसमें की है। हमारे पास पूरे प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में मितानिन कार्यरत हैं। इसके जनजागरण के लिए हम इन मितानिनों का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? ये दो विषयों की जानकारी दें।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग अवश्य जो भी सुझाव आयेंगे, उनको व्यवहार में लायेंगे। एक जनरल में क्योंकि यह बहुत गंभीर विषय है और काफी चर्चा में आ रहा है, को परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए माननीय शिवरतन जी ने भी आज यह जानकारी दी और आज ही दैनिक भास्कर में मैंने भी पढ़ा। फ्रंट पेज में आया था कि एक और व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इसमें जो प्रक्रिया है वह प्रत्येक दिन की जानकारी राष्ट्रीय एजेंसी के माध्यम से प्रतिदिन अपडेट होती है। स्वाइन फ्लू की जानकारी प्रत्येक दिन डेली अपडेट होती है। नेशनल लेवल का पोर्टल है। नेशनल लेवल की व्यवस्था है और 2012-13,14,15,16,17, 18 और 2019 तक की 17.2 की जो जानकारी है है आप देखेंगे कि 17.2 की जानकारी में दो ही मृत्यु का हवाला है जबकि आज की स्थिति में अधिकृत रूप से 7 जिनको कि पॉसिटिव पाया गया और आज जैसे अखबार में आया। स्वाइन फ्लू का इनको बताया गया है कि जांच उपरांत जब उनका सैंपल पॉजिटिव आता है तो उसके बाद में उनको स्वाइन फ्लू से ग्रसित होकर मृत्यु की संख्या में तब्दील हो जाता है तो यह डेली अपडेट फिगर होता है और अगर अपडेट होने में कोई अंतर है जांच रिपोर्ट फाइनल आने की स्थिति में तो अंतर उसके डेट का संख्या का आ सकता है। कोई संख्या की लिमिटेशन वाली बात नहीं है क्योंकि यह सतत् प्रक्रिया है और अध्यक्ष महोदय, अगर हम स्वाइन फ्लू के संदर्भ में आंकड़े देखते हैं क्योंकि यह गंभीर विषय है। मैंने भी यह जानकारियां ली तो मुझे लगता है कि हम सबको शेयर करना चाहिए। 2012 में देश के 36 राज्य और यूनियन टेरिटरिस को मिलाकर 5 हजार 44 केस डिटेक्ट हुए और 405 मृत्यु हुईं तो केसेस डिकेक्ट हुए और मृत्यु कितनी हुई मैं वर्षवार उसको एक जानकारी बतौर भर रख दे रहा हूं । 2013 में 5,253 में 699, 2014 में 937 में 218, 2015 में 42592 में 2990, 2016 में 1786 में 265, 2017 में फिर 38811 में 2270, 2018 में 14992 में 1103 और 2019 में 12191 प्रकरणों में अभी तक यह जो डेटेट जानकारी है 17.2 को 377 लोगों की मृत्यु स्वाइन फ्लू से पॉसिटिव जांच उपरांत पाये गये नागरिकों की यह जानकारी है और सतत् जानकारी है। इसमें कई राज्य हैं, जहां जीरो के आंकड़े हैं और कई राज्य हैं जहां सीधे दिखता है कि बहुत ज्यादा केसेज हैं। मैं तीन राज्यों की जानकारी दे देता हूँ, जहां केसेज अत्यधिक दिखते हैं, जहां

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हजार की संख्या से अधिक के केसेज हैं, दिल्ली 2,278 जिसमें 7 की मृत्यु की बात थी। गुजरात, परम्परागत ऐसा लगता है कि जहां पर केसेज ज्यादा आते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, वह तो जानकारी है। मैंने आपसे प्रश्न किया था..।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- आपको इससे छत्तीसगढ़ का रिफरेंस मिल जायेगा। मैं बता रहा हूँ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मंत्री जी, इत्तेफाक यह है कि स्वाइन फ्लू से स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी महेन्द्र जंघेल की मृत्यु हुई है। ये जो केसेज बढ़ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि समय पर डायोग्नोसिस नहीं हो पा रहा है कि स्वाइन फ्लू हुआ है। हमारे प्रदेश में कहीं न कहीं डायोग्नोसिस अच्छा हो जाए, इसकी व्यवस्था शासन के स्तर पर करने की आवश्यकता है। दूसरा, आप जो प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, मैंने आपसे बहुत स्पेसेफिक प्रश्न किया था कि आप होल्डिंग लगा रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं। इसमें हमारे यहां हजारों की संख्या में मितानीन है, इन मितानिनों का उपयोग कर सकते हैं। जो भी इसके लिए एन्टीबायोटिक दिया जा सकता है, हम उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। तीसरा, आपने हर जिला अस्पताल में वार्ड बनाया है, वहां एम0डी0 हैं या नहीं, विशेषज्ञ डाक्टर हैं या नहीं, इतनी जानकारी दे दें ?

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी जिला अस्पतला ऐसा नहीं होगा, जहां विशेषज्ञ नहीं है। विशेषज्ञों की बड़ी कमी है। वर्तमान में पूरे राज्य में टोटल 132 ही विशेषज्ञ हैं। यह बात आई थी, बजट के समय भी आई थी। उनके प्रमोशन भी हो रहे हैं, नई भर्ती भी हो रही है। किन्तु आज के दिन में स्वाइन फ्लू के सैंपल कलेक्शन इत्यादि, तो व्यवस्था इस प्रकार की है। लेकिन जितनी इसकी जानकारी दी जाए, उसमें प्रयास अवश्य करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- उसमें आप और प्रश्न करेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी तो मेरा प्रश्न हुआ नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने विस्तृत जानकारी दी है। उसके बाद भी पूछेंगे ?

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ लूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब आया नहीं है।

श्री अजीत जोगी :- अजय, मैं पूछता हूँ।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, आपने मितानीन का सुझाव दिया है। निश्चित रूप से ये निर्देश जारी कर दिए जायेंगे कि ये बात मितानीन तक भी पहुंचाई जाये। देखना क्या है ? अगर आपको लगातार बुखार बना हुआ है, दवाई लेने के बाद भी बुखार कम नहीं हो रहा है। आपको खरास है, साथ में बुखार के साथ सर्दी-खांसी बनी हुई है, आप दवाई ले रहे हैं, तो आप जरूर स्वाइन फ्लू की टेबलेट चालू कर दीजिये। टेमीफ्लू के नाम से जो कैप्सूल आ रहा है, बच्चों के लिए सीरप की व्यवस्था है, वह अलग

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है कि कहां-कहां कितना है, परन्तु वह है, पर्याप्त मात्रा में है। किन्त जांच सैंपल की रिपोर्ट आने के पहले भी अगर दवाई लेने के लिए प्रेरित किया जाए तो आपका जो कहना है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। हर मितानीन तक इस बात को पहुंचा दिया जायेगा कि कहीं ऐसे सिमस्टम आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में से 20 जिलों में पॉजीटिव जीरो आया है। हम देखेंगे कि कान्सनट्रेसन कहां है ? बिलासपुर में 12, रायपुर में 84 और राजनांदगांव में 10 है। यह जो एक बेल्ट है, हम महाराष्ट्र से आते हैं, मैं महाराष्ट्र की संख्या बताने ही वाला था। पिछले वर्षों ज्यादा केसेस कहां से आ रहे थे। हम जिस रास्ते पर हैं, जहां से आना-जाना ज्यादा हो रहा है, जहां लोगों का बाहर से आना-जाना कम हो रहा है, कारण और भी हो सकते हैं। लेकिन वहां पर स्वाइन फ्लू का प्रिवलेंस नहीं पाया जा रहा है। लेकिन जहां से लोग ज्यादा आना-जाना कर रहे हैं, बाहर जाते हैं, आते हैं। जे0डी0 साहब की बात आई। वे दिल्ली गए थे। जब मैंने पता किया तो उनके साथ के लोगों ने बताया कि वहां वे जिस टैक्सी में जा रहे थे, उसका ड्रायवर छींक रहा था, बार-बार छींक रहा था। उसके बाद जब उनको बुखार हुआ तो उनके मन में यह शंका हुई। उन्होंने घर में भी कहा कि मुझे लगता है कि कहीं वहां से न हुआ हो। तो जो भी कारण हो, अगर हमको बुखार, खरास, सर्दी-खासी ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आपका सुझाव बिलकुल शत-प्रतिशत सही है कि मितानीन से लेकर ऊपर तक, जहां ट्रेनिंग हो रही है, वहां तक भी इस जानकारी को पहुंचाया जायेगा। इन सिमटम्स के आधार पर सजग होकर उपचार करें।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, जोगी जी।

डॉ0 शिव कुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी को थोड़ा निर्देश हो जाये कि हमारा जो सीरप आता है, शिवरतन भैय्या के यहां जरूर पहुंचा दिया जाये।

श्री अजीत जोगी :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर बीमारी है। पिछले वर्ष मेरे पुत्र को हुई थी और उसको दिल्ली ले जाना पड़ा था। मैं केवल एक छोटा सा सुझाव दे रहा हूँ कि स्वाईन फ्लू की वैक्सीन भी उपलब्ध है । चूंकि स्वाईन फ्लू का वायरस इतना चालाक है कि वह अपने स्वरूप को बदलता रहता है इसलिए एक ही वैक्सीन कारगर साबित होगी, ऐसा कहा नहीं जा सकता, फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो वैक्सीन उपलब्ध है, वह ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप अपने राज्य के लिए खरीदें और जो भीड़ वाले स्थान हैं, वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाएं । वालेंटरी इसका प्रचार किया जाए कि इसकी वैक्सीन उपलब्ध है और वह वैक्सीन जिसको भी बहुत ज्यादा सर्दी-खांसी होती है, नाक लगातार बह रही है, इसका मतलब स्वाईन फ्लू की पहली सीक उसके पास आ गई है और मैंने जो अध्ययन किया है, उसके आधार पर स्वाईन फ्लू की दवाई एक स्टेज तक होती है । अगर उसके बाद की स्टेज में स्वाईन फ्लू चली जाए तो फिर उसकी कोई दवा पूरे विश्व

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

में संभव नहीं है इसलिए अरली डिटेक्शन या डिटेक्शन के पहले वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है । मैं आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि ये 90 विधायक जो आपके साथ हैं, हम सबको वैक्सीन लगवा दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद । माननीय मंत्री जी, कुछ जवाब देना चाहेंगे ?

श्री टी. एस. सिंहदेव :- जी । माननीय अध्यक्ष महोदय, जोगी जी ने जो सुझाव दिए हैं, वह एकदम शत-प्रतिशत सही है । केवल एक जानकारी बतौर बताना चाहता हूं कि वर्तमान में जो उपलब्ध है, वह 30 मिलीग्राम की 40938 कैप्सूल, 45 ग्राम की 50086, सीरप 9164 बोतल और 5854 नग वायरल ट्रांसपोर्ट मीडन, 3322 इसके वैक्सीन उपलब्ध हैं, लेकिन संख्या मायने नहीं रहती । जैसा माननीय जोगी जी ने कहा कि जितने ज्यादा हो सकें, इसको और उपलब्ध कराने की आवश्यकता है तो हम उसकी समीक्षा कर लेंगे और निश्चित रूप से उसको उपलब्ध कराएंगे और इन्होंने जो चिन्ता व्यक्त की, ये निमोनिया का एक स्वरूप माना जाना चाहिए, लंग्स को सीधे प्रभावित करता है, रूटीन निमोनिया में उपचार के लिए समय भी मिलता है और उपचार की संभावना भी ज्यादा रहती है । स्वाईन फ्लू में निमोनिया टाईप के जो लक्षण आते हैं, वह बहुत तेजी से जल्दी बढ़ता है, जो आपने कहा और यही कारण है कि इसका जल्दी उपचार होना चाहिए और जो सुझाव आया है कि 90 विधायक और अन्य साथी जो लोग ज्यादा लोगों से सम्पर्क में आ रहे हैं, उनको कवर कर लेना चाहिए और मैं अवश्य व्यवस्था करवाऊंगा कि यहां स्वाईन फ्लू के लिए हम लोग व्यवस्था कर देंगे और निवेदन करेंगे कि सभी ले लें ।

अध्यक्ष महोदय :- अजय चन्द्राकर जी, आप भी सुझाव दे दें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो बजट भाषण में आपकी आलोचना भी नहीं किया था, मैंने तो उन क्षणों को स्मरण किया था, जब इधर बैठकर मेरे लिए सब भाषा का उपयोग करते थे । आज बिल्कुल भीगीत बोल रहे हैं, जब अभी ये छोटी सी बात है, तब। इधर-उधर की बात, सबका सुझाव चाहिए । स्वास्थ्य में जिम्मेदारी होती है, आरोप नहीं होता । इन्होंने तो 15 साल तक आरोप लगाने की आदत डाली है ।

अध्यक्ष महोदय :- तो आप उसका बदला लेंगे । (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बदला नहीं लेता। वे दूसरे ध्यानाकर्षण में आ गए हैं, अभी फर्जी मुठभेड़ में बात करेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, दो-तीन छोटी-छोटी चीजें हैं, जो मैं जानना चाहूंगा। आपने अपने उत्तर में जानकारी दी है कि आपने तीन निजी पैथालॉजी को स्वाईन फ्लू के टेस्ट के लिए अधिकृत किया है, उसको अधिकृत करने के मापदण्ड क्या हैं, किसने जांच की, किसने पड़ताल की और तीन पैथालॉजी को अधिकृत क्यों किया गया ? मरीजों की संख्या के आधार पर आपको ज्यादा पैथालॉजी अधिकृत करना चाहिए क्योंकि आपके पास दो जगह है, एक प्रश्न । दूसरा प्रश्न यह है

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कि इतनी दवाई, इतने, उतने गिना रहे थे तो उसमें साधारण बात यह है कि कोई भी वायरल डिसीस है तो जब एलर्ट जारी होता है तो आबादी के अनुपात में कितने प्रतिशत लोगों के लिए दवाई रिजर्व रखी जाती है और इतनी दवाइयां उतने में है क्या ? इसी से लगा हुआ प्रश्न है। हमारे टीकाकरण के विभिन्न कार्यक्रम चलते हैं, आपने जन क्षति भी गिनाई है । छत्तीसगढ़ सरकार अपने खर्च से जो माननीय जोगी जी ने कहा कि इसका वैक्सीनेशन करेगी क्या ? और चौथा प्रश्न, जो लापरवाही हुई है, मैं प्रमाण दूंगा कि चार दिन तक एक मरीज की डायरिया का ईलाज होता रहा, ये शकुन साहू की मृत्यु में साबित हुआ । तो उसमें आप कार्यवाही करेंगे क्या या उसकी जांच करवाएंगे क्या ? छोटे-छोटे चार प्रश्न हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- वैसे आपको एक ही प्रश्न पूछने का अधिकार है आपने अ, ब, स, द कर दिया।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का लगातार अनुभव भी रहा है। मैं अवश्य इनसे भी संपर्क करके जो भी सुझाव और सलाह आयेंगे उसे करूंगा भी। कहीं भी आपको ऐसी जांच की आवश्यकता महसूस होती है कि कहीं लापरवाही हुई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि तीन को ही किस आधार पर कैसे अधिकृत किया और जितने पीड़ित हैं उसके आधार पर बाकी लैब को क्यों अधिकृत नहीं किया ? कितने की जरूरत है ? जांच की रिपोर्ट पांच-पांच, छः-छः दिन में आ रही है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन जगह के जो रेट हैं मैं नाम भी पढ़ देता हूं कि कौन सलेक्टेड हैं, गंगा डायग्नोस्टिक्स में 2250 रूपये, एस.आर.एल. डायग्नोस्टिकस रायपुर में 3250 रूपये, डॉ. लाल पैथालॉजी में 3250।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर में सुविधा है और रायपुर में ही आपने अधिकृत किया। मैंने कहा कि प्रदेश में दूसरी जगह भी जो लैब सक्षम नहीं है वहां आपने अधिकृत क्यों नहीं किया ? रायपुर में ही क्यों अधिकृत किया ? सबसे अधिक पीड़ित क्षेत्र जो आपने बताया उधर किसी लैब को अधिकृत नहीं किया है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कर देंगे। ये लोग सैंपल सब जगह से लेते हैं और आप जहां चाहिएगा कि और लोगों को अधिकृत कर दिया जाए, कर दिया जायेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दूसरा पूछा है कि जनसंख्या के अनुपात में इसके लिए कितनी दवाई रखनी चाहिए? इस बारे में क्या निर्देश हैं? जब आपने अलर्ट जारी किया है तो उसके अनुपात में आपके पास उतनी दवाईयां हैं क्या? तीसरा मैंने कहा है कि आप अपने खर्च से वैक्सीनेशन करायेंगे क्या? चौथा शकुन साहू की मृत्यु की लापरवाही?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी मामले में मैंने पहले भी कहा और हमेशा के लिए यह जवाब है कि।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दवाई के बारे में बताईये ना। एलर्ट में जितनी दवाई रखनी चाहिए, कितनी दवाई रखी जाती है उतनी दवा आपके पास है या नहीं ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जांच के लिए जो आपने पूछा था वह बता देता हूं। बी.एस.एल. 3 और 2 स्टैंडर्ड लैब को ही अधिकृत किया जाता है। और ऐसे लैब होंगे जहां आप चाहेंगे कि कर दिया जाए तो उनको भी दे दिया जायेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो निजी क्षेत्र के विरोधी हैं।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निजी क्षेत्र में पैसा लेने का मैं बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर इसको क्यों कर दिये, सरकार को सक्षम बनाईये ना।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑप्सन फ्री का है। एम्स में व्यवस्था है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए, उसे बाद में कर लेंगे। मैंने पूछा है कि एलर्ट में जितनी दवाईयों की व्यवस्था की जाती है, उतनी दवाई की व्यवस्था आपके पास है क्या? कौन-कौन सी दवाई कहां कहां है, ये सीधा प्रश्न है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरी जानकारी मैंने पढ़कर भी बता दी थी। कुल संख्या उसका जोड़ है मैं आपको लिखकर भी दे दूंगा कि कितनी दवाईयां किस अस्पताल में उपलब्ध है। मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा और ये तीन।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरा मैंने वैक्सीनेशन पूछा। आप राज्य के खर्च से वैक्सीनेशन करायेंगे क्या?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नि:शुल्क उपलब्ध है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप करायेंगे क्या, नि:शुल्क उपलब्ध नहीं है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 3322 वैक्सीन उपलब्ध हैं और ये नि:शुल्क लगेंगे। जिनको लगाना है नि:शुल्क लगेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पोलियो की तरह बाकी बीमारियों में जो टीकाकरण होता है, स्वाईन फ्लू के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आप राज्य की तरफ से बनायेंगे क्या?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और जानकारी जो आपने लैब के संबंध में पूछी थी, वह जानकारी मैं दे देता हूं। तीन ये जो निजी लैब हैं इन्हीं के पास ये फेसिलिटी है, बाकी के पास नहीं है, ये कारण है कि अन्य कोई भी लैब आयेंगे जिनके पास फैसिलिटी है उनको करा देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लैब का आप छोंड दीजिए। मैंने दो बातें कही है। एक में उन्होने कहा है कि बाद में उत्तर दूंगा कि एलर्ट जारी होन के बाद जनसंख्या के अनुपात में कितनी दवाई होनी चाहिए उतनी दवाई है या नहीं यह बाद में उत्तर दूंगा, चलिए वह उत्तर बाद में दे देंगे। मैंने स्पेशिफिक ये पूछा कि आप छत्तीसगढ़ शासन की ओर से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बनायेंगे क्या कि शत प्रतिशत लोगों का वैक्सीनेशन किया जाए?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी आवश्यकता होगी तो जरूर करायेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, और जगह है क्या महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है क्या, यहां आवश्यकता होगी तो जरूर करायेंगे?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र और दिल्ली की तुलना नहीं, छत्तीसगढ़ की बात करें। आप दुनिया में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सुधार के लिए जा सकते हैं और यहां जब डिमांड है, यहां की भौगोलिक जलवायु महाराष्ट्र से दूसरी है, गुजरात से दूसरी है। जो छत्तीसगढ़ में स्थिति है उसमें आप स्टेट से प्रोग्राम बनायेंगे, हॉं या नहीं में उत्तर दीजिए?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कैटेगिरी 3 के जितने पेशेंट होंगे उनका शत प्रतिशत करायेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच का कि शकुन साहू की जो 4 दिन डायरिया का इलाज चलता रहा और उनकी मृत्यु हुई?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जरूर करायेंगे।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूं। काफी महत्वपूर्ण विषय है ।

अध्यक्ष महोदय :- इतनी चर्चा हो गई, आपने इतना समय ले लिया।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अति महत्वपूर्ण विषय है और ...।

अध्यक्ष महोदय :- आपने ध्यानाकर्षण क्यों नहीं दिया।

श्री देवेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, चूंकि चर्चा चल रही थी इसलिए मैं ...।

श्री बृहमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में मेरा भी नाम है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका नाम नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृहमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरक प्रश्न पूछने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें श्री बृजमोहन अग्रवाल जी का नाम नही है ...।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- अध्यक्ष महोदय, भिलाई का मामला है इसलिए एक प्रश्न वे भी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं कह रहा हूं जो भी चितिंत सदस्य हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है और यदि वे पूछना चाहते हैं तो एक प्रश्न पूछने देना चाहिए। मैं ऐसा आग्रह करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप सीधे, सीधे एक प्रश्न कर लीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये महेन्द्र जंघेल हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी जो स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त संचालक थे। उनकी स्वाईन फ्लू की जांच हुई तो क्या उसमें निगेटिव आया था? आपने भी अभी उसका उल्लेख किया। अगर निगेटिव आया था तो उनकी डेथ स्वाईन फ्लू से हुई है। आखिर हमारे लैब से इस प्रकार की रिपोर्ट कैसे आई, दूसरे अन्य जो लैब हैं, जो स्वाईन फ्लू की जांच कर सकते हैं जो कैपेबल हैं, क्या आप उन सबको परमिशन देंगे। क्योंकि इसकी रिपोर्ट आने में चार पांच दिन लग रहे हैं। चार पांच दिन में इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मृत्यु हो जाती है। इसकी रिपोर्ट एक दिन में आ जाये जिससे की उसका ईलाज हो सके। इसके लिए आप अन्य लैब को भी परमिशन देंगे क्या ?

स्वास्थ्य मंत्री (टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी बताया था कि तीन ही हैं जिनके पास वो फैसलिटिस हैं। शत प्रतिशत ऐसे लैब जिनके पास फैसिलिटिस होंगी, बिना भेदभाव के सब के यहां ये व्यवस्था उपलब्ध करा दी जायेगी जिनके पास तकनीकी व्यवस्थाएं हैं। जांच के लिये मैंने भी पूछा था कि यहां निगेटिव कैसे आया और हैदराबाद में पाजीटिव कैसे आया। जानकारी देने वाले विशेषज्ञ ने ये बताया कि इन्क्यूवेशन पीरेड में 2 घंटे तक निगेटिव आता है या आ सकता है। मैं उससे ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं इस विषय का पर ऐसा उन्होंने बताया। 72 घंटे इन्क्यूवेशन पीरेड होने पर।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले शासन के दौरा 46 लोगों को हम लोगों ने डेंगू में खोया था। अब जिस तरीके से स्वाईन फ्लू बढ़ रहा है, निश्चित रूप से गंभीर विषय है। स्वाईन फ्लू जितनी तेरी से फैलती है उसके लिये हम लोगों को जो कार्यशैली अपनानी चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि उसमें हमें और काम करने की आवश्यकता है, और विशेषज्ञों को लगाने की आवश्यकता है। मेरा एक सुझाव है कि डायबिटीज की प्रेडनेंट महिलाएं हैं या कोई बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति है अगर वह स्वाईन फ्लू के चपेट में आ जाता है तो निश्चित रूप से उसके मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि इस तरह के पेसेंट है जिनका स्वाईन फ्लू से डिटेक्ट होता है अगर कोई उनकी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मेडिकल हिस्ट्री पुरानी है तो उनके लिए अलग से आइसूलेटेड एरिया बनाया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- आप अक्सर बात करते हैं न उधर देखा के बात करते हैं। आपको इधर देख के करना चाहिए।

श्री देवेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, आपको देखकर करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- उधर देख के करते हो तो आप प्रभावित हो जाते हो।

श्री देवेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि जिनकी पूर्व में मेडिकल हिस्ट्री है उनके लिये अलग से तैयारी की जाये जिस तरह से जिले के अंदर विभिन्न अस्पतालों में छोटे छोटे रूप से आईसीयूलेटेड वार्ड बनाये जा रहे हैं, अगर उसको एक ही जगह पर पूरी व्यवस्था की जाये तो हम लोगों को सभी मरीजों को डिटेक्ट करने में आशानी होगी।

समय :
12:38 बजे

(सभापति महोदय (श्री अमरजीत भगत) पीठासीन हुए)

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि ये स्वाईन फ्लू प्रदेश के लिए गंभीर मामला है। लगातार देख रहे हैं कि अभी भी इसको रोक पाने में हम लोग सफल नहीं हुए हैं। कहीं न कहीं एक दो मामला आ ही जा रहा है। मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन का जो मामला है शासकीय खर्च में सभी की योजना बना बना करके करायेंगे क्या ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- सभापति महोदय, मैंने पहले भी कहा कि जो हाई रिस्क ग्रुप है, जिनको कैटेगिरी श्री बोलते हैं, अवश्य उनको कवर करा देंगे और हाई रिस्क ग्रुप में वैक्सीनेशन क्रायटिरिया में जो आते हैं मैं उनको पढ़ भी देता हूं। उसको हम लोग भी प्रभावित एरिय में देखे हैं। मेडिकल स्टाफ, टेक्निशयन, हाई रिस्क ग्रुप अन्य परिभाषाएं हैं, मैं सभी साथियों को उपलब्ध भी करवा दूंगा। प्रेडनेंसी के समय की जो महिलाएं हैं, जिन क्षेत्रों में स्वाईन फ्लू के जरा भी केसेस आ रहे हैं इनको वैक्सीनेशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था है हम लोग करा देंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, मैं लगवाया हूं उसका पैसा दिया हूं। सही में लगवाया हूं।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- सभापति महोदय, मैं जरूर रिफंड कर दूंगा। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं लगवाया हूँ, उसका पैसा दिया हूँ। आप सही करवाईये। सही में मैं लगवाया हूँ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय सभापति महोदय, मैं जरूर रिफण्ड कर दूंगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं जानना चाहती हूँ कि अगर किसी को लक्षण दिख रहे हैं और वह टेमी फ्लू पहले से खाने लग जाता है तो उसके कोई नुकसान तो नहीं है, इसके बारे में माननीय मंत्री जी बतायें।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय सभापति महोदय, कोई नुकसान नहीं है। रूकना नहीं चाहिए, उसका दोज पूरा लेना बहुत जरूरी है।

(2) कोरबा जिले के ए.सी.सी.एल की खदानों से कोयला चोरी किया जाना।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

कोरबा जिले में वर्ष 2015-2016 से प्रतिवर्ष आज दिनांक तक बालको संयंत्र को प्रतिमाह 90 हजार टन कोयला की आपूर्ति का डी.ओ. लिंकेज के तहत आवंटित कोयले की प्रतिपूर्ति ए.सी.सी.एल द्वारा मानिकपुर खदान से की जा रही है। उपरोक्त खदान में फर्जी कागज लगाकर एवं डी.ओ. के आधार पर ट्रांसपोटर्स, बालको प्रबंधन और ए.सी.सी.एल के कर्मचारी खुले आम कोयले की चोरी कर रहे हैं। ट्रांसपोटर्स द्वारा उपयोग किया गया लोडर क्र. सी.जी.-04 डी.एम.-8945 वास्तव में ट्रेक्टर है और परिवहन विभाग के अभिलेखों में ट्रेक्टर के रूप में दर्ज है। ए.सी.सी.एल के 4 अधिकारियों पर थाना कोतवाली कोरबा में प्रकरण क्रमांक 26/2019 धारा 420, 467,468, 471 और 34 आई.पी.सी. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध किये जाने के बाद उपरोक्त अधिकारी जिन ट्रांसपोटर्स और ए.सी.सी.एल प्रबंधन के साथ संलिप्त होकर कोयला चोरी कर रहे थे, उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं हुई है और पुलिस अधीक्षक कोरबा ने विशेष जांच के आदेश कर उपरोक्त पंजीबद्ध प्रकरण के खातमा कार्यवाही की अनुशंसा की है। ए.सी.सी.एल की खदानों में इस तरह चल रही कोयला चोरी में संलिप्त अधिकारियों को दोषमुक्त करने की कार्यवाही से जनता में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय सभापति महोदय, ध्यानाकर्षण जो माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है उसमें शासन का उत्तर ये है :-

वस्तु स्थिति इस प्रकार है कि, आवेदक श्री विजय कुमार सिंह, निवासी नमन विहार कॉलोनी कोरबा द्वारा मान. न्यायालय सी.जे.एम. कोरबा में अनावेदकों के विरूद्ध धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् परिवाद प्रस्तुत किया गया था। मान. न्यायालय के आदेश पर दिनांक 12/01/2019 को थाना कोतवाली जिला कोरबा में अप.क्र. 26/19 धारा 420,467,468,471,34 भारतीय दण्ड विधान के

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

तहत् अनावेदकगण क्रमशः प्रेम कुमार, श्रवण पोद्दार, इन्द्रजीत सिंह (उप क्षेत्रीय प्रबंधक एचसीएल), मनोज कुमार (कोयलरी मैनेजर मानिकपुर), ए. प्रभाकर (नोडल ऑफिसर डिस्पेच), मनीष सिंह (नोडल ऑफिसर डिस्पेच), के.एम.प्रसाद (चीफ मैनेजर एक्सवेषन) के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मानतीय सभापति महोदय, उक्त प्रकरण वर्तमान में विवेचनाधीन है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह कहना सही नहीं है कि पुलिस अधीक्षक कोरबा ने विशेष जांच का आदेश कर उपरोक्त पंजीबद्ध प्रकरण के खात्मा कार्यवाही की अनुशंसा की है अपितु प्रकरण वर्तमान में विवेचनाधीन है। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। यह कहना सही नहीं है कि जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है।

समय :
12:44 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने अपने जवाब में कहा है कि गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी कब तक होगी और आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रकरण वर्ष 2016-2017 का है और उस समय जो आवेदन दिया गया था। वह थाने में था। अभी जब आवेदक ने कोर्ट में कहा तो कोर्ट के आदेश हुए और अभी जो एफ.आई.आर. हुआ है वह 26.12 को मानिकपुर आवेदक द्वारा दिया गया था। ये वर्ष 2016-2017 का, अभी 10.01.2019 को पुलिस को न्यायालय ने दिया। आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना करने का और इसको 12.01.2019 को अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना चालू है इसलिए अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें जिन लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है उसमें एक श्रवण पोद्दार है, श्रवण पोद्दार वह व्यक्ति है जिसको बालको प्रबंधन द्वारा डी.ओ. का लाईसेन्स दिया गया था। आपने श्रवण पोद्दार के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर दिया। मेरा यह कहना है कि श्रवण पोद्दार बालको का ट्रांसपोर्टर था। कोयले की चोरी हुई है, यह बात तो तय हो रही है। सी.जी.एम. के कोर्ट के निर्देश पर एफ.आई.आर. हुआ है। इसके पहले एफ.आई.आर. नहीं हो रही थी। सी.जी.एम. ने कहा कि एफ.आई.आर. करिये, तब एफ.आई.आर. हुआ है। जब एफ.आई.आर. हुआ, मेरे पास ट्रासंपोर्टर की सूचना के अधिकार की कापी है, ट्रांसपोर्टर श्रवण पोद्दार के खिलाफ एफ.आई.आर. हुआ। बालको के जिस अधिकारी ने उसको डी.ओ. लेटर जारी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

किया, उस अधिकारी के खिलाफ क्यों कार्यवाही नहीं की गई? कंवलजीत सिंह सलूजा आज वाईस प्रेसीडेन्ट है, तब कोयला का कार्य करते थे, उनके खिलाफ क्यों कार्यवाही नहीं गई? उनको क्यों बचाया जा रहा है?

समय :
12:46 बजे

अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

श्री सदानंद गौड़ा, मंत्री, भारत सरकार

अध्यक्ष महोदय :- श्री सदानंद गौड़ा जी, मंत्री, भारत सरकार आज अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं, मैं अपनी ओर से एवं सदन की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य ने जो कहा कि इनके ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज हुई है, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं कि अभी मात्र एक माह हुआ है, न्यायालय के आदेश पर एफ.आई.आर. हुआ है और हम लोग उसको विवेचना में ले लिये हैं। माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि विवेचना पूरी होते ही जो-जो भी व्यक्ति दोषी होंगे, सबके लिए कार्यवाही की जायेगी, किसी को बख्शा नहीं जायेगा, यह मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि आपने ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कार्यवाही कर दी, माननीय मंत्री जी इस चीज को बतायें कि क्या बालको का जो वाईस प्रेसीडेन्ट है, जो आदमी ने डी.ओ. इशु किया है, बात बिल्कुल स्पष्ट है। वहां पर जो नंबर दिया जा रहा है वह ट्रेक्टर का नंबर है, ट्रेक्टर के नंबर से परिवहन किया है। 90 हजार टन डी.ओ. का मामला है और ट्रेक्टर के नंबर पर ट्रांसपोर्टिंग हो रही है, कोयला कहां जा रहा है, किसके पिटपास में जा रहा है, आपने ए.सी.सी.एल. के अधिकारियों के खिलाफ में एफ.आई.आर. किया, चोरी हुई है तब तो एफ.आई.आर. हुआ है और उसके बाद ट्रांसपोर्टर के खिलाफ एफ.आई.आर. किया। बालको का वाईस प्रेसीडेन्ट जिसने डी.ओ. लेटर जारी किया है, कमलजीत सलूजा आज भी कोरबा में उपलब्ध है, वह वाईस प्रेसीडेन्ट है, उस फैक्टरी में बैठ रहा है। क्या उसके खिलाफ कार्यवाही होगी, अपराध पंजीबद्ध होगा?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, जो आवेदन हैं, विवेचना में लिये हैं, विवेचना में जिन-जिन लोगों का नाम आयेगा, चाहे वह बालको का हो, ए.सी.सी.एल. का हो, ट्रांसपोर्टर हो, जिनका भी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नाम आयेगा, हम सबके लिए उनके ऊपर कार्यवाही करेंगे, किसी को बख्शा नहीं जायेगा।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सी.जी.एम. के कोर्ट ने कहा, यह 90 हजार टन का कोयला 3 खदानों से उठता था, एक मानिकपुर, एक कुसमुंडा की खदान और एक तीसरी अन्य खदान, तीन खदानों से 30-30 हजार टन का कोयला उठता था। 30 टन कोयला के मामले में आपने मानिकपुर खदान में कार्यवाही कर दी, सी.जी.एम. कोर्ट ने निर्देश किया है कि अन्य खदानों पर भी जो संबंधित ए.सी.सी.एल. के अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी कार्यवाही करनी चाहिए। वह प्रकरण लंबित है, सी.जी.एम. कोर्ट ने आपसे कहा है, दो साल में पुलिस विभाग ने आज तक वह प्रकरण वापिस भेजा नहीं है, क्या उन दो खदानों से जहां 30-30 हजार टन का डी.ओ. उठा है, वहां पर भी कार्यवाही करेंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य जी ने जो कहा है, इनके पास जितनी जानकारियां हों, सब दे दें। मैं सबको कार्यवाही में शामिल करने के लिए तैयार हूं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण की जो विवेचना कर रहे हैं, वह अधिकारी पुलिस के टी.आई. बालको थाने में ही पदस्थ हैं, क्या इसकी पूरी विवेचना उस बालको के अधिकारी न करके अन्य जिले के अधिकारियों से पूरे मामले की विवेचना करायेंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष जी, ध्यानाकर्षण आने के बाद इसके प्रसंग को मैं बुलाकर देखा और तत्काल उस अधिकारी को बदलकर नगर पुलिस अधीक्षक को नये सिरे से विवेचना करने की जिम्मेदारी दे दी गई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रसंग तो कथा में आता है, चोरी, ठकैती तो में तो प्रसंग कभी आता नहीं है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण आने के बाद मैंने इसके प्रसंग को बुलाकर देखा और तत्काल उस अधिकारी को बदलकर नगर पुलिस अधीक्षक को नये सिरे से विवेचना करने की जिम्मेदारी दे दी गयी है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रसंग तो कथा वगैरह में आता है । चोरी-डकैती में कभी प्रसंग तो आता नहीं है । आपने पूरी बात सुनी है, हमारे बंधु ने बहुत अच्छी बात उठायी है । एक एक्टिविस्ट न्यायालय में जाता है, 2 साल की घटना है, आपने स्वीकार किया । उसके बाद आप विवेचना करवाते हैं, एक पार्ट की विवेचना होती है, 2 पार्ट अभी बाकी हैं, 2 खदान और आपने उसी अधिकारी को वहां पदस्थ करके रखा है चूंकि न्यायालय के बाद, न्यायालय के हस्तक्षेप से यह घटना जांच में आयी, बाकी लोग लड़ते रहे तो यह घटना जांच में नहीं आयी । इसमें यह महत्वपूर्ण बात है अब इसमें विवेचनाधीन है, न्यायालय के आदेश में वर्ष 2016-17 का विवेचनाधीन चल रहा है यदि आपमें

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

इसके प्रति कोई भावना है कि वास्तव में आप इसको रोकना चाहते हैं, इस गठजोड़ को तोड़ना चाहते हैं तो विवेचना करके सभी पक्षों के ऊपर कितने दिन में आप विवेचना समाप्त करके चालान प्रस्तुत करेंगे, आप यह बताईये कि कितने दिन में करेंगे चूंकि यह बहुत पुराना है ? इतनी सारी पुलिस है, आपकी पुलिस ही तो यहां एक्टिव है । इसमें भी एक्टिव कर दीजिये बाकी कुछ तो हो नहीं रहा है, आप अवधि बतायेंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं ? यह वर्ष 2016-17 की घटना है, सरकार आपकी थी । आपने विवेचना क्यों नहीं करवायी ?

श्री अजय चंद्राकर :- चलिये, हम सरकार में थे, हमने मान लिया । (व्यवधान)

श्री ताम्रध्वज साहू :- एसीसीएल बालको से क्या आपकी मिलीभगत थी, क्यों आपने उसकी जांच नहीं करवायी ? और जब हम जांच करवाने जा रहे हैं तो हमारे ऊपर आरोप का प्रश्न लगा रहे हैं, आप 2-2 सालों से अपराधी को बचाकर रखे हैं । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या कहने का आशय यह है कि आप विवेचना नहीं कराना चाहते, चूंकि मेरी सरकार थी या हमारी सरकारी थी इसलिये तो मैंने स्वीकार कर लिया कि हमारी सरकार थी । अच्छा हुआ या बुरा हुआ वह सब जानते हैं । मैंने यह पूछा इतनी महतवपूर्ण चीजें हैं तो कितनी समयावधि के भीतर इसकी विवेचना पूरी करेंगे, यह बता सकते हैं तो बतायें और यदि नहीं बता सकते हैं तो स्वीकार कर लें कि नहीं बताउंगा । इतना सा प्रश्न है और आप यदि उसमें भाषण दे रहे हैं तो मैं भी उसमें तगड़ा वाला भाषण दे दूंगा ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक लाईन में बता रहा हूं, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं । मैं एक लाईन में उत्तर दे रहा हूं ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय मंत्री जी, जब तक वे नहीं बोलते हैं उनका पेट फूलने लगता है आप नहीं समझे । (हंसी)

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि किसी को भी बचाने का प्रश्न नहीं है ।

श्री अजय चंद्राकर :- मेरा तो पाईंटेड प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय :- पाइंटेड में आ रहे हैं ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पांइटेड उत्तर दे रहा हूं न भई । आप सुनना भी तो सीखें, जब आपकी बात मैं सुन रहा हूं तो आप मेरी भी बात सुनें । जब विवेचना होती है, पाइंटेड मान लो आज 6 आदमी के ऊपर एफ.आई.आर है, विवेचना में 4 आदमी का और नाम आयेगा, रिकॉर्ड इकट्ठा करना होगा तो 8 दिन, 15 दिन कैसे समयावधि बताया जा सकता है पर यह बात ईमानदारी से

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कह सकता हूं कि हम विलंब नहीं करेंगे । जल्दी से जल्दी, बड़ी से बड़ी संस्था हो, बड़े से बड़े आदमी हों, चाहे पुलिस का अधिकारी हो, नेता हो किसी को इसमें बख्शा नहीं जायेगा । जल्द से जल्द सक्षमता से कार्यवाही की जायेगी।(मेजों की थपथपाहट)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह जिस संस्थान का नाम आया है वे बहुत शक्तिशाली लोग हैं । उनकी चिमनी गिर जाती है और उसमें लोग दबकर मर जाते हैं और उसके बाद भी उसमें कोई कार्यवाही नहीं होती है वह 1200 एकड़ जमीन में अवैध कब्जा किये हैं, उसके बाद भी उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, वे कानून से ऊपर वाले लोग हैं तो थानेदार और एसडीओपी की जांच का असर बहुत होगा ऐसा हम लोग नहीं मानते, 90 हजार टन प्रति महीने के कोयला का घपला है चाहे वह भाजपा का हो या किसी का हो, प्रश्न यह है कि हमारी खनिज संपदा का दोहन और अवैध रूप से परिवहन होने की बात आपके संज्ञान में आयी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अब एसआईटी बोलूंगा तो आपको लगेगा कि हम मजाक उड़ाने के लिये बोल रहे हैं इसलिये मैं एसआइटी नहीं बोलूंगा । माननीय मंत्री जी, आपसे मेरा निवेदन है कि क्या कोई आईपीएस अफसर को इस इंक्वॉयरी को करने के लिये डिपुट करेंगे क्योंकि वह छोटे-मोटे थानेदार और एसडीओपी को तो चूंकि वह इतना बड़ा संस्थान है कि वह हिम्मत भी नहीं जुटा पायेगा इसलिये कम से कम एक आइपीएस अफसर को इस पूरे प्रकरण की आप जांच करने के लिये सौंप दीजिये और जांच कराकर जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्यवाही कर दीजिये और कोई घपला क्यों करेगा, 90 हजार क्विंटल पर मंथ और न जाने कितने साल से हो रहा है, एक कोयले की अफरा-तफरी में लोग चुनाव में टिकट मांगने आ जाते हैं, आपकी पार्टी में भी और इधर की पार्टी में भी तो इनसे बचाओ, रेत वाले भी ऐसे ही टिकट मांगने के लिये चुनाव लड़ने आ जाते हैं तो इनसे बचाओ ।

श्री कवासी लखमा :- ठाकुर साहब, आपकी पार्टी में आते हैं कि नहीं आते हैं?

श्री धर्मजीत सिंह:- हमारी पार्टी में कहां कोई आता है यार, रेत वाला कोई आया ही नहीं, माल-टाल वाली पार्टी में जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, आप आईपीएस अफसर से इसकी जांच कराने की घोषणा कर दीजिए ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर जरूरत पड़ी तो बिल्कुल आईपीएस से इसकी जांच कराई जाएगी, कोई हिचक नहीं होगी ।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं कार्यसूची के पद 2 के उप पद (3) से (14) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा, उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जाएंगे :-

3. श्री धर्मजीत सिंह,

4. श्री सौरभ सिंह,

7. श्री सौरभ सिंह,

8. श्री मोहन मरकाम,

10. श्री सौरभ सिंह,

13. श्री सौरभ सिंह.

समय :

12:56 बजे **नियम 267 "क" के अधीन विषय**

अध्यक्ष महोदय :- निम्न लिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जाएंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा :-

1 श्री सौरभ सिंह,

2 श्री शिवरतन शर्मा,

3 श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू,

4 श्री रेखचंद जेन,

5 श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर.

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- मैंने, श्री कवासी लखमा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुरोध पर उनके विभाग की अनुदान मांग के प्रारंभिक कथन को प्रस्तुत करने के लिए श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री को अनुमति प्रदान की है । मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है । मैं तो इसकी प्रशंसा ही करूंगा । लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री की उपस्थिति में हम अधिकृत कर सकते हैं ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री संतराम नेताम :- क्या है कि मंत्री जी की तबियत खराब है, अभी उनको अधिकृत किया गया है, बाद में वे ही उसका उत्तर देंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आसंदी का विषय है ।

श्री दीपक बैज :- हर चीज में आपत्ति ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अरे, मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं । मैं तो उनकी प्रशंसा कर रहा हूं ।

श्री दीपक बैज :- आप सब चीज समझ रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग क्यों उलझाते हैं किसी बात को ।

श्री अमरजीत भगत :- समवेत जिम्मेदारी है और चाहें तो दे सकते हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, एक सदस्य कोई प्वाइंट ऑफ आर्डर उठा रहा है तो उसका जवाब या व्यवस्था आप देंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं दूंगा, आप लोग क्यों जबरन ।

श्री धर्मजीत सिंह :- इधर से व्यवस्था क्यों आ रही है ?

अध्यक्ष महोदय :- यह गलत बात है, आप लोग हर बात में खड़े होते हैं ।

श्री दीपक बैज :- प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं था, आपत्ति कर रहे थे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो उनकी प्रशंसा करूंगा । जो सदन की मान्य परम्परा है, उस पर बहस होगी ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय कवासी लखमा जी के बारे में आप सभी सदस्य जानते हैं । विशेष परिस्थिति में मैंने अकबर भाई को अनुमति दी है। वह भी प्रारंभिक के लिए, अंतिम उत्तर वे देंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसमें आप यह व्यवस्था दे सकते हैं कि इसको भविष्य के लिए उदाहरण न माना जाए ?

अध्यक्ष महोदय :- भविष्य में उदाहरण न माना जाए, लेकिन जब तक ये सदस्य यहां ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मुझे कवासी लखमा जी से कोई असहमति नहीं है । संसदीय प्रक्रिया के कारण मैंने यह बात उठाई । उपस्थित रहते हुए भी अधिकृत किया जा सकता है और अगर विशेष परिस्थिति बनती है तो क्या इसको उदाहरण हमेशा के लिए माना जाएगा या नहीं माना जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय :- उदाहरण नहीं माना जाएगा, परम्परा नहीं मानी जाएगी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :
12:58 बजे

वित्तीय वर्ष 2019-2020 की अनुदान मांगों पर चर्चा

मांग संख्या 11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय के लिए - तीन सौ इकतालीस करोड़, अड़तीस लाख, इक्यासी हजार रूपए तक की राशि दी जाय ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अब इस मांग पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे । कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है । प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जाएंगे ।

मांग संख्या -11
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय

1. श्री अजय चन्द्राकर 2
2. श्री पुन्नूलाल मोहले 1
3. डॉ. रेणु अजीत जोगी 4
4. श्री प्रमोद कुमार शर्मा 1

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी । चलिए, चन्द्राकर जी, आप ही शुरू करिए।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- दो विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो माननीय कवासी लखमा जी इस हाउस के इस गरिमामय सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और जितने इधर पढ़े-लिखे हैं और जो कमजोर बात करते हैं। जातिगत ढंग से आज जो सुबह उल्लेख करने की कोशिश हुई, मैं उसके उस अंत:प्रेरणा की प्रशंसा करता हूं। वे छत्तीसगढ़ के गौरव हैं। अपनी जिजीविशा से अपनी ऊंचाई तक वे पहुंचे हैं। हम हम सबके लिए वे प्रेरणा के स्रोत हैं। जो लोग उसकी तरह आत्मविश्वासी नहीं होते वही जातिगत तरह का इस्तेमाल करते हैं। उसके आत्मविश्वास, उसके प्रदर्शन की मैं प्रशंसा करता हूं और उसको जो मदद की जानी चाहिए। उस शिक्षा, उस दौर में यदि आड़े आ गयी और आज की परिस्थिति में वे निर्वाचित होकर आते हैं तो हम उसकी नैतिक मदद करेंगे। हमने सिर्फ यह उदाहरण न बनें, इसलिए हमने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और फिर से इस बात को बहुत जोर देकर कहूंगा कि आपकी उपस्थिति में माननीय सदस्य और सामाजिक समरता छत्तीसगढ़ की संपत्ति रही है।

श्री अमरजीत भगत :- पता नहीं, आप तारीफ कर रहे हैं कि बेज्जइती कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सामाजिक समरसता छततीसगढ़ की संपत्ति रही है और यह हाउस का गौरव रहा है। आज का दिन अच्छा नहीं था। दो विभाग हैं। दो विभाग में बहुत संक्षिप्त में बोलूंगा। नैतिक रूप से इस सरकार को शराब विभाग में आबकारी विभाग में चर्चा करने का अधिकार नहीं है। थोड़ी भी नैतिकता है। थोड़ी भी नैतिकता है तो आज उत्तर में सदन में घोषणा करनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग सदा के लिए बंद होगा। छत्तीसगढ़ गुजरात बनेगा चाहे जिस परिस्थिति में बने और बंद करने के बाद यदि अवैध शराब बिकती है। मौत होती है। जहरीली शराब बिकती है तो उत्तरप्रदेश में जिन घटनाओं के लिए सरकार ने जो कदम उठायें, वह हम सब मिलकर उठायेंगे लेकिन आज फौरी मांग है कि आप तत्काल तत्काल तत्काल उस विभाग के बहस को रोकिए और दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि हमने पेपरों में पढ़ा। नारा तो आप लोग लगा रहे हैं लेकिन उत्तर क्या देते हैं कि नोटबंदी की तरह नहीं होगा। अगर नोटबंदी की तरह नहीं होगी तो फोटो स्टेट की तरह राजनीतिक बयान मत दीजिए। जिस दिन शराबबंदी आपने लिखा, उस दिन नोटबंदी को पढ़ लिया था। उसके परिणाम, दुष्परिणाम जो भी आये हों, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेपर में आता है कि 4 हजार करोड़ रूपये से ऊपर इस साल का लक्ष्य 4500 करोड़ रूपये समथिंग कुछ निर्धारित किया गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

राजस्व और अधिक हो। यह सरकार इस जनम में शराबबंदी नहीं कर सकती। यह छत्तीसगढ़ की भावनाओं के साथ खेल रही है और मैं तो सिर्फ और सिर्फ इसमें नैतिक....।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट।

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय:- आज भोजनावकाश नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सभा सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

अध्यक्ष महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय मंत्री जी प्रेमसाय जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

श्री दीपक बैज :- अजय भैया, दादी का अभी भोजन बाकी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मान्य परंपरा है। आपने व्यवस्था भी दी थी। कारण चाहे जो भी हो, हम यही कहेंगे कि उस नैतिकता के उच्च मानदण्ड को पारित करें। महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं। कांग्रेस की सरकार रहे या देश में कोई भी सरकारें गुजरात में आये महात्मा गांधी के कारण कभी भी दारू का ओपनिंग नहीं किया। उस राज्य को ड्राई स्टेट बनाकर रखा है। इनको चाहिए कि पहली बार संपूर्ण नशाबंदी प्रदेश के बनने के बाद घोषणा पत्र में किसी भी पार्टी की सरकार में आया है तो उसका पालन करे। इसलिए हम तो दारू विभाग की चर्चा में भाग ही नहीं लेंगे। इसी तरह से भाग लेंगे कि आप उस विभाग को खत्म करिए। राजस्व को वापस लौटाइए और दूसरी बात आरोप-प्रत्यारोप की। इधर बैठकर आलोचना करते थे कि साहब सरकार शराब बेच रही है। आज की तारीख तक मुझे आगे नहीं जाना चाहिए। लोग तो कह रहे हैं। जुलाई तक का तो मामला सेट है कि दुकान सरकार ही चलायेगी। ब्रांडेड वांडेड सबसे बातचीत हो गयी है। अब वे दादी बेचारी जिसकी मैंने प्रशंसा की, वे क्या हिसाब-किताब जानेंगे। चलिए, दादी आपको ड्राई बधाई। आपको ड्राई में बधाई। हिसाब-किताब कोई दूसरा देखे, दस्तखत आप कर देना जैसा आता है आप लिख लेते हो। समझ रहे हैं। आज एक प्रश्न था औद्योगीकरण का। छत्तीसगढ़ में और भी प्रश्न हमने लगाये हैं। सदन में चर्चा होगी। कितना राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। आप बस्तर में टाटा के जमीन को वापस किये हैं। किसकी जमीन को वापस किये हैं? और आप मसीहा बनना चाहते हैं, यह साबित करना चाहते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने या किसी ने गलत ढंग से जमीन अधिग्रहित की है। बिना मुआवजा दिये

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जबर्दस्ती की है। आदिवासियों के जमीन अधिग्रहण की शुरूआत माननीय अजीत जोगी की कांग्रेस सरकार ने बस्तर में की थी। 289 हेक्टेयर जमीन वहां अधिग्रहित की गई। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं।

श्री दीपक बैज :- अजय भैया, जमीन का सन् 2005 से अधिग्रहरण हुआ था, आप सन् 2001 में जा रहे हैं। 1717 किसानों का जमीन वापिस हुआ, हमारी सरकार ने जमीन वापिस की, आप उस पर खुश हैं या नहीं, यह बताईये ? वह ठीक हुआ या गलत हुआ, यह बताईये ?

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, मैं आपके सब निर्णय में खुश हूँ लेकिन मैं किस विषय में दु:खी हूँ, आप उसको सुन लीजिये। क्या हम बस्तर को सदा के लिए समाजशास्त्री अध्ययन के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं ? बस्तर के लोग दौड़ में शामिल मत हो ? आप जमीन वापिस कर दीजिये । परन्तु बस्तर के जो आदिवासी हैं, वहां अन्य समाज के लोग हैं, रेखचंद जी उधर बैठते हैं, जो भी बस्तर को समृद्ध कर रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में समृद्ध कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को, इस सरकार को बस्तर के औद्योगिकीकरण के बारे में व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। आज सरकार में जो स्थिति है, देश में जो स्थितियां हैं, आज वही क्षेत्र, वही प्रदेश आगे बढ़ रहा है, जिसके पास अपने लैण्ड बैंक है और लैण्ड बैंक बनाने की नीति है। लेकिन दुर्भाग्य से राजनीतिक तौर पर उसमें क्षति भा0ज0पा0 ने उठाई। ठीक है, वह गलत है या सही है, वह आपका निर्णय है। मैं नहीं जानता। परन्तु बस्तर को या प्रदेश के किसी हिस्सें में इस तरह की बात करते हैं तो बस्तर के औद्योगिकीकरण के बारे में उसमें जो भी नीति है, आपको एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए, मैं आपसे यह बात जरूर सुनना चाहूंगा कि बस्तर के औद्योगिकीकरण की नीति में कांग्रेस सरकार की क्या योजना है ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात, 3 पार्क ऐसे हैं, एक कोण्डागांव का पार्क- औद्योगिक पार्क पहले से बना है। जिसके एक हिस्से को डॉ0 रमन सिंह जी के समय में खाद्य प्रसंस्करण यानि फूड पार्क घोषित किया था। मुंगेली के फूड पार्क के एक हिस्से को किया था। धमतरी जिले में बगौद में मेगा फूड पार्क बनाया है। तीन यूनिट के काम भी शुरू हो गए, उद्घाटन भी हो गया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अपना नंबर बढ़ाने के लिए जो उद्घाटित है, सिर्फ एक प्रोसेस का, एक हिस्से का अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से नंबर बढ़ाने के लिए उद्घाटन करवा रहे हैं। अब मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जब आपने उद्घाटन करवाया है या शिलान्यास करवाया है, जो भी करवाया है, उसमें क्या लायेंगे, कब लायेंगे, कैसे लायेंगे, किस तरह से लायेंगे ?

समय :
1:07 बजे

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सभापति महोदय, तीसरी बात, आद्योगिक नीति में बिना बातचीत किए, बिना कुछ किए, बिना समाज के उद्योगपतियों को देश-विदेश के लिए जो महत्वपूर्ण नीति बनाई थी, उनके लिए कोई भी चीज आपने विश्वास लिए बगैर कदम उठाना शुरू किया।

माननीय सभापति महोदय, जब हम थे, तो स्टार्टअप के लिए नीति बनाई थी। आज पूरी दुनिया में स्टार्टअप में काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी लगभग 3 हजार के आसपास स्टार्टअप पंजीकृत थे। स्टार्टअप में छत्तीसगढ़ ने कितने स्टार्टअप को इन दो महीने में वित्त पोषण किया ? हमारी स्टार्टअप की नीति जारी रखेंगे, आपने कोई समानान्तर नीति लाई हो तो बता दीजिये ? कुल मिलाकर जो वैकल्पिक उद्योग थे, जिसमें हम वैकल्पिक दे सकते थे, सरकारी क्षेत्रों में रोजगार की कमी हो रही है, इनके नीति और कार्यक्रमों के चलते जो वैकल्पिक रोजगार के क्षेत्र हैं, वे छत्तीसगढ़ में समाप्त हो रहे हैं। एक उस तरह की नीति, जिसमें छत्तीसगढ़ में संसाधन हैं, उनके लिए कोई प्रभावी नीति लायेंगे, इसकी बात कहीं पर नहीं कही है।

माननीय सभापति महोदय, चौथी बात, आखिरी बात, उद्योग विभाग या दूसरे विभाग जो -जो योजनाएं स्वरोजगार के लिए चलाते है, जो लोग भी फायनेंस करवाते हैं, जो भी लक्ष्य स्व उद्योग, लघु उद्योग इकाई के लिए कहीं पर कोई भी उसके लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती है। मैं उस दिन भी भाषण में कह और मैं हमेशा कहता हूँ कि कार फायनेंस कराने के लिए, बिल्डिंग के लिए कंसोटियम बनाकर हजारो करोड़ रूपये कोई लोन में दे देगा, परन्तु लघु उद्यमियों के लिए, लघु उद्योगों के लिए, छत्तीसगढ़ में जो स्टार्टअप कर रहे है, उनके लिए कोई बैंक तैयार नहीं होता है। इनकी नीति या इनके निरीक्षण या इनके कार्यक्रम अस्पष्ट है।

माननीय सभापति महोदय, जब छत्तीसगढ़ में यह वातावरण बनेगाकि सरकार यहां निवेश लाने के लिए इन्टरेस्टेड है, छत्तीसगढ़ में किस तरह के निवेश आने चाहिए ? यहां के संसाधनों के अनुकूल प्रदूषणकारी, जो यहां के संसाधन हैं, उसका सही ढंग से उपयोग हो कि हम उसको अगली पीढी के लिए, भावी छत्तीसगढ़ के लिए भी सुरक्षित रख सकें, ये इच्छा इन दो महीनों में किन्हीं भी कार्यक्रमों में, किसी भी जगह पर नहीं रही। अगर आप इनका बजट देखें तो इन कार्यक्रमों के लिए कोई भी बात कहीं पर नहीं कही है और मैं आपके इन प्रस्तावों का विरोध करता हूं कि आप क्या जमीन का उपयोग करते हैं, लैण्ड बैंक बेच देते हैं, किसी को दे देते हैं, ये विषय नहीं है । छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति बस्तर को अंधेरे युग में ले जाने की जो कोशिश हुई, नीतियों का अभाव हुआ और वहां के लैण्ड बैंक को आधा अधूरा बांटकर आपने राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश की, उसका मैं विरोध करता हूं, आपकी मांग का मैं विरोध करता हूं और आबकारी विभाग में चर्चा जरूर कर रहा हूं, लेकिन नैतिक रूप से ये घोषणा जरूर करनी चाहिए कि हम इस विभाग को आज इस चर्चा के माध्यम से समाप्त घोषित करते हैं । ये

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चालाकी वाले शब्द नोटबंदी की तरह, इसकी तरह, उसकी तरह, इसकी समिति बनाएंगे, उसकी समिति बनाएंगे, समाज के पास जाएंगे, ये करेंगे, वह करेंगे, ये सब अच्छी रीति-नीति नहीं है । इन्होंने समाज को छला, चूंकि उसमें हमारा अशासकीय संकल्प है, चर्चा में कभी आयेगा तो उसमें बातचीत करेंगे, आपको उस विषय में नैतिक रूप से अनुदान मांगने की ताकत नहीं है इसलिए उसका विरोध करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । सभापति महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

श्री दीपक बैज (चित्रकोट) :- माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आज उद्योग और आबकारी विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा हो रही है । इस विभाग का बजट 341 करोड़, 38 लाख रूपये है । उद्योग विभाग महत्वपूर्ण विभाग है और इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बस्तर जैसे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है । मैं बस्तर से ही अपनी बात शुरू करता हूं । अभी चन्द्राकर जी का भाषण मैं सुन रहा था, वे भाषण देकर चले गए । भारतीय जनता पार्टी के राज में लगातार 15 साल शासन किये हैं । इन्होंने 15 सालों में बस्तर की क्या हालत बनाई है । 2005 में राज्य सरकार और टाटा स्टील प्लांट के बीच में 5 हजार एकड़ में प्लांट लगाने एमओयू हुआ और उसके बाद आपने आदिवासियों की क्या हालत की, बस्तर के आदिवासियों की क्या हालत हो गई ? 12 साल किन हालातों में बीता, उनको कभी आप लोगों ने पूछा, कभी जानने की कोशिश की, कभी वहां के विधायक को पूछा, कभी वहां के लोगों से जाकर पूछा । बस्तर को आपने अजायबघर की तरह इस्तेमाल किया है और इसके जिम्मेदार भी आप हैं । मैं माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री जी और छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिया है और वह निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार ही ले सकती है, ये चीज करके दिखाया । हमारी नई सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी और पूरा मंत्रिमण्डल इसलिए भी धन्यवाद की पात्र है । 10 गांव के लोग और 10 गांव प्रभावित हुआ, 2005 में एमओयू हुआ, कुल 1760 किसान प्रभावित हुए और कुल 1764 हेक्टयर जमीन प्रभावित हुई । उन्होंने कोई सर्वेक्षण नहीं किया कि उद्योग लगना चाहिए, कितने आदिवासी प्रभावित होंगे, कितने लोगों को लाभ मिलेगा, किसी प्रकार का कोई सवेक्षण नहीं किया गया, न किसी प्रकार की नीति बनाई गई, इनको उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना है, बस्तर में आदिवासियों की जमीन लो लेकर ढकेल दो, ताकि बस्तर के आदिवासियों को समाप्त करो, बस्तर के आदिवासियों को बेदखल करो, हमने इनकी ये नीति कभी सफल नहीं होने दी । बस्तर में उद्योग की आवश्यकता है, उसमें भी अपनी बात करूंगा, लेकिन आज आपने क्या हालत बनाया, मैं फिर धन्यवाद देना चाहता हूं । हमारी सरकार आई, तात्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी ने उस गांव में जाकर पूछा कि क्या हालात हैं, आपको खाद-बीज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सरकार की योजना का लाभ

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आपका जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, नहीं बन रहा है। आपका रूखा-सूखा हर चीज में तकलीफ। आपने उन्हें जीने-मरने के लिए छोड़ दिया, आपने वहां के किसानों का दर्द नहीं समझा। वहां जो मुख्यमंत्री बैठे हैं वह किसान पुत्र हैं। वह ऊपर से टपक कर नहीं आये हैं। आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी की तो एक इंच बाड़ी नहीं है, वह किसानों का दर्द क्या समझेंगे। आज हमारी सरकार ने किसानों का दर्द समझा और वहां के किसानों की सारी जमीन वापस करने का निर्णय लिया। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं। यह पूरे देश में उदाहरण बन गया। ये हमारी सरकार की नीति थी। केन्द्र में जब वर्ष 2013 में हमारे यू.पी.ए. की सरकार बनी उस सरकार ने तय किया था कि किसानों की जमीन तब तक नहीं ली जा सकती जब तक 80 प्रतिशत किसान सहमत न हों। किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार है। किसानों को इतना अधिकार दिया कि यदि पांच साल में उद्योग नहीं लगे तो सरकार किसानों की जमीन वापस कर सकती है, सरकार ने इसका निर्णय लिया। लेकिन पांच साल निकल गये, 12 साल इन्होंने एम.ओ.यू. की अवधि बढ़ा-बढ़ाकर देखते रहे। आज जब वर्ष 2016 में एम.ओ.यू. की अवधि समाप्त हुई तो भी हमने इसी सदन में बात उठाई कि, हमने इसी सदन में किसानों की लड़ाई लड़ी, एक -एक बात उठाते रहे किन्तु इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगा। अगर आपकी सरकार में थोड़ी बहुत भी संवेदनशीलता और किसानों की चिंता होती, आदिवासियों की थोड़ी बहुत भी चिन्ता होती तो आप किसानों की जमीन वापस कर सकते थे। यह मौखिक रूप से बात करते रहे कि किसानों की जमीन वापस करना है, पैसा दे दो वापस ले लो। ये लोग नाप-तौल, सौदेबाजी में चले गये कि पैसा दे दो जमीन वापस ले लो। हमारी सरकार आई तो हमने बिना शर्त किसानों की जमीन वापस की और 44 करोड़ रूपये खर्च किए और उनसे एक रूपये मुआवजा नहीं मांगा। ये देश के इतिहास में दर्ज हो गया है। आज पूरा देश और पूरा किसान छत्तीसढ़ की सरकार का काम देख रही है। आपको तो धन्यवाद देना चाहिए। आप लोग वहां दर्द भी देते हैं और आज वर्ष 2001 का प्रश्न भी लगा था कि लगभग 200 एकड़ उद्योग विभाग के पास सुरक्षित सरकारी जमीन है और वह किसान की जमीन नहीं है। मैं इस छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने छः दिन के अंदर इतना बड़ा फैसला किया। इतना बड़ा फैसला कांग्रेस की सरकार ही कर सकती है और आपके जैसे उद्योगपतियों की सरकार नहीं कर सकती। नगरनार की स्थापना किसने की? यह कांग्रेस की सरकार ने की। वर्ष 2003 तक कांग्रेस की सरकार थी, नगरनार की नींव कांग्रेस की सरकार ने रखा है। उस नगरनार के सरकारी सेक्टर को इन्होंने बेचने का प्रयास किया है। अगर कांग्रेस ने वहां जाकर विरोध नहीं किया होता तो उस सेक्टर को भी बेच दिये होते। लोक दहशत में थे। अगर उसका भी लाभ मिलेगा तो निश्चित रूप से नगरनार का बस्तर को लाभ मिलेगा। इसके लिए कांग्रेस की सरकार को धन्यवाद देता हूं। आसमान से टपके, खजूर पर लटके। इन्होंने एक तो टाटा के प्लांट का कुछ किया नहीं, इनके प्रधानमंत्री इतने जल्दबाजी में रहे कि दिल्ली से

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

9 मई, 2015 को दंतेवाड़ा आते हैं तथा और एक मेगा स्टील प्लांट का उद्‌घाटन कर जाते हैं। न इनकी सरकार डिलमिली देखी, न वहां जमीन देखी, न वहां किसी प्रकार का सर्वेक्षण हुआ, न वहां इन्होंने किसी प्रकार की समीक्षा की और अल्ट्रा मेगा स्टील प्लांट लगाने का निर्णय लिया। वहां कि आदिवासियों की फिर वही चिन्ता कि इन्होंने टाटा में तो बेघर करने का निर्णय लिया, फिर आपने डिलमिली में बेघर करने का निर्णय ले लिया। वहां की भी हालत क्या रही, इनको पता है। ये है कि हमारे बस्तर से आदिवासी आपके झांसे में आने वाले नहीं हैं। इन्होंने डिलमिली में भी बेहाल करने का निर्णय लिया। आप लोग बहुत ज्यादा उद्‌योग-उद्‌योग करते हैं, भिलाई सटील प्लांट किसने लगाया ? कांग्रेस की सरकार ने लगाया। आज पूरे छत्तीसगढ़ में उसका लोहा बिक रहा है यह किसकी देन है ? यह कांग्रेस की देन है। धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री जी को 5 नये फूटपार्क की स्थापना करने के लिये इन्होंने 50 करोड़ रूपये की घोषणा की और तो और ...।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, 200 फूटपार्क की।

श्री दीपक बैज :- सभापति महोदय, इस साल के बजट में। 5 नये फूटपार्क खोलने के लिए इन्होंने 50 करोड़ रूपये का बजट रखा है। सुकमा में एक फूटपार्क खुलेगी। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री जी को कि इन्होंने लोहण्डीगुड़ा दूरागांव में मेरे क्षेत्र में भी फूटपार्क खोलने का इन्होंने निर्णय लिया। उसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। कोण्डागांव में ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, 105 करोड़ रूपये का मक्का प्रोसेसिंग प्लांट, ये कांग्रेस की सरकार का निर्णय है। माननीय मंत्री जी इसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। कहते हैं बस्तर में एक श्वेत पत्र जारी होनी चाहिए, मैं पूर्व की सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने बस्तर को समझने की कोशिश की ? क्या आपने बस्तर को जानने की कोशिश की ? बस्तर को समझना है तो बस्तर के उन आदिवासियों के पास जा के आप बैठिये जो वहां पर भूखे, नंगे हैं। उनसे आप पूछिये, आप दिन का रोटी कैसे खा रहे है, दिन का चावल मिल रहा है कि नहीं, शाम को आपका कैस बित रहा है आपको आपके बच्चे की क्या तकलीफ है? एक मिनट पीछे और जाना चाह रहा हूं, अभी कुछ बातें नक्सली मुद्दे पर आ रही थी। इन्होंने 15 साल राज किया, वहां गोली चलती थी, सुरक्षा इनकी बढ़ती थी। वहां लोग बेघर मरते थे, आज ये लोग वहां पर जांच की बात कर रहे हैं। आपको बा करने का अधिकार नहीं है। 15 साल में आपने कितने आदिवासियों को बेघर किया है, आदिवासियों को 15 साल में कितने मौत के मुंह में ढकेले, आज आप किस मुंह से बात कर रहे हैं। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि सच्चाई होने के बाद हम अपनी बात रखे। माननीय मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं। आप बस्तर की बात करते हैं, बस्तर उद्‌योग विरोधी नहीं है, क्या आपने बस्तर को 15 साल में पूर्ण रूप से शिक्षित किया है? आपने एक एक किलोमीटर में स्कूल खोला है। आप वहां जा के देखिये एक स्कूल में एक गुरू जी भी नहीं हैं। आप किस बात की बात कर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रहे हैं। हम बस्तर में उद्योग विरोधी नहीं है। हम बस्तर में उद्योग लगाना चाहते हैं। लेकिन उद्योग तब लगेगी, अगर बस्तर में पांच परिवार हैं, पांचों परिवार शिक्षित होंगे। जिस दिन पांचों परिवार शिक्षित होंगे उस दिन बस्तर में उद्योग मांगेगे। हमको नौकरी नहीं मिल रही है, हमको उद्योग चाहिए। तब उस दिन बस्तर में उद्योग लगेगा। आज बस्तर में बड़े उद्योगों की आवश्यकता नहीं है। बसतर में छोटे और लघु उद्योगों की आवश्यकता है। कुटीर उद्योगों की, वहां पर नये फूटपार्को की जरूरत है। कोण्डागांव जैसे मक्का प्रोसेसिंग प्लांट की जरूरत है, ताकि वहां के लोगों का दिल जीत सकें। वहां के आदिवासियों का दिल जीत सके, वहां के किसानों का दिल जी सकें, बस्तर वासियों का दिल जीत सकें, आपके जैसे उद्योगपतियों को वहां पर लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली और बाम्बे से वडाड़ी और अंबानी को ला के वहां पर बैठा देंगे। हम लोगों को बेदखल करेंगे, हैदराबाद से आयेंगे और वहां पर काम करेंगे, हमारे लोग बर्तन साफ करते रहे। आप यही चाहते हैं कि हमारे आदिवासी बर्तन साफ करते रहें। वह दिन चला गया कि हमारे आदिवासी बर्तन साफ करें जब हमारे आदिवासी बस्तर में खड़े होंगे, उस दिन उद्योग लगाने के लिए हम अधिकार मांगेंगे कि बस्तर में भी उद्योग लगना चाहिए। इसके लिए समय लगेगा, निश्चित रूप से 10 साल 20 साल लगेंगे, 20 साल बाद बस्तर में उद्योग आयेगी। जब हमारे आदिवासी मांगेंगे तब आयेगी। उद्योग की आवश्यकता है, बस्तर पूरी तरह शिक्षित हो चुकी है, बस्तर पूरी तरह सक्षम हो चुका है, बस्तर जाग चुकी है, अब रोजगार की आवश्यकता है, तब हम उद्योग लायेंगे और लगायेंगे आपकी हमको आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं पंजीकृत विभाग है, पंजीयक भी है। आपने बस्तर में क्या हालत कर दिया। बस्तर परिवहर संघ जैसी संस्था 46 साल से चल रही है। उनको आपने राजनीतिक भेंट चढ़ा दिया। पंजीयक संस्था के द्वारा आप लोगों ने पंजीयन निरस्त कर दिया। आपने वहां पर व्यापारियों का क्या हालत बना दिया? क्या हालत बनाये ट्रक मालिकों का? क्या हालत बनाये टायर बेचने वालों का? आपने पंचर दुकान खोलने वालों का क्या हालत बनाया? आपने कभी इसको जानने की कोशिश की है? किस दर्द की बात करते हैं, अगर बस्तर को समझना है 15 साल रह के भी आपने बस्तर को नहीं समझ पाया। इसी का नतीजा है कि 12 में से 11 सीट जीतकर आये हैं। ये बस्तर की जनता का उपकार है। आपका कोई एहसान नहीं है। मैं आबकारी विभाग के लिए भी कहना चाहता हूं कि आपने 15 साल रह के पूरी कोचियागिरी किये और आज एक साल पहले आपने ठेका दे के सरकारीकरण कर दिये। आप स्कूल को नहीं चला पा रहे हैं । ठीक है अब सरकार चला रही है। उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है हम लगातार मांग करते रहे, शराबबंदी होनी चाहिए। हम शराबबंदी की ओर एक कदम बढ़ रहे हैं, साहब, आप 15 सालों में 15 कदम नहीं बढ़े। आज आप बोल रहे हैं कि दो महीने की सरकार में शराबबंदी होनी चाहिए। हम भी तो एक कदम बढ़ रहे हैं। हमें 5 साल काम करने का मौका है। हमारी सरकारी करेगी। हमारी सरकार में इच्छा दृष्टि है। हमारी सरकार में काम करने का दृष्टिकोण

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है। आपके जैसे शोषण करने का नहीं है। बिल्कुल शराबबंदी भी होगी और हमारी सरकार शराबबंदी करेगी। समय आने पर करेगी और निश्चित रूप से करेगी। आपने तो समिति बना दी। 5 राज्यों का दौरा किया, वहां से आने के बाद क्या हुआ ?काऊंटर बढ़ा दीजिए, दारू का और बढ़ा दीजिए। आपने वह रिपोर्ट दी। आपकी रिपोर्ट को कैंसिल करने के बाद, मैं इसका खुद उदाहरण हूँ। जहां-जहां आपकी पार्टी की सरकार है। मैं गुजरात का उदाहरण दे रहा हूँ। मैं गुजरात स्वयं गया था। वहां आपने शराबबंदी कर दी है। लेकिन वहां क्या हालत है? आपने कभी जाकर देखा है? वहां 500 की शराब 900 में बिक रही है। हजार की शराब दो हजार में बिक रही है। क्या वहां पूर्ण रूप से शराबबंदी हुई? गुजरात से आपके प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम के नीचे दारू बिक रही है। इसी अध्ययन के लिए हमारी सरकार ने नई टीम गठन करने के बाद जहां सरकार ने शराबबंदी की है, उसका भी अध्ययन कर रही है और जहां सरकार चला रही है, उसका भी अध्ययन कर रही है। सामाजिक संस्थाओं से पूछ रही है, उन लोगों से पूछ रही है। ग्राम सभाओं से पूछ रही है, उसके बाद जरूर निर्णय करेगी। निश्चित रूप से उद्योग, वाणिज्य विभाग की द्वारा कारगर पहल है।

समय :
1:26 बजे **(सभापति महोदय (श्री अमरजीत भगत) पीठासीन हुए)**

मानननीय सभापति महोदय, हम लोगों की लगातार मंत्री जी से चर्चा होते रहती है कि बस्तर जैसे क्षेत्रों के लोगों को नौकरी देना है वहां के लोगों को हमको रोजगार देना है हमको छोटे-छोटे उद्योगों की आवश्यकता है। हम बड़े उद्योगों को समय पर लायेंगे। आपने हमें बोलने की अनुमति दी, इस विभाग के द्वारा 341 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है निश्चित रूप से मैं समझता हूँ ये सर्वसम्मति से इस बजट को पास करना चाहिए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी की अनुदान मांगों पर चर्चा पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। शराबबंदी के बारे में आदरणीय अजय चन्द्राकर जी ने कहा। आपकी सरकार ने कहा शराबबंदी, इसके पहले किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने, आपकी पार्टी के भी घोषणापत्र में और हमारी पार्टी के भी घोषणापत्र में कभी ये नहीं कहा गया था कि शराबबंदी होगी और मैं दावे के साथ कहता हूँ हम सारे सदस्य इस सदन में बैठे हैं। यहां पर शराबबंदी नहीं होगी, आप कोई भी टीम का गठन कर लीजिए और किसी चीज का गठन कर लीजिए। रिपोर्ट आपकी आएगी, क्यों नहीं आएगी उसके लिए पूरे विवेक से बोल रहा हूँ। ये राज्य जो है इस सरकार ने जो निर्णय लिया, माननीय

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रमन सिंह जी की भी मंशा थी कि शराबबंदी हो, पर शराबबंदी करने के लिए इधर का कथन कुछ और होता है और उधर जाईये तब कथन बदल जाता है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्व की बात को एक बार छोड़ दीजिए। हमारा राज्य 7 राज्यों से जुड़ा हुआ है। स्मगलिंग होगी, शराबबंदी के बाद तो क्या होगा ?बूटलगिंग होगी।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, सौरभ सिंह साहब, आप स्वीकार कर लिये।

श्री सौरभ सिंह :- आप बैठिए। मैं बात कर रहा हूँ कि इस सरकार ने 15 साल नहीं किया। मैं भी पूरी योजना बताऊंगा। आप सुनिये।

माननीय सभापति महोदय, 15 साल में सरकार, ये भी 5 सालों में वही निर्णय पर आएंगे जो 15 सालों में हमारी सरकार जिस निर्णय पर थी और हमारी सरकार में रेवेन्यू के मामले को छोड़ दीजिए तो बूटलेगिंग जो होगी, जो अवैध शराब यहां पर आकर बिकेगी और अवैध शराब बिकने के साथ-साथ जो अवैध शराब का शराब माफिया पनपेगा, उसका क्या होगा ? और जो समिति गई और समिति ने जो गठन किया। समिति के गठन ने यही बात को बोला कि किसी भी राज्य में हरियाणा सबसे बड़ा उदाहरण है, बंशीलाल जी का राज्य हरियाणा ऐसे ही जुड़ा हुआ राज्य था और वहां शराबबंदी हुई थी और शराबबंदी के निर्णय का क्या हुआ ? आप भी उसी निर्णय पर लौटकर आएंगे। राजस्व की बात को छोड़ दीजिए और जिस तरीके से शराब माफियाओं का राज आएगा।

माननीय सभापति महोदय, 18 सालों में छत्तीसगढ़ की सरकार में जो राजस्व की पॉलिसी बनी। इस सदन में ऐसे दो मंत्री हैं। जो पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश की सरकार में आबकारी मंत्री रह चुके हैं। आदरणीय डॉ. चरणदास महंत जी और आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी। वे दोनों मंत्री रह चुके हैं। हमारी सरकार बनी, जब छत्तीसगढ़ में आपकी कांग्रेस की सरकार बनी तो बहुत जिम्मेदार मंत्री, छत्तीसगढ़ के शासन में दो मंत्री रहे हैं राजस्व, आबकारी मंत्री। एक माननीय श्री रामचन्द्र सिंहदेव और 15 साल आदरणीय अमर अग्रवाल और जो सरकार की एक्साईज पॉलिसी है ये आपने भी एक्साईज पॉलिसी लाई है। एक्साईज पॉलिसी में क्या बदलाव आया ? 25 दुकानों की संख्या कम हो गई। मैं माननीय मंत्री जी से अपने जवाब में पूछना चाहूंगा कि एक्साईज का राजस्व घटा या नहीं घटा? क्यों नहीं घटा, प्रूफ लीटर की शराब पूरे प्रदेश में कितनी शराब बिकेगी, इसको आबकारी विभाग, एक्साईज विभाग का अमला तय करता है। पूरे प्रदेश में कितनी बिकेगी, एक दुकान में कितनी बिकेगी और एक महीने में कितनी बिकेगी, देशी और अंग्रेजी शराब कितनी बिकेगी, यह सरकार का सिस्टम तय है। यह सरकार का सिस्टम हमारी सरकार ने बनाया था। एक्स्ट्रा शराब न बिके, कोटा जहां से जहर मत जाये, यहां की शराब स्मगलिंग होकर दूसरे प्रदेश में न जाये, इसलिए यह व्यवस्था बनाई गई है। उसमें कोई बदलाव नहीं लाया गया है। यह वह दो लोगों ने व्यवस्था बनाई है, जो एक्साईज की पालिसी बनी है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आपने क्या किया, 25 दुकानें बंद कर दी, अच्छी बात है। उन दुकानों का सरकार के पास जो राजस्व आना था, वह दूसरी दुकानों में ट्रांसफर कर दिया गया। जो प्रूफ लीटर की सेल आनी थी वह दूसरी दुकानों में ट्रांसफर कर दी गई। हमारा राज्य 7 राज्यों से जुड़ा हुआ है, आपने 10 प्रतिशत ड्यूटी बढ़ा दी। पीठ थपथपा ली की 10 प्रतिशत ड्यूटी बढ़ने से और राजस्व आयेगा। जो स्मगलिंग होकर बाहर से दारू आयेगी, उसका क्या होगा? माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब छत्तीसगढ़ की सरकार बनी, आदरणीय रविन्द्र चौबे जी मंत्री थे, तब रामचन्द्र सिंहदेव जी ने यह निर्णय लिया कि लाटरी की पद्धति से शराब की दुकानों का आवंटन होगा। क्यों होगा? लगातार प्रयास किया गया कि शराब माफिया के ऊपर कंट्रोल किया जाये तो लाटरी की पद्धति लगी, एक समय आया 2009-2010 तक 400 करोड रुपये तक की लाटरी के पैसे का राजस्व छत्तीसगढ़ के खज़ाने में आया। फिर शराब माफिया बैठना चालू कर दिये, वह बोले कि सरकार को दारू की लाटरी का राजस्व क्यों दें, हम ही बैठकर तय कर लेते हैं कि यहां पर कौन सी दुकान कौन लेगा और कौन सी दुकान कौन नहीं लेगा। धीरे-धीरे वह राजस्व घटने लगा। जब वह राजस्व घटने लगा तब स्थिति यह आई कि सरकार की शराब की कई दुकानें ऐसी होती थीं, यहां पर टोटल जो शराब की दुकानें हैं, उनमें से कुछ दुकानें ऐसी होती थीं हर साल 40-50 दुकानें नहीं उठती थीं। अब 40-50 दुकानें नहीं उठती थी तो सरकार दुकान तो बंद नहीं कर देगी? तो छोटे से आबकारी अमले के साथ सरकार को दुकान चलाना पड़ता था। अब सरकार शराब की दुकान को चलाती थी।

उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- ठाकुर साहब यह दारू का बजट नहीं है, यह उद्योग वाला है।

श्री सौरभ सिंह :- दादी उसमें बोलूंगा। जवाब आपको देना है। 40-50 दुकानें छूट जाती थीं, अब वह जो 40-50 दुकानें छूट जाती थीं, अगल-बगल से सारे ठेकेदार मिलकर उस दुकान के एरिया में, सरकार की दुकान के एरिया में दारू बेचते थे और स्मगलिंग करवाते थे।

श्री दीपक बैज :- सौरभ भैया आप दारू-दारू बोल रहे हैं, वहां एक विधायक बैठते थे, वह दारू का विरोध करते-करते सदन तक नहीं आ पाये।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है कि वह दारू का विरोध करते-करते नहीं आया और अब ये चिट्टी मांगने से ले करके अब आर्डर देने की स्थिति में आ गये। अंतर इतना आया है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, परिस्थिति यह आई कि वह 50 दुकानों का ठेका नहीं होता था और शराब ठेकेदार उस एरिया में घुसकर उन दुकानों पर जाकर शराब बेचते थे। एक जिले में दो दुकान, एक जिले में तीन दुकान और अगले साल जब फिर से ठेका होता था, जब फिर से अगले साल ठेका होता था तो वह दुकानों का राजस्व घटाया जाता था कि ये लास की दुकाने हैं तो वही ठेकेदार

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वह लास की दुकानों को फिर ले लेते थे। ये परिस्थिति थी। फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और उसने यह बोला कि अब राष्ट्रीय राजमार्ग में दुकानें नही रहेंगी, इतनी दूर रहेंगी। एक परिस्थिति यह आई कि आधी दुकान उठेंगी या आधी दुकान नहीं उठेंगी। तब पूर्ववर्ती सरकार ने निर्णय लिया सरकार को खुद दुकानों को चलाना पड़ेगा, मार्केटिंग कारपोरेशन बनाया गया। यह सारे लोग बोलते थे कि सरकार शराब बेच रही है, चाउर वाले बाबा दारू वाले बाबा हो गये, आज किस चीज के बाबा हो गये। आज क्यों वह परिस्थिति चल रही है ? क्यों वही पालिसी को एडाप्ट किया गया ? क्यों उस पालिसी में कोई चेन्ज नहीं किया ? आप क्यों शराब बेच रहे हैं ? आप शराब को बेचना बंद कर दीजिए। आज क्यों शराब बिक रही है ? शराब इसलिए बिक रही है, सरकार ने बहुत सोचकर निर्णय लिया, सरकार का राजस्व बढ़ा, कोचिया वृत्ति बंद हुई। जो शराब ठेकेदार ले जाकर बेचते थे।

श्री दीपक बैज :- सौरभ भैया, शराब, दारू वाले, चाउर वाले बाबा उधरी थी, इधर किसानों के बाबा बैठे हैं।

श्री सौरभ सिंह :- ठीक है, आप बैठिये न। वह महिला कमाण्डो लोग आपका इंतजार कर रही हैं, लोकसभा चुनाव में जब वोट मांगने जायेंगे तो आपका महिला कमाण्डो इंतजार कर रही हैं कि शराबबंदी की क्या बात होगी। माननीय सभापति महोदय, शराब माफियाओं ने जो इस चुनाव में काम किया, मैं जिम्मेदारी के साथ इस सदन में बोल रहा हूं कि शराब माफिया ने किसका क्या समर्थन किया। मेरा क्या किया, दादी मैं बोलना नहीं चाहता, बहुत सारी चीज को मत बुलवाओ कि किसने क्या किया। शराब माफिया ने क्या रोल किया, क्यों सरकार ने बंद कर दिया ? आज छत्तीसगढ़ मार्केटिंग कॉर्पोरेशन की जो कमाई है उसी नीति के कारण तो आज की जो कमाई है वह लगभग इस बजट में आ रहा है कि 196 करोड़ की कमाई है और 196 करोड़ मार्केटिंग कॉर्पोरेशन की कमाई है और यदि 196 करोड़ रूपये मार्केटिंग कॉर्पोरेशन की कमाई आ रही है तो वह कमाई तो किसी के जेब में जा रही थी न, जो सरकार के राजस्व में आ रही है । यह पॉलिसी बनायी गयी, जिस पॉलिसी की बात की जाती है कि सरकार नहीं बेचेगा करके, आज मैं जिम्मेदारी से इस बात को बोल रहा हूं कि जितनी दुकानें हैं, उतनी दुकानें हैं । यह बॉर के लाईसेंस के बारे में मंत्री जी बतायेंगे कि बॉर का लाईसेंस कैसे दिया जायेगा, कितनी बार दिया जायेगा और कब-कब दिया जायेगा और किसको-किसको दिया जायेगा ? नई दुकानें नहीं खुल सकती हैं पर बॉर के लाईसेंस खुलते हैं, बीच-बीच में बॉर के लाईसेंस खुलते हैं और वह बार के लाईसेंसों से भी शराब की बिक्री होती है ।

सभापति महोदय :- चलिये उद्योग में भी आईये ।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- उद्योग पर आ ही नहीं रहे हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं उद्योग पर भी बोल रहा हूं शराब के मंत्री हैं, वे जवाब देंगे । माननीय मंत्री जी, पता ही नहीं चला कि कहां उद्योग को पार करा दिये करके, बीच में जीएसटी के बगल में छोटा सा आबकारी लिखकर । माननीय सभापति महोदय, आज अवैध शराब की जो बिक्री हो रही है, मैंने जांजगीर जिले के डीओ को तीन बार फोन किया है, मेरे प्रश्न के जवाब में उन्होंने क्या जवाब दिया कि इसके ऊपर कार्यवाही, इसके ऊपर कार्यवाही करके, मैंने बताया कि 3 जगह कहां महुआ के शराब की दुकान, शराब की पूरी महुआ की फैक्ट्री चल रही है पर कोई अधिकारी उस पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं ? अगर आज सरकार शराब की बिक्री पर नियंत्रण करने के लिये तैयार है तो एक वाट्सएप का नंबर क्यों नहीं चालू करते ? जहां वाट्सएप पर लोग फोटो खींचकर भेज दें कि यहां पर शराब की अवैध बिक्री हो रही है करके, एक टोल फ्री नंबर क्यों नहीं चालू करते कि यहां शराब की बिक्री हो रही है ? मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में इस बात को 3 बार जिला आबकारी अधिकारी को फोन कर और लिखित में शिकायत की है पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

माननीय सभापति महोदय, ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन । सरकार का बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन । जिससे शराब की खरीदी होती है । मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में लगभग 2 करोड़ केश शराब की सेल है, उसकी आधी सेल आईएमएल सेल से आती है और जो आईएमएल सेल से सेल आती है, उस आईएमएल सेल की जो सेल आती है उस सेल का बहुत बड़ा पार्ट 50 परसेंट आईएमएल सेल का कंट्रोल ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन करता है । मैं ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन में केवल एक बात बोलना चाहूंगा कि यहां पर एक यूट्यूब में बहुत बड़ा....।

श्री कवासी लखमा :- ये दारू वाला बजट नहीं है । ये केवल उद्योग का है लेकिन इन्होंने उद्योग को छोड़ दिया है । इधर-उधर पहुंच गया है । इनको कितना अच्छा लग रहा है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, यूट्यूब में एक बहुत अच्छाद वाक्या है । पिछले विधानसभा का एक प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, तब के आबकारी मंत्री जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन-कौन से ब्राण्ड बिक रहे हैं, कैसे-कैसे ब्राण्ड बिक रहे हैं, किसके-किसके ब्राण्ड बिक रहे हैं करके ? मैं पूछना चाहता हूं कि कौन से ब्राण्ड आज बिक रहे हैं, किसके-किसके ब्राण्ड बिक रहे हैं, क्यों ब्राण्ड बिक रहे हैं ?

श्री मोहन मरकाम :- श्री सौरभ जी, आपकी पसंद का ब्राण्ड मिल रहा है कि नहीं ? आज उद्योग विभाग पर चर्चा हो रही है और आप दारू विभाग में जा रहे हो ।

श्री दीपक बैज :- श्री सौरभ भैया यह बताईये कि सिम्बा बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए । (हंसी)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री सौरभ सिंह :- आप अभी बैठिये, मैं आपको उसकी बात लॉबी में बताउंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन में बोलूंगा कि विश्व की दो सबसे बड़ी कंपनियां हैं परनॉड रिकॉर्डो उसका ब्राण्ड बता देता हूं, अभी समय है कि नहीं है, नहीं तो मैं सब ब्राण्ड भी बता देता । शीघ्रम ब्राण्ड बेचती है, इम्पीरियल ब्लू सबको बताता हूं कि क्या-क्या उसका ब्राण्ड है, रॉयलस्टे, ब्लेंडर स्प्राईड, पूरा और लंबा बता दूंगा । परनॉड रिकॉर्डो क्या बेचता है और यूएसएल क्या बेचता है, यूएसएल डियॉजो इण्डिया की कंपनी है, जॉनी वॉकर जो बेचती है करके, वे हाईकोर्ट में गये और हाईकोर्ट में जाकर कहा कि साहब हमारी शराब नहीं बिक रही है करके, बिलासपुर हाईकोर्ट का निर्णय आया, क्या सरकार ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन पर कार्यवाही करेगी । मंत्री जी अपनी बात पर जवाब देंगे कि उपरोक्त दारू जिसके हाईकोर्ट का निर्णय है कि यह दारू बिकनी चाहिए करके । इनके खिलाफ बात आ रही है करके ।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें ।

श्री सौरभ सिंह :- एक मिनट उद्योग का बचा है । मंत्री जी ने उद्योग पर बोलने के लिये निवेदन किया है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- श्री सौरभ भैया, आप ब्राण्ड के बारे में मंत्री जी को क्यों बता रहे हैं उनको सब ब्राण्ड मालूम है । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- नहीं, मैं मंत्री जी को यह बोल रहा हूं कि परनॉड रिकॉर्डो का यह ब्राण्ड है और यूएसएल का यह ब्राण्ड है । (व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आप पूरे ब्राण्ड को लिख लेना ।

श्री दीपक बैज :- बांधी भैया, अब उद्योग में बोलने के लिये आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं है तो अब क्या बोलेंगे बताईये ?

सभापति महोदय :- और कितना समय लेंगे ?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मेरी तरफ से मैं प्रमुख वक्ता था, मैं अभी बोल रहा हूं । एकाध नाम काट दीजियेगा कोई बात नहीं है । माननीय सभापति महोदय, उद्योग विभाग में सबसे बड़ी बात सीएसआर की है । यहां जितने उद्योग हैं वे यहां सीएसआर का कितना पैसा खर्च कर रहे हैं । सभी माननीय सदस्यों के यहां उद्योग हैं और वे सारे उद्योग जिस ढंग से खर्चा कर रहे हैं ।

श्री दीपक बैज :- वह तो 15 साल देख लिए बाबा हम लोग (हंसी)। एक रूपया भी इधर नहीं मिलता था ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं। ऐसा सारी जगहों पर हो रहा है । मेरे क्षेत्र में एक उद्योग है केएसके, उसमें प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने बताया है कि

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

वह साढ़े 3 करोड़ रूपया प्रति साल पर्यावरण की स्वीकृति के हिसाब से खर्च करना था । उसने कितना खर्च किया - एक साल में 1 करोड़ 54 लाख, दूसरे साल 1 करोड़, 94 लाख । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा क्योंकि उद्योग के मंत्री हैं । सीएसआर की पॉलिसी बदल गई । सीएसआर की पॉलिसी में विसंगति थी । सीएसआर की पॉलिसी 2013 में बदली है । उस सीएसआर की पॉलिसी के मुताबिक 1 हजार करोड़ से ज्यादा टर्नओवर होगा तो उस टर्नओवर का 2 परसेंट खर्च करना पड़ेगा या प्रॉफिट का 2 परसेंट, जो ज्यादा हो । मैं इस चीज को माननीय सदस्यों को भी बता रहा हूं, जो ज्यादा है उसका 2 परसेंट खर्च करना पड़ेगा । सीएसआर की जो पॉलिसी है उसके बारे में माननीय मंत्री जी अपने जवाब में बताएंगे कि उद्योगों से सीएसआर कैसे खर्च करेंगे ? दूसरी बात, सीमेंट का रेट 15 रूपया बढ़ा था, फिर 10 रूपया बढ़ गया । सीमेंट का रेट 25 रूपया बढ़ गया है । छत्तीसगढ़ में सीमेंट का रेट सीएमए कंट्रोल करता है, सीमेंट मेन्यूफक्चरर एसोसिएशन । वे रेट को क्यों बढ़ा रहे हैं, कैसे रेट को बढ़ा रहे हैं, किस तरह से रेट को बढ़ा रहे हैं ? इस पर माननीय मंत्री ज़रा जवाब देंगे ।

सभापति महोदय, दूसरी चीज, छत्तीसगढ़ में जितना सीमेंट का उत्पादन हो रहा है, उससे ज्यादा क्लिंकर का उत्पादन हो रहा है । क्लिंकर के उत्पादन में भी उतनी ही जीएसटी और सीमेंट के उत्पादन पर भी उतनी ही जीएसटी, सीमेंट का रेट 5400 रूपए टन के हिसाब से ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- सभापति महोदय, मैं एक बात बताना चाहूंगा। माननीय सदस्य ने सीएमए का जिक्र किया है । इसमें शासन का एक भी सदस्य नहीं है ।

श्री सौरभ सिंह :- 5400 रूपए प्रति टन में हमको सीमेंट पर जीएसटी मिलता है और 2800 रूपए प्रति टन क्लिंकर पर जीएसटी मिलता है । किसका नुकसान हो रहा है, प्रदेश के राजस्व का नुकसान हो रहा है । माननीय मंत्री जी इस बात पर कृपापूर्वक जवाब देंगे । सभापति महोदय, आज हम वेल्यू एडीशन की बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में उद्योग लगने चाहिए । छत्तीसगढ़ का 47 परसेंट जीडीपी उद्योगों से आता है । दुर्भाग्य है कि हम उद्योगों, जो हमारा बॉक्साइड है, जो हमारा आयरन ओर है, मिनरल सेक्टर में हम सबसे आगे हैं । उसमें वेल्यू एडीशन का काम होना चाहिए । सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में फूड प्रोसेसिंग की सब लोग बात कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि फूड प्रोसेसिंग के प्लांट के लिए विशेषकर व्यवस्था करेंगे । इसके साथ ही साथ सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के दो प्लांट है एक प्लांट यहां से बहुत दूर नहीं, मांढर में है और दूसरा मेरे विधान सभा क्षेत्र में है। वे प्लांट बंद पड़े हैं । उन प्लांटों से सरकार को न तो कोई राजस्व की प्राप्ति हो रही है और न ही लोगों को रोजगार मिल रहा है । वहां जो सरकार की सम्पति में पैसा लगा है वह धीरे धीरे चोरी होकर जा रहा है, माननीय मंत्री जी इस पर कृपापूर्वक ध्यान देंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय, इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन के अंतर्गत बिलासपुर के सिरगिट्टी में ....।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, आप देखिए, इन लोगों ने कवासी लखमा जी को यहां पर अकेले छोड़ दिया है ।

सभापति महोदय :- रूद्र गुरू जी आ गए हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- यहां तो एक मंत्री नहीं है । 12 में से 10 गायब हैं । सभापति जी यह दुख है कि बस्तर के एक सम्मानित जनप्रतिनिधि को दारू विभाग के मंत्री हैं, उनको अकेले छोड़ दिये हैं ।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्र कुमार) :- सभापति जी, मैं यहां हूं, थोड़ा देख लीजिए ।

श्री सौरभ सिंह :- सभापति महोदय, इंडस्ट्रीयल पार्कों का गठन किया गया है, उसमें लोगों को जमीन भी दी गई है । बहुत सारे उद्योगपति हैं जो जमीनों को लेकर बैठे हुए हैं । न तो उद्योग लगा रहे हैं और न ही जमीन का हस्तांतरण कर रहे हैं । क्या उनकी जमीनें वापस कर दी जाएंगी या उनसे पेनाल्टी ली जाएगी । सभापति महोदय, अंत में हमारे जांजगीर जिले में और कोरबा जिले में बहुत सारे प्लांट लग गए हैं । किसानों ने अपनी जमीनें दे दी है, प्लांट स्थापित हो गए हैं । प्लांट स्थापित होने के बाद उन प्लांटों का संचालन नहीं हो रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उद्योग विभाग का मद है, आप पहल करेंगे कि अगर पावर प्लांट है और उसको कोयला नहीं मिल रहा है तो कोयला क्यों नहीं मिल रहा है ? उन उद्योगों की समस्या क्या है, अगर वे उद्योग चालू होंगे तो सरकार को राजस्व मिलेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा । क्या माननीय मंत्री जी इस पर पहल करेंगे । कोरबा जिले, में रायगढ़ जिले में बहुत सारे उद्योग हैं । बहुत से उद्योग एनसीएलटी में चले गए हैं । एन.सी.एल.टी. माने बैंकों का कर्जा डिफाल्टर हो गये। उसमें बेचने की कार्यवाही चालू हो गई है। जब बेचने की कार्यवाही चालू हो गई है तो उसमें उद्योग विभाग का क्या रोल रहेगा। क्या ये बात करेंगे कि उसका स्पीडली एक्सपरडाइसेस हो और उसका जल्दी से बिके और फिर से उद्योग चालू हो। जमीन तो चली गई। उद्योग स्थापित है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। इस पर माननीय मंत्री जी क्या करेंगे? उद्योग विभाग के मंत्री हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो बंद पड़े हुए हैं। बहुत सारे प्लांट एन.सी.एल.टी. में चले गये हैं। बहुत सारे प्लांट कोल की कमी के कारण बंद हैं। उस पर माननीय मंत्री जी क्या कार्यवाही करेंगे? कृपापूर्वक अपने जवाब में जवाब देंगे और स्थानीय लोगों को अगर रोजगार दिया जा रहा है तो स्थानीय लोगों को कितनी नौकरी दी जायेगी? यह उद्योग विभाग का प्रश्न है कि स्थानीय लोगों को कितनी नौकरी दी जायेगी? इस पर माननीय मंत्री जी का जवाब आ जाए। आपने बोलने के लिए समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री संतराम नेताम।

श्री संतराम नेताम (केशकाल) :- माननीय सभापति महोदय।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री दीपक बैज :- सौरभ भैया, पूरे 15 साल तो कोयला से हाथ काले करते रहे। अब आप मंत्री जी के पास जवाब मांग रहे हैं।

श्री सौरभ सिंह :- सुनिए, मैं आपको एक चीज बताउं। यहां जब बैठते थे तो नो गो एरिया की बात करते थे कि हसदेव में पानी नहीं आयेगा। उधर जाकर क्या योजना रहेगी, यह बताइएगा।

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, माननीय हमारे वाणिज्य मंत्री आदरणीय कवासी लखमा जी द्वारा मांग संख्या 11 के लिए 341 करोड़ 38 लाख 81 हजार की....।

श्री दीपक बैज :- सौरभ भैया, इधर भी बस्तर एक्सप्रेस है और उधर और साइड में बैठे हैं। अभी पूरा सुनना है।

श्री संतराम नेताम :- बजट की मांग की गई है इसके लिए मैं समर्थन करता हूं और इसमें अपनी चर्चा जारी रखता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, अभी मैं चन्द्राकर जी को सुन रहा था। उन्होंने बस्तर के युवाओं के लिए किसानों के लिए चिंता व्यक्त की है। औद्योगिकीकरण कैसे होना चाहिए ? उद्योग के क्षेत्र में कैसी पहल होनी चाहिए ? माननीय मंत्री जी से जवाब चाह रहे थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने 15 साल रहकर बस्तर के किसानों और बेरोजगारों के लिए क्या किया? पहला सवाल जब आप लोहंडीगुड़ा क्षेत्र में आदिवासी किसानों की भूमि का अधिग्रहण कर रहे थे, उस समय जबरन जो किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहते थे, उनको जबर्दस्ती प्रशासन का भय दिखाकर आप उसकी जमीन को लिये। 10 वर्षों में वहां के 10 गांव के 707 लोगों की, किसानों की जमीन इन्होंने लिया। जिसको आज हमारी सरकार, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे उद्योग मंत्री दादी को बधाई देना चाहता हूं कि बस्तर के किसानों की चिंता करते हुए...।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- आप राजस्व मंत्री को क्यों बधाई नहीं दे रहे हैं ?

श्री संतराम नेताम :- नहीं राजस्व मंत्री को भी दूंगा। उनकी भी बारी आयेगी।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- नहीं, राजस्व मंत्री जी से आपका अनबन है क्या ?

श्री संतराम नेताम :- नहीं, राजस्व मंत्री जी को उनके कक्ष में जाकर बधाई दे चुका हूं। आदरणीय सभापति, इतनी चिंता जब आपको थी तो 10 वर्ष तक आप कहां थे ? हम लोग उद्योग नीति के खिलाफ में नहीं हैं। हम बस्तर में सोचते हैं कि उद्योग लगना चाहिए। बस्तर के युवाओं को काम मिलना चाहिए। आपके उद्योग सफल नीति नहीं होने के कारण वहां के लोग बेरोजगार हैं। आज बस्तर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वहां के बेरोजगार और युवा अपने घर के पालन-पोषण के लिए, अपने घर के खर्चे के लिए मजबूर होकर एक तो नरेगा में काम नहीं हो रहा है। कई वर्षों से भुगतान नहीं होना। आखिर अपने घर का पालन-पोषण कैसे करेंगे ? आखिर घर का खर्चा कैसे चलाएंगे ? इनकी गलत नीति के कारण, इनकी उद्योग नीति नहीं होने के कारण वहां के बेरोजगार कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु में अपना

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जीवन-व्यापन करने जाते हैं और होता क्या है वहां उसकी मौत होती है। कई लोग जो ठेकेदार होते हैं, मुझे लोग बताते हैं कि उनसे काफी काम लिया जाता है। दो-दो बजे रात तक काम लेते हैं। इसलिए उनकी तबियत बिगड़ती है। कई लोगों की तो वहां से डेड बॉडी आती है। अगर हम देखें तो रिकार्ड में ऐसे युवा बेरोजगार हैं, जिनकी मौत हो चुकी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के बासकोट के संग्राम मरकाम जो आज भी तमिलनाडु के जेल में बंद है। आखिर इसका दोषी कौन है? इसके बंद होने का कारण यह है कि पिछली सरकार ने अच्छा रोजगार उपलब्ध नहीं कराया है। आज ये विकास की बात करते हैं। हमने 15 साल तक देखा कि हमारे सी0एम0 साहब बस्तर गये।

श्री दीपक बैज :- विकास, विकास सही बोल रहे हो। एक तो इसके पूरे 15 साल के जिम्मेदार उधर ही हैं। विकास, विकास करते हैं और विकास यात्रा करते हैं।

श्री संतराम नेताम :- सभापति महोदय, मैं वही कह रहा हूँ कि ये लोग विकास यात्रा चलाये। करोड़ों-अरबों रूपये विकास यात्रा में खत्म कर दिए। वही पैसा बस्तर के हमारे बेरोजगारों को दिया जाता तो उस पैसे से उनका ...।

श्री केशव चन्द्रा :- मोबाइल भी तो बांटे।

श्री संतराम नेताम :- मोबाइल में, टिफिन में, न जाने कौन-कौन सी योजनाएं बनाये।

श्री दीपक बैज :- चन्द्रा भैय्या, आप जले पर क्यों नमक छिड़क रहे हो ?

श्री संतराम नेताम :- आदरणीय सभापति महोदय, अगर आप बस्तर की सोच रखते हैं, आज बस्तर के युवा लोग, पढ़े-लिखे लोग बेरोजगार हैं। अगर बस्तर के हित की बात करते, तो आपको वहां पुल-पुलिया बनाना चाहिए था, आपने वहां स्कूल कर कर दिया। आज आप वहां के आश्रम, छात्रावास में जाकर देखेंगे तो वहां अव्यवस्था का आलम है और हमारे दो महीने की सरकार से प्रश्न करते हैं और हिसाब मांगते हैं। आदरणीय सभापति महोदय, अगर आप बस्तर को देखना चाहते हैं। बस्तर में पर्याप्त मात्रा में खनिज सम्पदा है। केवल एक सोच होना चाहिए। सरकार में 15 साल रहकर वहां के किसानों, बेरोजगारों के लिए कोई सोच नहीं रखा। मैं तो हमारे उद्योग मंत्री को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे कोण्डागांव के 65 हजार किसान लोग मक्के की खेती करते हैं। (मेजों की थपथपाहट) वहां के लिए सोचा। वहां 65 हजार लोगों को लाभ मिलेगा। 16 फरवरी को हमारे माननीय अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और उद्योग मंत्री जी के द्वारा शिलान्यास किया गया है। वहां के 65 हजार लोगों को लाभ मिलेगा। जब वहां उद्योग लगेगा, तो वहां के किसानों को लाभ मिलेगा। वहां के बेरोजगारों को लाभ मिलेगा। वहां के किसान जो मक्के का उत्पादन करते हैं, उनको लाभ मिलेगा। वहां बिस्किट मिलेगा, वहां की फैक्टरी में जो तमाम प्रकार का उत्पादन है, उनका लाभ मिलेगा। कोण्डागांव के किसानों को लाभ मिलेगा। यह हमारी सरकार की सोच है, यह हमारी सरकार की नति है। अगर आपने करने की इच्छा थी,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तो आप 15 साल चुप क्यों बैठे रहे ? मैं हमारे उद्योग मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि बैलाडीला में जो खदान है, उसका हेड आफिस हैदराबाद में है। सभापति महोदय, मैं चाहता हूँ कि जो वहां हेड आफिस है, वह बस्तर में होना चाहिए। हमको इससे बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र केशकाल में मारी क्षेत्र में पहाड़ के ऊपर बाक्साइट खदान है। मैं उद्योग मंत्री जी से मांग करता हूँ कि उस बाक्साइट खदान का उपयोग होना चाहिए। किसी ठेकेदार ने लीज पर ले लिया है, इसके कारण वहां पर कोई खेती नहीं कर रहा है। तो मैं माननीय मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इसका जो प्रोसीजर है, उसको जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाये। ताकि केशकाल के हमारे आदिवासी लोग, वहां के बेरोजगार लोग, वहां के जो आमजन हैं, उनको लाभ मिलेगा। सरकार को फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र में इमली, उत्तम क्वालिटी का इमली मिलता है। अगर आप इमली का प्रोसेसिंग चालू करेंगे, तो वहां एक अच्छा लाभ होगा। हमारे विधान सभा क्षेत्र में जो इमली का उत्पादन करते हैं, जो इमली बीनते हैं, उनको लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात, हमारे विधान सभा क्षेत्र के बहुत से बेरोजगार दूसरे प्रदेश पलायन कर रहे हैं। अगर आपको इसके लिए रोकथाम करना पड़े तो कम से कम उन बेरोजगारों के लिए छोटे-छोटे कुटीर उद्योग, चाहे अगरबत्ती का हो, साबुन का कारखाना हो, इसको लगाने की जरूरत है। अगर बस्तर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करेंगे तो उद्योग नीति का पालन करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां गट्टीपल्ला में संगमरमर पत्थर निकाला जा रहा है। अच्छी क्वालिटी का है और विदेशों में जा रहा है। उस प्रोजेक्ट को और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। उससे हमारे पंचायत में आय बढ़ती है। एक साल में पंचायत को उससे 30 लाख रूपये मिलते हैं। जिससे उस पंचायत के मूलभूत सुविधा में कार्य कराने से लोगों को लाभ मिलता है।

सभापति महोदय, हमारे सौरभ सिंह जी कह रहे थे कि शराब बंदी होनी चाहिए। हमने संकल्प-पत्र 2013 को भी देखा है कि किसानों को किस प्रकार से धोखा दिया गया, किस प्रकार से संकल्प पत्र में लिखा गया, परन्तु आज क्या हुआ ? हमारी सरकार के द्वारा शराब बंदी पर विचार किया जा रहा है । हमारे जन घोषणा-पत्र में शराब बंदी का लेख जरूर किया गया है, लेकिन कोई भी निर्णय जो जनहित में न हो, ऐसे निर्णय अभी नहीं लेंगे, उसका अध्ययन चल रहा है । अभी दीपक भाई ने बताया । हम गुजरात भी जाएंगे, जहां संचालित हो रहा है, वहां भी जाएंगे, समाज के लोगों से पूछेंगे, समाज में जाकर एक-एक जन से पूछना पड़ेगा कि अगर शराब पूर्णत: बंद करना है तो उसमें क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- संतराम जी, जन घोषणा-पत्र बनाने के पहले माननीय टी. एस. सिंहदेव जी एक-एक लोगों से जाकर पूछा है ।

श्री संतराम नेताम :- आप भी तो जानते हैं कि 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के साथ क्या-क्या वायदा किया और उसमें कितना फालो हुआ । हमारी सरकार उसमें गंभीर है, संवेदनशील है । निश्चित तौर पर उसमें दल का गठन किया गया है । जरूरत पड़ेगी तो पूर्ण शराब बंदी भी होगी, लेकिन अचानक शराब बंदी करना अभी उचित नहीं है...।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति महोदय, मतलब अभी शराब बंदी करने की जरूरत नहीं है ।

श्री संतराम नेताम :- बिल्कुल । अभी उसका अध्ययन होगा । अभी सरकार बने दो ही महीने हुए हैं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- जरूरत पड़ेगी तो बोल रहे हैं मतलब अभी पूर्ण शराब बंदी की जरूरत नहीं है ।

सभापति महोदय :- नेताम जी, समाप्त करें ।

श्री संतराम नेताम :- सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं उद्योग पर कुछ चंद बातें कहने और माननीय मंत्री जी की मांग संख्या-11 का विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं ।

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ बातें माननीय मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं। आपकी जो औद्योगिक नीति है, जिसमें भू अधिग्रहण नियम भी है । इस भू अधिग्रहण नियम के अंतर्गत आपने तो कई जगह में अनुसूचित जाति के जिन लोगों की जमीन ली गई थी, उनको वापस किया, लेकिन कुछ ऐसे और भी जगह हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के हजारों एकड़ जमीनें ली गई हैं । मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में लोड़हाबोर, चिल्हाटी, फतेहडीह ऐसे जगहों में लिया गया और अभी तक उन जमीनों में उद्योग नहीं लगा ।

श्री दीपक बैज :- बांधी जी, जमीन किसने ली थी, उसको भी बता दो।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो अपनी बात रख रहा हूं । जब भूमि अधिग्रहण किया गया तो नोटिफिकेशन हुआ, अब जब नोटिफिकेशन होने के बाद स्वाभाविक है कि खरीदी बिक्री पर अंकुश लगता है, खरीदी-बिक्री का जो नियम है, वह औद्योगिक नीति के अंतर्गत होगा, लेकिन जिन उद्योगपतियों ने एक षड़यंत्र रचा, दलाल बिठाया और कौड़ियों के मोल पर उन किसानों की जमीन खरीदी गई । सभापति महोदय, मैं आज आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि आपने अनुसूचित

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जनजाति की हजारों एकड़ जमीनें जिस तरीके से वापस कराई है क्या ऐसा ही आप मस्तूरी विकासखण्ड में जो किसानों की जमीन ली गई है, अनुसूचित जाति की जमीन ली गई है, उसको वापस करेंगे और साथ ही साथ जब आप औद्योगिक नीति के अंतर्गत भू अधिग्रहण कर रहे हैं तो उनके परिवार को भी नौकरी देने का प्रावधान है तो क्या उस प्रावधान के अंतर्गत उनके किसी बच्चे को नौकरी दी गई ? अधिग्रहण भी कर लिया । अगर आपका उत्पादन चालू है, अगर आप कर रहे हैं, अभी कुछ दिखावा शुरू हुआ है तो क्या जिनकी जमीन आपने अधिग्रहण की है, उनको नौकरी दे रहे हैं या उनको मकान बनाने के रिहैबिलिटेशन लिए लिए दे रहे हैं ? आप इसको दिखवाईएगा । ये अनुसूचित जाति के हितों के संरक्षण के लिए है । इसी विधानसभा में वर्ष 2005 के आसपास हमने इस पर भी बात की थी। पर जैसा भी हो लेकिन मंत्री जी, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही सहज, सरल हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस पर अनुसूचित जाति, जनजाति के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय करेंगे। दूसरा कि आप औद्योगिक नीति बना रहे हैं। इस औद्योगिक नीति में कौन- कौन से उद्योग आते हैं और कौन कौन से उद्योग हैं जो अनुसूचित जाति के क्षेत्र से बाहर हैं? यदि आप अनुसूचित जाति, जनजाति को उद्योग के लिए प्रमोट करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन उद्योगों में उनको क्या-क्या सब्सिडी मिलेगी, आज उनको हम बिजली के लिए कैसी सुविधा दे सकते हैं, कैसे सब्सिडी दे सकते हैं, कैसे लोन उपलब्ध करा सकते हैं जरा इस पर विचार करियेगा। अन्यथा हम औद्योगिक क्षेत्र में अपने अनुसूचित जातियों, जनजातियों का भला नहीं कर सकते। अभी उद्योग विभाग से जो 25 लाख रूपये का लोन मिलता है वह सब्सिडी के साथ मिलता है। उसके लिए कितने पापड बेलने पड़ते हैं? अधिकारी लोग, बैंकर लोग उसे फुटबाल समझते हैं और फुटबाल बनाकर खेलते हैं। बड़े परिश्रम से औद्योगिक क्षेत्र से अपनी पूरी प्रक्रिया कराकर, पूरे प्रकरण को लेकर जब बैंक के पास जाता है तो बैंक उसका निरीक्षण करता है तो उस समय उसको फिर बोलता है कि ये कमियां हैं। ऐसा करके उसको कई साल घुमाते है लेकिन उसे उद्योग विभाग से लोन नहीं देते हैं। बैंकों का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि जिस विकासखंड में है अगर उस विकासखंड के हैं तो बैंको में अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग को अगर लोन का प्रकरण बनाकर भेजा है तो वह उस लक्ष्य के साथ हो और उसके हितों में बात होनी चाहिए और उसे लोन मिलना चाहिए। यदि नहीं मिलता तो यह मानकर चलिएगा कि हम अनुसूचित जाति, जनजाति की औद्योगिक क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर सकते। इसलिए आपसे अनुरोध है कि औद्योगिक नीति में जो भू-अधिग्रहण नीति है उस पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक जगह आपने ध्यान दिया, उसका आपको लाभ मिला। और भी क्षेत्र हैं।

दूसरा आबकारी के क्षेत्र में मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आबकारी में आप अध्ययन दल बनाना चाहते हैं। ये अध्ययन दल बनाने से पहले आप या तो बना लीजिए या बनाने से पहले एक बात मैं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आपके सामने रखता हूं कि अध्ययन दल इस बात पर भी रिसर्च करे कि हमारे यहां का जो महुंआ है उसे कैसे हम अच्छे से दारू के लिए उपयोग कर सकते हैं। महुंआ पर रिसर्च होना चाहिए। जैसे गोवा में होता है, गोवा का एक रिसर्च है। वहां के काजुओं से भी फैनी बनायी जाती है जो कि वहां का लोकल ब्रांड है। महुआं छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक रूप से मिलने वाला फल है। इससे पूर्णत: शराब भी बन रही है यदि इस शराब का भी अच्छे संशोधन के साथ, अच्छे रिसर्च के साथ निर्माण किया जाए तो निश्चित तौर पर इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। एक बात कनकी के उपयोग के संबंध में आई। हम छत्तीसगढ़ में धान उत्पादन के क्षेत्र में आगे हैं, इस कनकी से भी शराब बनती है, इस पर भी आपका रिसर्च हो। और निश्चित तौर पर जब यह रिसर्च होगा, यदि महुआ और कनकी पर रिसर्च होगा तो उसका अच्छा परिणाम आयेगा।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- डॉक्टर साहब, शराब बनाने की विधि मत बताईये ना। शराब बनना बंद हो इसको बताईये। आप तो उल्टा शराब कैसे बनेगा इसे बता रहे हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- चन्द्रा साहब, बंद करने की कोई उम्मीद नहीं है। वह तो जनता को जिस तरह से बनाना है, इनको जाकर फिर से जवाब देना होगा।

समय :
2:04 बजे

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए)

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- सरकार संवेदनशील है, बंद करेगी।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अभी-अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि शराब के लिए घर-घर लोगों से पूछने जायेंगे। इतने लोग पीड़ित हैं, छत्तीसगढ़ के लोग इतने परेशान हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और उसके संस्कार और उसके युवा वर्ग कितने परेशान हैं? आप देख लीजिएगा कि उनकी इस परेशानी के कारण युवाओं की कालेज में दर्ज संख्या कितनी है, इससे अंदाजा लग जायेगा कि हमारे कितने युवा कालेज में उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए जाते हैं। यह उसका असर पड़ रहा है । हमारे विचारों में फर्क पड़ रहा है, इसलिए आज जब इसका निर्णय करेंगे, अच्छा हो कि ये बंद हो जाये। आग्रह है, हाथ जोड़ करके भी निवेदन है कि आपको आबकारी नीति के लिये अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। आपने जो बात अपने घोषणा पत्र में कही है, जनता की भावनाओं के अनुरूप, छत्तीसगढ़ के लोगों की विचार और उनकी भावनाओं के अनुरूप आपने इसका मुद्दा बनाया और इसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। जब इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई तो फिर से किन्तु परन्तु कह करके इसको अध्ययन दल कह के बहाना लगा करके हम इसको इधर उधर न करें। अगर करना ही है तो हमारे यहां जो महुआ, कनकी है इस पर साईड बाई साईड रिसर्च होना चाहिए। पक्का, मैं जानता हूं कि आप हाथ उठा रहे हैं,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करेंगे। इसलिए सभापति महोदय, निवेदन है कि आद्योगिक नीति की जिम्मेदारी बढ़िया आपको मिला है। हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति के बंधुओं के हित में अच्छे आद्योगिक नीति हो, उनको उद्योग लगाने में, सब्सिडी लगाने में लाभ पहुंचे, उनकी सीमाएं बढें। इसी आग्रह के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर) :- माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद । मैं माननीय मंत्री जी के बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं। पिछले 15 सालों में जो नीतियां राज्य सरकार की रही, जो कार्यशैली उद्योग विभाग में रही, कहीं न कहीं उसमें बहुत सारी कमियां थी। कहीं न कहीं नीतियां तो बनी, नियम बने, कानून बने लेकिन उन नियमों का, कानूनों का, नीतियों का पालन नहीं हुआ। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कुछ सुझाव इस विषय पर मैं अपनी तरफ सदन में रखना चाहूंगा। केन्द्र शासन के सार्वजनिक उपक्रम जो छत्तीसगढ़ में स्थापित हैं। इनके संबंध में जो नियम है, एवं विभिन्न कर वसूली के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए वह पिछले 15 सालों में नहीं बनी है। केन्द्रीय उपक्रमों में एन.एस.पी.सी.एल, फारेस्ट क्रेप, निगम, बी.एस.पी, बी.आर.पी, एस.ई.सी.एल, एन.टी.पी.सी, एन.एम.डी.सी, इस तरह के बहुत सारे केन्द्रीय उपक्रम छत्तीसगढ़ में संचालित हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन केन्द्रीय उपक्रमों द्वारा बार बार राज्य शासन के निर्देशों की नीतियों की अवहेलना की जाती है। जो इन केन्द्रीय उपक्रम से हमारे राज्य के आम लोगों को लाभ मिलना चाहिए। वह कहीं न कहीं हमें नहीं मिल पाता है। पब्लिक सेक्टर यूनिट के लाभ का 5 प्रतिशत का जो सी.एस.आर रहता है, वह सी.एस.आर का खर्च करने की नीति राज्य शासन को बनानी चाहिए। जब उद्योग यहां पर लगते हैं उसका धुआं हमारे लोगों के ऊपर पड़ता है, उसकी तकलीफ हम लोग झेलते हैं, उसका जो सी.एस.आर का फंड है उसको भी खर्च करने की नीति राज्य शासन द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। मैं ये विषय आपकी जानकारी में इसलिए लाना चाह रहा हूं क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैंने देखा है कि पिछली सरकार के दौरान भिलाई स्टील प्लांट के सी.एस.आर का पैसा उत्तरप्रदेश से लेकर अन्य राज्यों में भी खर्च होता आया है। ये गंभीर विषय है, इस पर नीति बनाना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ मैं माननीय सभापति जी के द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि नगरनार स्टील प्लांट जिसका निर्माण लगभग पूर्ण होने वाला है, इसमें प्रोडक्शन भी चालू होने वाला है। इसमें छत्तीसगढ़ के निवासियों को किस तरीके से लाभ मिले इसको सुनिश्चित करना चाहिए। जैसा कि पूर्व में होता आया है। पी.एस.यू जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसमें राज्य शासन का एक प्रतिनिधि उसकी भर्ती प्रक्रिया के दौरान प्रतिनिधि के रूप में रहता था और वह यह सुनिश्चित करता था कि जो भर्ती प्रक्रिया है, वह सही चल रही है या नहीं चल रही है? उसका लाभ स्थानीय लोगों को जो मिल सकता है, वह मिल रहा है या नहीं मिल रहा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है ? ये प्रथा वर्ष 1980-85 और वर्ष 1995 के दौरान चलती आयी है जो अभी पिछली सरकार के दौरान जिस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि चूंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि भिलाई स्टील प्लांट में छत्तीसगढ़ी भाषा के लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी तो ये तभी सुनिश्चित हो पाएगा, जब इनकी भर्ती प्रक्रिया में राज्य शासन का भी कोई कॉडिनेटर, प्रतिनिधि उसमें इंवाल्व होगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि जो उद्योग निगम द्वारा पी.एस. यू. के संयंत्रों में सुरक्षा मानको का पालन नहीं किया जा रहा है, उसको सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। सुरक्षा विभाग द्वारा संयंत्रों की सुरक्षा मापदण्डों का निरीक्षण नहीं किया जाता है, जिससे लगातार घटनाएं होती हैं। मैं आपको आज से एक साल पूर्व की बात याद दिलाना चाहूंगा कि भिलाई स्टील प्लांट के अंदर गैस लाईन विस्फोट के दौरान लगभग 14 श्रमिकों की उस दुर्घटना में मौत हो गई और आपके सामने बेहद तकलीफ के साथ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि वहां 14 लोगों की मृत्यु के बाद भी कोई भी प्रशासनिक कार्यवाही या जो हमारी नीति, नियम कानून है, उसका जिस आधार पर पालन होना चाहिए, वह नहीं हुआ। मुझे सदन में ये बात बताने में बड़ी तकलीफ हो रही है कि मैं आपको एक घटना बताता हूँ। एक मेरा मित्र है, उसके पिताजी बी.एस.पी. प्लांट में कुछ अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। एक दिन की घटना है लोको पायलट बोलते हैं, लेकिन लोको चलाने का काम बी.एस.पी. प्लांट के अंदर अकुशल कामगारों को दे दिया जाता है और वो व्यक्ति लाईन क्रॉस कर रहे थे जहां पर उनको गाड़ी को रोकना चाहिए, लेकिन उनको इस विषय की जानकारी पूर्णत: नहीं है वह पूरी तरह से कुशल नहीं हैं। वह गाड़ी उनको रौंदते हुए चली गई, मेरे मित्र के पिताजी का देहांत हो गया।

सभापति महोदय :- आप जल्दी समाप्त करें।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय है। जिस तरीके से अगर केन्द्रीय उपक्रमों में कसावट नहीं की गई, ये केन्द्रीय उपक्रम अपने आप को केन्द्र सरकार से ज्यादा मजबूत समझते हैं। आज के समय में केन्द्रीय उपक्रमों में राज्य शासन की नीतियों और राज्य शासन के दिये गये निर्देशों का पालन नहीं होता है।

सभापति महोदय :- कृपया माननीय देवेन्द्र यादव जी अब आप समाप्त करें।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा। आखिरी 4 मिनट में अपनी बातों को खत्म करूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि सेफ्टी मेजर पर पूरी जिम्मेदारी से कार्य होना चाहिए। जिस तरीके से अन्य राज्यों में केन्द्रीय उपक्रमों से संवाद स्थापित करने के लिए और उनको जो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

राज्य शासन की रीति-नीति है, उसके साथ चलाने के लिए एक कमेटी बनायी जाती है। जनप्रतिनिधियों की कमेटी बनाई जाती है, वैसा यहां पर भी बनाया जाना चाहिए ताकि केन्द्रीय उपक्रम और राज्य शासन का प्रॉपर संवाद हो, सी.एस.आर. का पैसा छत्तीसगढ़वासियों के काम आये।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि हमारे भिलाई शहर के अंदर लगभग 105 एकड़ जमीन है शंकर नगर, लक्ष्मण नगर, छावनी बस्ती, राजीव नगर, श्रमिक नगर, आदिवासी मोहल्ला। ये सारी जमीन सी.एस.आई.डी.सी. की है और इस जमीन में पिछले 50 वर्षों से रहने वाले जो लोग हैं, वहां पर वह रह रहे हैं उनका पक्का मकान बना हुआ है। किसी का छोटा व्यवसाय है, किसी का बड़ा व्यवसाय है मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को ये बात कहना चाहता हूँ कि इस जमीन को भी नगर निगम में या राज्य शासन को दिया जाये, ताकि उन लोगों को वहां पर पूर्ण रूप से स्थापित किया जाए। चूंकि आज के समय इतनी बड़ी आबादी को वहां से शिफ्ट करना, हटाना ये संभव नहीं है इसलिए मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है कि ये जमीन नगर निगम को हैण्ड ओव्हर की जाए ताकि उन हितग्राहियों को इसका लाभ मिल सके और आपके माध्यम से पुन: ये बात कहूंगा कि केन्द्रीय उपक्रम जो अपने आप को केन्द्र शासन समझते हैं उन पर सरकार की रीति, नीति, नियम, कायदे कानून फॉलो होने चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अभी वे उद्योग विभाग में जिस स्तर पर बारिकी से काम कर रहे हैं निश्चित रूप से 15 सालों से जो समस्या छत्तीसगढ़ झेल रहा था, जो समस्या छत्तीसगढ़ के आम लोग झेल रहे थे, उससे हम लोग निजात पायेंगे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलोदाबाजार) :-माननीय सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2019-2020 की अनुदान मांग संख्या 11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के संबंध में चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम लोग जन प्रतिनिधि हैं, सबके क्षेत्र में बहुत सारी समस्या होती हैं लेकिन बलोदाबाजार विधानसभा में सबसे ज्यादा समस्या है तो उद्योग पीड़ित हैं। हम लोगों के पास अगर कोई आवेदन आता है तो सबसे ज्यादा उद्योग पीड़ित संबंधी लोगों का आवेदन आता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री को बताना चाहता हूं कि कोई भी उद्योग स्थापित होने के पहले शासन के साथ एक एग्रीमेन्ट एम.ओ.यू. किया जाता है। उस एग्रीमेन्ट के तहत साफ तौर से शासन के द्वारा निर्देशित किया जाता है कि जिनकी जमीन है, क्षेत्र के लोगों का रोजगार का प्रतिशत निर्धारित किया जाता है। जमीन वाले का एक घर से एक व्यक्ति का और क्षेत्रीय लोगों को कितना प्रतिशत रोजगार दिया जाये, यह शासन के साथ एग्रीमेन्ट में किया जाता है। उसके बाद भी हमारे क्षेत्र में जो उद्योग लगे हुए हैं, अभी नवीन उद्योग में 2-3 प्लाण्ट लगे हुए हैं, जैसे कि सिद्धी सीमेन्ट, इमामी सीमेन्ट है। मैं आपके माध्यम

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि शासन के साथ उद्योगों का जो एग्रीमेन्ट है, इसके तहत क्षेत्र के लोगों कों जो उनका हक है, जो जमीन वालों का हक है, उनको रोजगार मिलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग हैं लेकिन हमारे क्षेत्रवासियों का उस उद्योग से किसी भी प्रकार से लाभ नहीं हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में उद्योग होने के बाद भी उस क्षेत्र के युवा बेरोजगार दर-दर भटक रहे हैं। उस क्षेत्र में उद्योग होने के बाद उस क्षेत्र के लोगों को लाभ नहीं मिल के अन्य प्रान्त से आयातित लोगों को नौकरी पर रखा जा रहा है। उद्योग नीति की धज्जियां उड़ाकर उद्योगपति वहां उद्योग चला रहे हैं। इनके लिए कम से कम कोई ऐसा ठोस नियम बनायें, ठोस कदम उठायें।

माननीय सभापति महोदय, उस उद्योग से होने वाली आय है, अभी माननीय दो-तीन सदस्य लोग भी सी.एस.आर. राशि का जिक्र किये, उस प्रभावित क्षेत्र में उस सी.एस.आर. राशि का उपयोग होना चाहिए। लेकिन यह बताते हुए अत्यन्त दु:ख हो रहा है उस राशि का भी इन उद्योगपति के प्रबंधकों के द्वारा निरंतर दुरूपयोग किया जा रहा है। उस राशि का अपने ही ठेकेदार द्वारा गोल-मोल बिल बनाकर उनका बिल जमा कर दिया जाता है और उनके पूरे पैसे को हड़प लिया जाता है। उद्योग नीति में उद्योग का जो दायित्व है, उद्योग नीति के तहत एग्रीमेन्ट के हिसाब से जो नियम का पालन करना चाहिए, ये हमारे उद्योगों के प्रबंधक उद्योग नीति की पूरी धज्जियां उड़ाकर न तो पुनर्वास का उनको मुआवजा दे रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि ये उद्योग वाले को अगर किसी किसान की जमीन खरीदनी होती है तो दलाल के माध्यम से जो जमीन खरीदना होता है, उनका नक्शा खसरा पहले से दलाल के माध्यम से वहां पर फैला दिया जाता है। ताकि उन किसानों को जिनकी जमीन है, उनको उनका हक न मिल सके। दलाल के माध्यम से जमीन खरीदने के कारण उद्योग नीति का लाभ मूलत: किसान को नहीं मिल पाता। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, शासन की जो उद्योग नीति है, मैं कोई नया नियम बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जो उद्योग नीति है उसको अच्छे से पालन करें। हमारे क्षेत्र के अधिकारी लोगों की मिलीभगत से कई सरकारी जमीन को पूरा कब्जा कर लिया जाता है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में कम से कम वह अधिकारियों के ऊपर लगाम करें । हमारे संयंत्र के प्रबंधक इतने ताकतवर हैं, इतने ज्यादा मजबूत हैं कि उनका पूरा दखलंदाजी रहता है ।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, पूरे क्षेत्र की समस्या है और यह उद्योग विभाग मेरे लिये ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिये है क्योंकि उद्योग विभाग से यदि कोई सबसे ज्यादा पीड़ित है तो हमारे क्षेत्र की जनता पीड़ित है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री सीमेंट रायपुर द्वारा 27 किसानों का इंदिरा, हरेली-सहेली के तहत् जो सरकारी जमीन दी गयी थी उसको भी कब्जा करके रख लिया गया है और उसके बाद भी हमारे प्रश्नकाल में हमारे माननीय अधिकारी गलत जवाब देते हैं । मैंने उद्योग विभाग से संबंधित प्रश्न किया था, सोलहवें नंबर पर मेरा प्रश्न आया था, मेरा नंबर नहीं लगा लेकिन जवाब में यह आया कि किसी भी प्रकार का कोई अधिग्रहण नहीं किया गया है । माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरे पास पूरे दस्तावेज भी हैं कि आप क्षेत्र में उच्च स्तरीय जांच कराईये ।

सभापति महोदय :- कृपया जल्दी समाप्त करें ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर मसला है क्योंकि बलौदा बाजार में सारे उद्योगपति जो सीमेंट प्लांट लगाये हैं वे किसानों का शोषण कर रहे हैं । लूट-खसौट मचाये हुए हैं, उत्पाद कर रहे हैं, वे वहां के जनप्रतिनिधि हैं, बोल रहे हैं, मैं समझता हूं कि मंत्री जी समझ रहे होंगे तो जरूर उस पर ध्यान देंगे इसलिये उनको थोड़ा कृपापूर्वक मौका दे दीजिये ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, अगर इन प्रबंधक से बात करते हैं तो ये दोस्ती की दुहाई देते हैं कि सत्तापक्ष के मंत्री लोगों के साथ हमारे संबंध हैं । मैं आपको बता दूं उद्योग नीति के तहत् जो डीजल दिया जाता है, डीजल को केवल इसलिये दिया जाता है कि अपने काम के लिये उपयोग करे, अपने संयंत्र में उपयोग करे लेकिन उस डीजल को ट्रांसपोर्टरों को जबरदस्ती बिना बिल के बेचा जाता है । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र में जितने सारे उद्योग लगे हुए हैं, एक-एक उद्योग नीति का पालन किया जाये और मैं अंत में माननीय मंत्री जी से एक आखिरी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में शराबबंदी के लिये कोई ऐसी नीति नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो 10 रूपये ज्यादा शराब की बिक्री हो रही है, जिले के अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं ? मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो अवैध रूप से 10 रूपये ज्यादा एक्स्ट्रा ले रहे हैं उसको बंद करा दीजिये । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप 100 रूपये ज्यादा बिकवाओ उसमें हमको आपत्ति नहीं है ।

श्री मोहन मरकाम (कोंडागांव) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अनुदान मांग संख्या-11 में 341 करोड़ वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात कहना चाहता हूं । किसी भी प्रदेश और देश के विकास में उद्योगों का होना अतिआवश्यक है । कहीं न कहीं उस प्रदेश के, उस देश के जीडीपी में उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान होता है, कहीं न कहीं उस प्रदेश में उद्योग लगें और वहां रोजगार के अवसर मिलें ऐसी हर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सरकार की मंशा होती है । माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ के जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का 47.17 प्रतिशत योगदान है ।

समय :
2:24 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष महोदय, वहीं सेवा क्षेत्र का 35.63 प्रतिशत कृषि क्षेत्र का 17.21 प्रतिशत है । कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बहुत बड़ा है इसीलिये हमारी नयी औद्योगिक नीति वर्ष 2019-24 हमारी सरकार 15 वर्षों बाद छत्तीसगढ़ में बनी है । हम भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों को, युवाओं को यहां के संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा दोहन हो इसलिये हमारी औद्योग नीति है । अब तक का औद्योगिक विकास रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ और कोरबा रहा है । हमारा लक्ष्य अब अति पिछड़े आदिवासी जिलों जैसे जगदलपुर, सरगुजा, जशपुर, कांकेर, कोण्डागांव और दंतेवाड़ा जैसे पिछड़े जिले रहेंगे । आवश्यकता पड़ने पर बाहर राज्यों से भी अध्ययन भ्रमण किया जायेगा एवं जो औद्योगिक विकास में हमसे आगे हैं उनकी नीतियों का भी अध्ययन कर उनके अच्छे कार्यों को अपनी नीति में लेंगे, 15 साल बाद हम सरकार में आये हैं तो जरूर हम जो-जो भी प्रदेश में औद्योगिक नीतियां हैं उन औद्योगिक नीतियों का भी हम अध्ययन करेंगे और छत्तीसगढ़ में नयी औद्योगिक नीति लागू करेंगे । अध्यक्ष महोदय, आज हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के विकास में 15 सालों से सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े एमओयू होते रहे हैं लेकिन उन्हे कार्य रूप में परिणित होना चाहिए, वह नहीं हो पाते हैं । अध्क्ष महोदय, वाणिज्य एवं उद्योग, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, राज्य के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2019-20 में तीन करोड़, एक लाख का प्रावधान किया गया है जिसमें स्वरोजगार के लिए 670 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने...।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, खत्म कीजिए, अब हो गया, समाप्त कीजिए।

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष जी, मैंने अभी तो शुरू किया है ।

अध्यक्ष महोदय :- हां, फिर भी खत्म कर दीजिए । मुझे जल्दी खत्म करना है। माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे ।

श्री मोहन मरकाम :- ठीक है, धन्यवाद ।

केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित अनुदान मांग है ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप तैयार रहिए । हैलो... आप तैयार रहिए आपको उत्तर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

देना है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- सभी सदस्यों ने चर्चा की कि पूर्ण शराबबंदी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- उस विषय पर बहुत चर्चा हो गई केशव जी । कोई दूसरी बात करिये, बेचारे को काहे उलझा रहे हो । वो समझ सके ऐसी बात करो ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अध्यक्ष महोदय, मैं उसी बात को तो कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं । चाहे इनकी सरकार रही हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है अध्यक्ष जी, उनको एक ही बात समझ में आती है । जो उनको समझ में आती है वही बात कर रहे हैं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- चाहे इनकी सरकार ही हो या इनकी हो । अध्यक्ष महोदय, यही लोग जब इधर बैठते थे तो पूर्ण शराबबंदी की मांग पूरे जोश के साथ करते थे और आज उधर गए हैं तो अध्ययन दल की आवश्यकता है । अध्ययन किस बात के लिए, समाज की बुराई को समाप्त करने के लिए इनको अध्ययन करने की आवश्यकता है । अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की जनता की भावनाओं के साथ यह खिलवाड़ है कि आप सरकार में इस आश्वासन के साथ आए कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे और आज अध्ययन की आवश्यकता है । मैं इस बात को मानता हूं कि शराब की बिक्री से शासन को एक बहुत बड़ा राजस्व प्राप्त होता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अरे, सरकार ने चार बार कर्जा लिया है और दारू बंद करेगी तो और कर्जा ले लेगी । उसमें क्या है । हाथी छाप, हाथी सीधे एक ही रास्ते में चलता है, आजू बाजू नहीं चलता । शराबबंदी मतलब शराबबंदी ।

अध्यक्ष महोदय :- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की मांगों पर चर्चा है उस पर चर्चा करिये ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अध्यक्ष महोदय, वाणिज्य में ही आबकारी विभाग है और आबकारी तो दारू ही बेचता है । मैं कहीं मांग से अलग नहीं बोल रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, यह केवल राजस्व की बात नहीं है । इसमें बहुत सारा रहस्य छिपा है, अगर ये शराबबंदी कर देंगे तो इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी । इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने कहा कि अगर सरकार शराब बेचेगी तो अवैध शराब बिकनी बंद हो जाएगी लेकिन कितना अवैध शराब बिकनी बंद हो गई, ठेकेदार जरूर बंद हो गए लेकिन ठेकेदार की जगह सरकार स्वयं ठेकेदार हो गई, अधिकारी ठेकेदार हो गए और जो कमीशन ठेकेदार देता था आज वही लूट अधिकारी लोग मचाए हैं । अध्यक्ष महोदय, शासन की नीति स्पष्ट होनी चाहिए । अध्ययन के नाम पर गुमराह करने वाली बात नहीं होनी चाहिए । मैं माननीय मंत्री जी से इसका जवाब भी चाहूंगा । किस बात के लिए अध्ययन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

की आवश्यकता है । बुराई को खत्म करने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता है । अगर आप यह सोच रहे हैं कि शराब पीने वाले 10 लोग शराब बंद करने से मर जाएंगे तो उनके कारण आप लाखों लोगों को मृत्यु क्यों दे रहे हैं। शराब के कारण हमारी पूरी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है । देश का आने वाला भविष्य बर्बाद हो रहा है । आप उनके साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, एक तरफ सरकार शराब बेच रही है और दूसरी तरफ भारत माता वाहिनी का गठन किया गया है । पुलिस विभाग ने गांव गांव में महिला कमांडो बनाए हैं कि आप डंडा पकड़ो और शराब पीने वाले को मारो । जबकि शराब कौन बेचेगा ? सरकार। तो आप गांव-गांव में विवाद की स्थिति पैदा कर रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह समाज की बुराई है, कुरीति है, उनको आप दूर करें।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी। आप समाप्त करें।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय मंत्री जी, उद्योग के बारे में मैं दो मिनट अपनी बात रख दूं। अगर आपकी इजाजत हो तो।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, बस आज छोड़िए। अगली बार रखिएगा। माननीय मंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

श्री कवासी लखमा :- क्यों मार रहे हैं? (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उनके भाषण का हम लोग बहुत-बहुत स्वागत करते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- दादी बधाई। अब चिट्ठी नहीं आर्डर चलता है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- चिट्ठी चलेगा दादी।

श्री अजय चन्द्राकर :- दादी, हिसाब-किताब इधर-उधर नहीं होना चाहिए न और इधर माल सही मिलना चाहिए।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार बजट भाषण देने के लिए खड़ा हुआ हूं। अगर कोई गलती हो तो माफ करना। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- आपका स्वागत है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पवित्र सदन में लगातार मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ में विधान सभा में चुनकर आता रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता, सुकमा की जनता को मैं बधाई देता हूं। यहां तक पहुंचने में उन्हीं का हाथ है। भगवान के बाद हमारे मतदाता मेरे लिए भगवान हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- पहले मंत्री हैं, जो बिना पढ़े जवाब दे रहे हैं। तारीफ करनी चाहिए। (मेजों की थपथपाहट)

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- मैं माननीय चन्द्राकर जी को इसी बात को बोल रहा था कि जब लखमा जी बोलेंगे तो पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष जी, आपके संरक्षण के साथ मैं हमारे पार्टी के नेता इस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, देश के नेता माननीय राहुल गांधी जी को और हमारे विधान सभा के कोंटा की जनता को बधाई देता हूं। मुझे लगातार एम.एल.ए. बनने के बाद मंत्री बनने का मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया है। पूरे देश में इसी का उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि अंतिम व्यक्ति का हम विकास करेंगे। अंतिम व्यक्ति के रूप में मैं आज यहां खड़े होकर मंत्री के रूप में भाषण दे रहा हूं, एक उदाहरण है और अंतिम व्यक्ति को मंत्री बनाने का हमारी सरकार ने हिन्दुस्तान में नया इतिहास रचा है। हम लोगों के जिंदा रहने के बाद और मरने के बाद भी इसका नाम होगा।

अध्यक्ष महोदय :- इनको धन्यवाद दीजिए। सब ने आपका सहयोग किया अच्छा स्वागत किया। भाषण दिया।

श्री कवासी लखमा :- सबसे पहले अजय चन्द्राकर को खूब बोलने वाला आदमी आज थोड़ा कम बोला है, इसलिए उसको बधाई देता हूं। (हंसी) कहीं न कहीं सपोर्ट किया है और उसके बाद हमारे दीपक बैज ने और बाकी सभी विद्वान लोगों ने अच्छा सुझाव दिया और दारू के बारे में ज्यादा बात किये कि उसका बजट नहीं है। उसी दिन खत्म हो गया जब होगा तो उसके लिए बात करेंगे लेकिन यह उद्योग का 339 करोड़ रूपये का बजट है। किसी भी देश में किसी भी समाज में अगर विकास करना है तो सिर्फ उद्योग विभाग है। बड़े-बड़े सेट लोगों ने यहां अपना पैसा लगाकर बड़ी-बड़ी कंपनी लगाकर देश का विकास करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हम पैसा भले ही कम देते हैं। वे हमारी जमीन का उपयोग करते हैं। हम लोग पानी देते हैं लेकिन वे लोग अपनी जेब का पैसा लगाकर देश के विकास में बहुत योगदान देते हैं। यह उद्योग विभाग है। बाकी को तो हम लोग पैसा देंगे, ज्यादा पैसा देंगे कम काम करेंगे। यह उद्योग विभाग ऐसा है कि हम लोग कम पैसा देंगे। हम लोग के जमीन पानी देने के बाद हमारे विकास में ज्यादा मदद करता है। किसी भी समाज में, किसी भी प्रदेश में अगर उद्योग विभाग रहेगा तो उसी का विकास होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के घोषणा पत्र के अनुरूप हमारे मुख्यमंत्री के विचार और छत्तीसगढ़ की जनता के विचार, के आधार पर उद्योग की नई नीति बनेगी। 2019 में उद्योग नीति खत्म हो रही है। वर्ष 2019 के लास्ट में हम इस छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति बनाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने, छत्तीसगढ़ के लोगों ने और छत्तीसगढ़ के किसान,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

छत्तीसगढ़ के मजदूर सभी मिलकर ऐसी उद्योग नीति बनाएंगे। इस हेतु हम लोग प्लान कर रहे हैं कि सितंबर-अक्टूबर में आपके सामने उद्योग नीति लाएंगे। पहले के उद्योग नीति से यह अलग नीति बनेगा। हम लोग यह प्लान कर रहे हैं कि हिन्दुस्तान में बहुत अच्छा फल-फूल रहा है, अगर उद्योगों का कहीं विकास हो रहा है तो तेलंगाना में हो रहा है, मेरे पड़ोसी राज्य में हो रहा है। हम तेलंगाना भी जायेंगे, तामिलनाडु भी जायेंगे, हम हाईपावर कमेटी का गठन करेंगे। आपके तरफ लोग रहेंगे, हमारे तरफ से भी रहेंगे, गांव वाले भी रहेंगे, सब लोग मिलकर पूरे देश का भ्रमण करेंगे। मेरी सोच है कि पहले तेलंगाना राज्य जायेंगे। उसके बाद कर्नाटक, तामिलनाडु, केरला जायेंगे। उसके बाद राजस्थान, मध्यप्रदेश जायेंगे और अच्छा नीति बनायेंगे। पूर्व की नीति 2019 तक चलेगी और 2019 के आखिरी में खत्म होगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप काहे की नीति बनायेंगे, कौन से उद्योग की नीति बनायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, जाने दीजिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- जो सरदार लोगों की है, उसकी ?

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शिवरतन शर्मा जी को थोड़ा बोलने से रोकना। ये बार-बार टोकते हैं। मेरा दोस्त ही है, वहां साथ में ही बैठते थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि यहां की नीति अच्छी हो। पहले जो भी नीति बनी हो, उससे हटकर नया नीति बनायेंगे। हम लोग नई नीति में आदिवासी लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को किस प्रकार से उद्योगों में शामिल करेंगे, यह पूरा हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का विचार है कि आम आदमी की सरकार हो, आम आदमी की बात हो। जैसे पहले की सरकार नागपुर से चलती थी, ऐसा नहीं चलेगा। यह जनता की सरकार है, जनता की इच्छा के अनुरूप यह नीति बनेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का विचार 200 जगह फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का है। हर जिला मुख्यालय में लगेगा। चाहे बीजापुर हो, सुकमा हो, चाहे बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे रायगढ़ हो, चाहे जशपुर हो, इन सभी जगहों में पांच साल में देखने को मिलेगा। लोहे में, लकड़ी में फंस जाने वाला देखने का नहीं मिलेगा। बाल्को टाईप का नहीं, यहां का आदमी पूछेगा तो दिल्ली में बात करेगा कि हम तो दिल्ली के सरकार के हैं। हमारे यहां इमली का हो, टोरा का हो, महुंआ का हो, मक्का का हो, ऐसे 200 जगह उद्योग लगाने का विचार है, ऐसा हमारे घोषणा-पत्र में भी है। उसके अनुरूप हम लोग तय कर रहे हैं। उसका उदाहरण आज सिर्फ हिन्दुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक रिकार्ड दर्ज है। टाटा हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा उद्योगपति था। अभी तो अनिल अंबानी वगैरह सब आये हैं। लेकिन हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी कम्पनी, टाटा कम्पनी है। अभी मैं सुन रहा था कि कांग्रेस के लोग

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उद्योगपतियों का विरोध करते हैं। उद्योग नहीं लगाने देते हैं। कांग्रेस पार्टी के दिल में भी, विचार में भी, कहीं भी नहीं है कि उद्योगों को बंद करे। पूर्ववर्ती सरकार ने हमारे बस्तर में टाटा का उद्योग लगाने के लिए लोहण्डीगुड़ा का जमीन 1746 एकड़ जमीन लिए थे। पुलिस के बल पर, बन्दूक के नोक पर उन लोगों से दस्तखत करवाया गया था। हम लोग भी सोचते थे कि बस्तर का विकास होगा। टाटा आयेगा तो उस क्षेत्र के नवजवानों को रोजगार मिलेगा। आज वहां जो नक्सलाईट हैं, वे कम होंगे। नवजवानों को रोजगार मिलेगा। 10 पंचायतों की जमीन को टाटा को दिए थे। लेकिन पहले की सरकार की कमजोरी के कारण, टाटा को जमीन देने के बाद, प्रभावितहों को मुआवजा देने के बाद भी टाटा को मदद नहीं किया और वह टा-टा करके भाग गया। वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिलता था न किसानों को खाद-बीज मिलता था। स्कूल में जाति प्रमाण-पत्र नहीं मिलता था। इसलिए हमारी सरकार ने, माननीय भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री होने के बाद सबसे पहले कर्जमाफी के बाद, किसानों का धान 2500 रूपये में खरीदी की घोषणा करने के बाद सबसे पहले जमीन वापिस करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। ऐसा देश में कहीं पर नहीं होगा, विश्व में भी नहीं होगा। ऐसा बड़ा काम हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है, अब की सरकार ने किया है। इसके लिए बधाई देना छोड़कर बोल रहे हैं कि क्या हो गया, कैसे हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि किसानों को जमीन वापस करने के बाद हमारे देश का नेता, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री 16 तारीख को बस्तर में जाकर आदिवासियों का हाल-चाल पूछा । बस्तर में किसान बहुत मक्का पैदा करते हैं, औने-पौने भाव में, 10-20 रूपये में बेचते हैं । नांदगांव में एक छोटा सा उद्योग है, वहां पर मक्का को बेचते थे, लेकिन आज हम लोगों को इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और राहुल गांधी, सांसद, अमेठी के नेतृत्व में 5 हजार करोड़ रूपए के मक्के के प्लांट का उद्घाटन किया है और उसके साथ-साथ सुकमा जैसी जगह में फूड प्लांट के लिए 15 एकड़ जमीन, लौहण्डीगुड़ा में 20 एकड़ जमीन का भूमि पूजन किया है । पहले की सरकार बंदूक की नोंक पर, पुलिस के दम पर जो भी करती थी, लेकिन हमने तीनों जगह उद्घाटन किया तो एक भी जगह पुलिस की सहायता नहीं लेनी पड़ी, लोगों ने मर्जी से अपनी जमीन दिया, हमने सरकारी जमीन को छांटा । इसमें न पेपर बाजी हुआ, न गुटबाजी हुई, न नेतागिरी हुई है इसलिए सरकार की सोच, सरकार की मंशा जनता के हित में है । उसके लिए आप सबको बधाई देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में उद्योग तो लगते हैं, लेकिन आदिवासी क्षेत्र सरगुजा और बस्तर के लोगों को रोजगार नहीं मिलता है इसलिए बस्तर, सुकमा, जगदलपुर, दुर्ग और सरगुजा में ट्रेनिंग सेन्टर खोलेंगे, उसके लिए तीन हजार रूपये बजट में रखा गया है । वे बच्चे 6 महीने ट्रेनिंग लेंगे कि बैंक में कैसे जाना है, लोन कैसे लेना है, मशीन चलाना है तो कैसे चलाना है, यह सब खर्च सरकार खुद

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वहन करेगी, उनको ट्रेनिंग दी जायेगी, तब छोटा-मोटा उद्योग लगेगा तो उस क्षेत्र के लोगों को काम मिलेगा । हमारी सरकार उसकी कोशिश करेगी और तीन जगह सीखाने वाले रहेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, अभी सीमेंट के बारे में बड़ी-बड़ी बातें हो रही थी कि इतना रेट बढ़ गया । मैं बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में सबसे कम सीमेंट का रेट छत्तीसगढ़ में ही है । सीमेंट का रेट चाहे उड़ीसा हो, तेलांगाना हो या महाराष्ट्र हो, सीमेंट का रेट ज्यादा है । छत्तीसगढ़ में हमारा जमीन है, हमारा पानी है, अगर उद्योगपतियों को हमने जमीन दी है तो उनको जनता के हित के लिए कुछ तो बढ़ाना होगा । उद्योगपतियों ने सीमेंट का रेट बढ़ाया है, कभी कम होता है, कभी बढ़ता है । वह स्थानीय मामला नहीं है इसलिए उसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में टमाटर पैदा होता है, मूंगफली पैदा होता है, ईमली पैदा होती है, यहां पर महुआ पैदा होता है, जो दूसरे देशों में जाता है । इसलिए हम लोग 200 यूनिट लगाना चाहते हैं, सुदूर अंचल में, जहां टमाटर पैदा होता है, जहां ईमली पैदा होता है, वहां छोटे-छोटे 20 एकड़ से कम या 10 एकड़ में, 20 एकड़ में उद्योग लगेगा और साथ ही हम लोग एक नई नीति भी लाने वाले हैं कि हमारे राज्य के कमजोर वर्गों के लिए क्या रेट होगा, बड़े लोगों के लिए क्या रेट होगा। हम लोग बड़े उद्योगपतियों के विरोधी नहीं हैं, बड़े उद्योग लगायेंगे तो उनको जमीन देंगे, उनसे पैसा लेंगे। हिन्दुस्तान में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी थे, उन्होंने यहां पर सबसे पहले उद्योग लगाने का काम किया है । हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि पंडित नेहरू जी ने भिलाई स्टील प्लांट दुर्ग जिले में खोला है और आज बस्तर में अभी नगरनार की बात हो रही थी तो टाटा के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एमओयू किया था, लेकिन वह टाटा करके छत्तीसगढ़ से भाग गया, लेकिन नगरनार में अभी स्टील प्लांट लग रहा है, वह कांग्रेस की देन है । कांग्रेस की सरकार ने जमीन का भूमि पूजन किया और वह अभी बना नहीं है, लेकिन बड़े उद्योगपति की नजर उसमें है । भारत सरकार उसको बड़े उद्योगपतियों को बेचने का काम कर रही है, इसलिए हमारी कांग्रेस पार्टी ने और हमारे राष्ट्रीय नेता ने भी नगरनार का विरोध किया था। यह जनता का उद्योग हो, इसमें जनता के हित की बात हो क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ उद्योग है। बस्तर में पांचवी अनुसूची लगी है, उसे प्राईवेट को नहीं देना है इसलिए हम लोगों ने जोरदार विरोध किया। अभी भी हमको भारत सरकार से डर है क्योंकि लगातार मीडिया में आता है कि नगरनार के उद्योग को हम प्राईवेट को देंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता और बस्तर के लोग उसे प्राईवेट को देने नहीं देंगे, उसका जोरदार विरोध करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थीं तो उस समय से बैलाडिला की लौह अयस्क की कंपनी चल रही है जो कि विश्व की दूसरे नंबर की कंपनी है। लेकिन आज दिल्ली में सरकार बदलने के बाद बैलाडिला का 13 नंबर का प्लांट अडाणी को दिया गया है। उसका बस्तर में बहुत बड़ा

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आंदोलन होने वाला है। बस्तर में लोग उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि वह जनता की संपत्ति है। जनता के हित में काम हो, वह जनता से जुड़ा हुआ मामला है और उससे लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। यदि प्राईवेट की नजर हो जायेगी तो वह बैलाडिला का पहाड़ पूरा खत्म हो जायेगा। अभी इसी साल वह चालू होने वाला है। वहां के लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोगों को भी विधानसभा से उसको पारित करना चाहिए और बस्तर के प्लांट को प्राईवेट कंपनी को नहीं देना चाहिए। वहां का जंगल, वहां का पानी, वहां का वातावरण बिगड़ जायेगा। इस प्रकार का कार्य दूसरी पार्टी के लोग करते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार चाहे बैलाडिला का मामला हो, चाहे नगरनार का मामला हो, वहां जनता के हित की बात करती है। यहां दोनों की राजनीति होती है मैं उस सबको छोड़कर हमारे आदिवासियों की जमीन पिछली सरकार ने पिछले दरवाजे से स्कूल बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए सहमति ली थी, मैं छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोगों को बधाई देता हूं । जो आदमी आदिवासी लोगों को धोखा दिया है, जो आदमी आदिवासियों का नुकसान पहुंचाने का काम किया है आज उन्हें 15 साल में 15 सीट तक पहुंचाने का काम हमारे बस्तर के लोगों ने, संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लोगों ने किया है। हिन्दुस्तान में हम लोग कानून बनाने का काम करते हैं। चाहे पंचायती राज का कानून हो, चाहे जंगल-जमीन का पट्टा देने का कानून हो, चाहे उद्योग लगाना है तो उसे गांव के लोगों को देने का कानून हो, ये सब कार्य इस दल के लोग करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलकर आपके माध्यम से यही निवेदन करता हूं कि जो हमारा 349 करोड़ रूपये का बजट है उसको सब लोग सर्वसम्मति से पास करें।

अध्यक्ष महोदय, ये दारू दुकान के बारे में बात कर रहे थे, उसके बजट के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। इतना ही कहूंगा कि हमारे कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में दारू के बारे में लिखा है। हम लोग जब भी, जो भी बात करते हैं अच्छा करते हैं। रात को नोटबंदी करके देश के प्रधानमंत्री 12.00 बजे बोलते हैं कि हमको किसी भी चौक में सजा देना है तो दे दो। लेकिन उस दिन वह नहीं रहे और जापान चले गये और हम रात को रोयेंगे। हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। हम सब लोगों से मिलेंगे, सब लोगों से बात करेंगे, हाईपावर कमेटी का गठन होगा, उसके बाद पंचायत, ग्राम पंचायत जहां पांचवी अनुसूची लगी है वहां पंचायत को अधिकार देंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- अपन विषय में वो ह अभी आवत हे।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, सामान्य एरिया में तो अध्ययन होने के बाद बंद किया जायेगा। हम लोग पहली बार 50 दुकान एक तारीख से बंद करेंगे। (मेजों की थपथपाहट) उसके बाद हम लोग जहां दारू चल रही है, जहां दारू बंद है, तुम्हारे गुजरात की ज्यादा बात कर रहे हैं तो गुजरात भी मोदी से पूछने जायेंगे कि कैसे बंद हुआ या चालू हुआ। हमारे आंध्रप्रदेश में दारू बंद हो गई, फिर चालू हुआ है। वहां सब अध्ययन दल जायेगा। दो प्रकार का दल बनेगा। यहां के सामाजिक, यहां के पत्रकार,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

यहां के व्यापारी सब लोग मिलकर हम सब लोग बढ़िया सा कानून बनायेंगे। जहां पांचवी अनुसूची लगी है वहां पंचायत को अधिकार देंगे क्योंकि पंचायत वहां पर ग्रामसभा रखेंगे..।

अध्यक्ष महोदय :- यहां भी डिस्टर्ब करोगे।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री शिवरतन शर्मा जी और श्री अजय चंद्राकर जी का विशेष स्थल रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- आप उनको अकेले बोलने दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बहुत बढ़िया बोल रहे हैं हम तो उनको सदन में एक एक घंटे बोलते सुने हैं, वे बोल लेंगे । एक दो चीज के बारे में जरा ख्याल कर लीजियेगा। एक तो जो भी शराब दुकान अभी चल रही है, इनके समय की, वह बीच सड़क में चल रही है। वहां से महिलाएं नहीं निकल पा रही है, बच्चों के ऊपर खराब असर पड़ रहा है। ये आप लोगों का चखना दुकान का झगड़ा चल रहा है । कोई मंत्री किसी को चखना दुकान बोलने को बोलता है, कोई विधायक किसी को बोल रहा है, वहां गैंगवार चल रहा है। इसके लिए भी कोई नियम बनवा लीजिए। जहां पर मेन रोड में शराब की दुकान है उसको आप तत्काल अगले सत्र में वहां से हटवा लीजिए, लोगों का जुलूस निकल रहा है, कलेक्टर के यहां जा रहे हैं। आप बंद करो, नई करो, ये आपके विवेक पर छोड़ते हैं, लेकिन कम से कम ये उत्पाद को बंद करा दो जो सड़क पर हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- आप निवेदन करिये, मांग स्वीकृत कर लेंगे ।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, कल मंदिरा प्रेमी लोग ज्ञापन देने आये थे। उनका कहना है कि जो शराब आ रही है वह असर नहीं कर रहा है। (हंसी)

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, वही सिम्बा ब्रांड है जो आप लोगों के समय चल रही थी।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दारू का बजट हम पेश नहीं कर रहे हैं, ये उस दिन खत्म हुआ लेकिन आप सब लोग बोले विपक्ष को दारू ....।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, भाषण में दारू अब असर कर रही है। इससे पहले असर नहीं कर रही थी। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- मांग की स्वीकृति के लिए बोलिये।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दारू के बारे में अभी ठाकुर साहब जी बोल रहे थे सब लोग पिया रहे हैं। उद्योग के बारे में बोलना छोड़ के दारू के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग भी सोचते हैं कि शराब दुकान है, जहां पर सड़क में होगा, मंदिर के पास होगा उसको बंद करेंगे। इस साल नये साल में हम लोग निश्चत करेंगे उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। (मेजों की थपथपाहट) ये चखना चखनी में हमारी सरकार का कोई रोल नहीं है। जो चखना चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं, मेरे को

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अभी तक पता नहीं है। हमारे बस्तर में तो नहीं चलता है। उसमें ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे दो विपक्ष के लोग हैं, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। एक में 15 हैं और एक में 7 हैं। मेरा उन लोगों से भी अनुरोध है। मेरा पहले ठाकुर साहब श्री धर्मजीत सिंह जी से भी अच्छा संबंध है, श्री बृजमोहन अग्रवाल से तो ऐसी दोस्ती है, हम ही लोग ज्यादा सपोर्ट करते हैं। उधर बी.जे.पी वाले तो कम पूछते हैं। मेरी पूरी उम्मीद है कि उन लोग भी सपोर्ट करेंगे। हमारे यहां सभी लोग सपोर्ट किये। उद्योग विभाग में मैं फिर बोलता हूं कि हम लोग उद्योग विरोधी नहीं हैं। लेकिन अगर आदिवासी को नुकसान होगा, गरीबों को नुकसान होगा उसके लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी खडे रहेंगे। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कम समय में हिन्दुस्तान में चाहे कोई भी काम इतनी जल्दी करनी वाली सरकार श्री भूपेश बघेल की सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। हम लोग कोण्डागांव में 105 करोड़ रूपये का उद्योग लगा रहे हैं। हम सभी किसानों को फायदा करने वाले उद्योग लगायेंगे। इसमें 339 करोड़ रूपये का बजट ये छोटा बजट है। इसलिए सभी लोग सर्व सम्मति से सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि इसको पारित करने की कृपा करें। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या - 11 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं, मांगों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय के लिये - तीन सौ इकतालीस करोड़, अड़तीस लाख, इक्यासी हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों पर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

<u>अशासकीय कार्य आगामी कार्यदिवस में लिया जाना</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में शामिल अशासकीय संकल्प आगामी शासकीय कार्य दिवस में लिये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 25 फरवरी, 2019 समय 11.00 बजे तक के लिए स्थगित।

(दोपहर 02 बजकर 55 मिनट पर विधानसभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 25 फरवरी, 2019 (फाल्गुन 6, शक संवत् 1940) के पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की गई।)

चन्द्र शेखर गंगराड़े

रायपुर (छत्तीसगढ़) **सचिव**

दिनांक 22 फरवरी, 2019 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं